सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2020—21

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

उद्योग भवन, नई दिल्ली—110011

वेबसाइटः **www.msme.gov.in**

विषयवस्तु

अध्याय	शीर्षक		पृष्ठ
1.	**भूमिका**		**1–21**
	1.1	पृष्ठभूमि	1
	1.2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का अधिदेश	2–3
	1.3	संगठनात्मक सरंचना	3–5
	1.4	हाल की गतिविधियां	5–21
2.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का सिंहावलोकन एवं कार्यनिष्पादन**		**22–35**
	2.1	भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका	22
	2.2	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम	23–29
	2.3.	एमएसएमई की अखिल भारतीय गणना तथा एनएसएस के 73वें दौर के बीच शीर्ष 10 राज्यों का तुलनात्मक विश्लेषण	29–30
	2.4	नए एमएसएमई का पंजीकरण	31–35
3.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य संबद्ध कार्यालय**		**36–97**
	3.1.	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	36–56
	3.2.	प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी)	57–72
	3.3.	कयर बोर्ड (सीबी)	73–84
	3.4.	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)	85–89
	3.5.	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान (एमगिरी)	90–94
	3.6.	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)	94–97

4.	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें**	**98–115**
5.	**पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित कार्यकलाप**	**116–133**
	5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए गतिविधियां	116–127
	5.2 महिलाओं के कल्याण के लिए लक्षित कार्यकलाप	127–131
	5.3 दिव्यांगजनों के लिए कल्याण	131–132
	5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	132–133
6	**सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व**	**134–139**
	6.1 राजभाषा (ओएल)	134–137
	6.2 सतर्कता	137
	6.3 नागरिक चार्टर	137–138
	6.4 सूचना का अधिकार (आरटीआई)	138
	6.5 यौन उत्पीड़न का निवारण	139
अनुबंध		**140–152**
1.	वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान योजना आबंटन एवं व्यय	140
2.	एमएसएमई मंत्रालय के लिए सीएंडएजी पैराओं पर लेखा–परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति (वित्त वर्ष 2020–21)	141–142
3.	नोडल केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची	143–144
4.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सांविधिक निकायों के अधिकारियों के संपर्क पते	145
5.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थानों और शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची	146–149
6.	संकेताक्षर	150–152

भूमिका

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र पिछले पांच दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत एवं गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र कृषि के पश्चात तुलनात्मक रूप से कम पूंजीगत लागत पर उद्यमिता को प्रोत्साहित करके तथा बड़े रोजगार के अवसर सृजित करके देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के अनुपूरक हैं और यह क्षेत्र देश के समग्र औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। एमएसएमई अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपना प्रसार कर रहे हैं तथा घरेलू और वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। देश के एमएसएमई क्षेत्र के दृश्यावलोकन और कार्यनिष्पादन अध्याय 2 में दिया गया है।

1.1.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) विद्यमान उद्यमों को सहायता देने, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने तथा नये उद्यमों के सृजन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के सहयोग से खादी, ग्राम और कयर उद्योगों सहित क्षेत्र की वृद्धि एवं विकास को संवर्धित कर प्रगामी एमएसएमई क्षेत्र की परिकल्पना करता है। इस मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुच्छेद 1.3.1 में दिया गया है जबकि मंत्रालय की हाल की पहलों का ब्योरा पैराग्राफ 1.4 में दिया गया है।

1.1.3 एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में अनेक सांविधिक और गैर–सांविधिक निकाय कार्य करते हैं। इनमें राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) एवं महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॅयर बोर्ड शामिल हैं। इन निकायों के अधिदेश और कार्य–निष्पादन का ब्यौरा अध्याय 3 में दिया गया है।

1.1.4 एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी सहायता और उन्नयन, अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता तथा विपणन सहायता बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न स्कीम चलाता है। स्कीमों की विस्तृत सूची अध्याय 4 में दी गई है।

1.1.5 मंत्रालय समावेशी विकास की कार्यसूची के प्रति प्रतिबद्ध है तथा भौगोलिक और जनसांख्यिकीय रूप से कमजोर वर्गों के व्यक्ति इसके कार्यों से लाभ लेना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलें और उपाय किए हैं। ऐसी पहलों की जानकारी का सारांश अध्याय 5 में दिया गया है।

1.1.6 एमएसएमई मंत्रालय अपने अधीनस्थ सभी संबद्ध कार्यालयों में राजभाषा ''हिंदी'' के प्रगामी प्रयोग के लिए भी प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त, सतर्कता, आरटीआई, यौन उत्पीड़न निवारण से संबंधित सतत् उपाय अध्याय 6 में देखे जा सकते हैं।

1.2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधिदेश

1.2.1 9 मई, 2007 को पूर्ववर्ती लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई मंत्रालय) बनाया गया था। मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता करने के लिए नीतियां तैयार करता है और कार्यक्रमों/परियोजनाओं/स्कीमों का संवर्धन/ सुविधा देता है तथा उनके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करता है और उन्हें बढ़ावा देने में सहायता करता है।

1.2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम वर्ष 2006 में अधिसूचित किया गया था ताकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रभावित करने वाले विभिन्न मुद्दों के साथ–साथ इस क्षेत्र के लिए कवरेज और निवेश की सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान किया जा सके। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम इन उद्यमों के विकास को सुविधाजनक बनाता है और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता में भी वृद्धि करता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी की अध्यक्षता में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड का गठन किया गया। इस बोर्ड की भूमिका सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करना, केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना तथा संवर्धन और विकास को सुसाध्य करने और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सिफारिश करना है।
- यह ''उद्यम'की संकल्पना, जिसमें विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों आते हैं, को मान्यता प्रदान करने के लिए विधिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराता है। यह पहली बार मध्यम उद्यमों को परिभाषित करता है तथा इन उद्यमों को 3 स्तरों नामतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम रूप में एकीकृत करता है।
- यह केंद्र सरकार को एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित करने के लिए कार्यक्रम बनाने तथा दिशानिर्देश व अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाता है।

1.2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की परिभाषाएं:

सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

(i) ऐसा सूक्ष्म उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश एक करोड़ रु. से अधिक न हो और टर्नओवर पांच करोड रु. से अधिक न हो;

(ii) ऐसा लघु उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश दस करोड़ रु. से अधिक का न हो और टर्नओवर पचास करोड़ से अधिक न हो; और

(iii) ऐसा मध्यम उद्यम, जिसमें संयंत्र और मशीनरी अथवा उपकरण में किया गया निवेश पचास करोड रु. से अधिक न हो और टर्नओवर दो सौ पचास करोड़ रु. से अधिक न हो।

1.2.3.1. यह नया वर्गीकरण दिनांक 1 जुलाई, 2020 से प्रभावी हो गया है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पूर्व मानदंड संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश पर आधारित था। यह विनिर्माण और सेवा इकाइयों के लिए भिन्न–भिन्न था। यह वित्तीय नियमों के अनुसार भी बहुत कम था। तदोपरांत, अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़री है। दिनांक 13 मई, 2020 को की गई घोषणा में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में संशोधन किया गया। समय के अनुसार व्यावहारिकता अपनाने और वर्गीकरण की सापेक्ष प्रणाली की सुस्थापना करने और व्यवसाय करने की आसानी के लिए ऐसा किया गया है।

1.2.3.2. इसके परिणामस्वरूप, दिनांक 26.06.2020 को विनिर्माण और सेवा इकाइयों के नए कंपोज़िट मानदंड की अधिसूचना ज़ारी की गई, इसके साथ मौजूदा और भावी उद्यमियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कंपोज़िट मानदंड से संबंधित दिशानिदेश जुड़े हुए हैं। अब विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के बीच कोई अंतर नहीं है। साथ ही, टर्नओवर का नया मानदंड वर्गीकरण के पुराने मानदंड में जोड़ा गया है जो केवल संयंत्र और मशीनरी में निवेश पर आधारित है। इस नए मानदंड से उम्मीद की जाती है कि इनसे एमएसएमई को अपने आकार में वृद्धि करने में मदद मिलेगी। यह भी निर्णय लिया गया है कि निर्यात के संबंध में टर्नओवर को एमएसएमई इकाइयों की किसी श्रेणी अर्थात् सूक्ष्म, लघु और मध्मय के लिए टर्नओवर की सीमाओं में जोड़ कर नहीं देखा जाएगा। व्यवसाय करने में आसानी की दिशा में यह अभी एक और कदम है। इससे एमएसएमई क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और ज्यादा रोज़गारों का सृजन करने में मदद मिलेगी। एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में बदलाव से निर्यातकों को बड़ी राहत मिलना सुनिश्चित है। एमएसएमई के वर्गीकरण के मानदंड में बदलाव के साथ सरकार ने विनिर्माण और सेवाओं के बीच के अंतर को भी समाप्त कर दिया है।

1.2.4. एमएसएमई के संवर्धन और विकास का प्रारंभिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है। तथापि, भारत सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठनों की भूमिका उद्यमिता, रोजगार और आजीविका के अवसरों को प्रोत्साहित करने और बदले हुए आर्थिक परिदृश्य में एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढाने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करना है।

1.3 संगठनात्मक संरचना

1.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में विकास आयुक्त (डीसीएमएसएमई) कार्यालय तथा अन्य अधीनस्थ संगठनों के अलावा, लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) प्रभाग, कृषि एवं ग्रामीण उद्योग (एआरआई) प्रभाग, एकीकृत वित्त (आईएफ) स्कन्ध और डाटा एनालिटिक्स एंड टेक्नीकल कोऑर्डिनेशन (डीएटीसी) विंग तथा प्रशासन और वित्तीय संस्थान (एएफआई) शामिल हैं। मंत्रालय की संगठनात्मक संरचना को निम्नलिखित ओरगेनोग्राम में प्रदर्शित किया जा गया है:

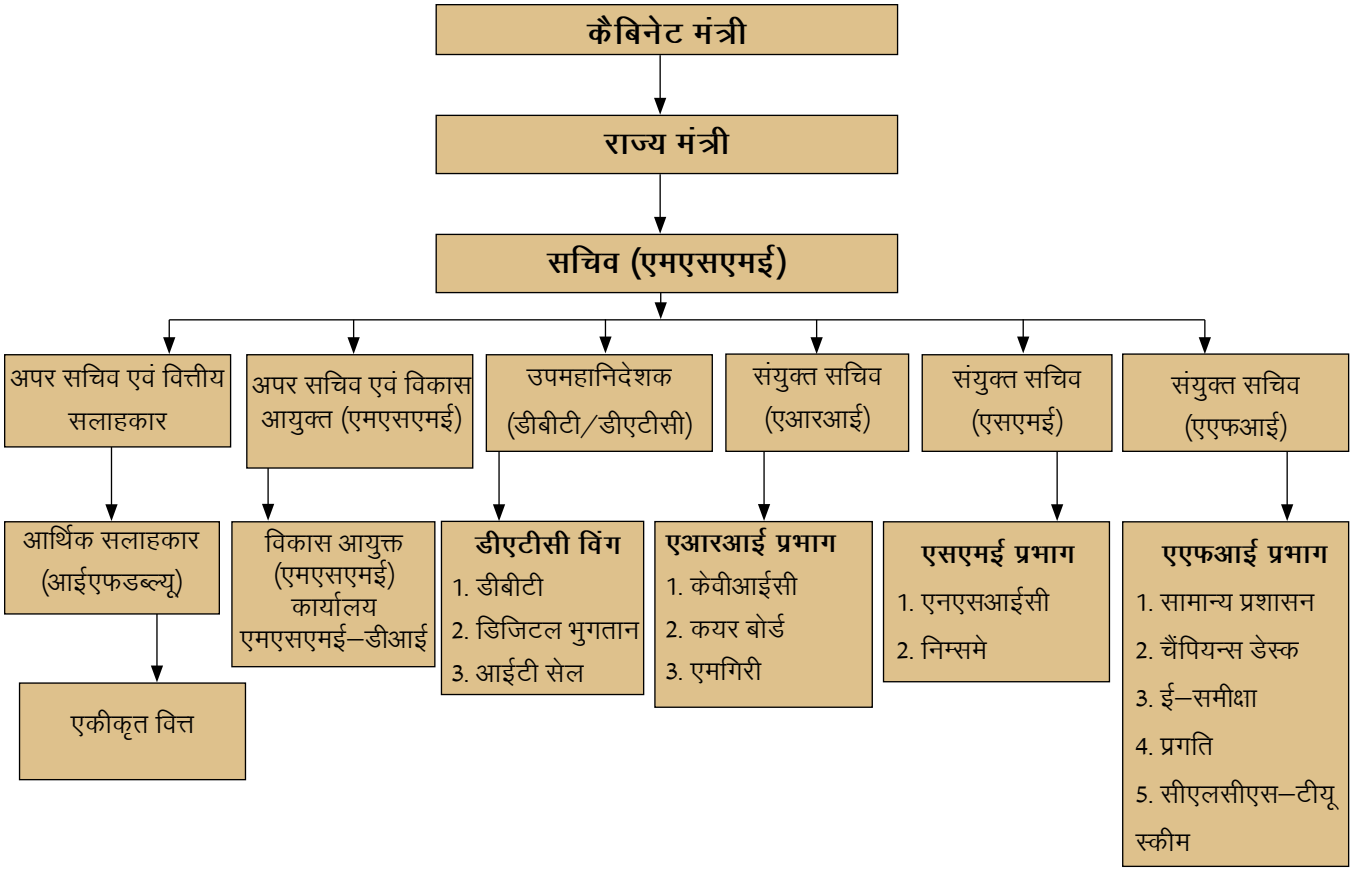

1.3.2 **एसएमई प्रभाग**–एसएमई प्रभाग अन्य बातों के साथ–साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) लिमिटेड–जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है तथा राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)–जो एक राष्ट्रीय स्तर का स्वायत्तशासी उद्यमिता विकास/प्रशिक्षण संगठन है, के प्रशासनिक पर्यवेक्षण का कार्य देखता है। यह प्रभाग अन्य के बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम तथा प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, एसएमई प्रभाग स्कीमों के संवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से इसके कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय के मीडिया अभियान की तैयारी संबंधी कार्य भी देखता है।

1.3.3 **एआरआई प्रभाग**: एआरआई प्रभाग दो सांविधिक निकायों–खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के प्रशासन का कार्य देखता है। यह प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति) तथा नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर) के कार्यान्वयन का भी पर्यवेक्षण करता है।

1.3.4 **एएफआई प्रभाग**– एएफआई प्रभाग को अन्य बातों के साथ–साथ मंत्रालय के प्रशासन एवं सर्तकता संबंधी कार्य आबंटित हैं। यह प्रभाग चैंपियनस डेस्क, लोक शिकायत, सीपीग्राम, ई–समीक्षा, प्रगति का प्रशासनिक पर्यवेक्षण और बैंकों, वित्तीय संस्थानों और सीएलसीएस–टीयू स्कीम सहित एमएसएमई की शिकायतों का अनुवर्ती कार्य देखता है।

1.3.5 **आईएफ विंग** – आईएफडब्ल्यू मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के कार्यक्रम प्रभागों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों की जांच करता है: जिनमें (i) विभिन्न स्कीमों के तहत निधियों को जारी करने के लिए सहमति, (ii) स्कीमों को जारी रखने और ईएफसी/एसएफसी बैठकों के आयोजन हेतु ईएमसी/ एसएफसी पर टिप्पणियां प्रस्तुत करना है। यह कार्यक्रम विंग द्वारा जब भी मांगी गई वित्तीय विवक्षाओं वाले विभिन्न मुद्दों पर सलाह देता है। यह विंग समझौता ज्ञापन/अन्य समझौतों/संविदा, आदि के हस्ताक्षर से संबंधित अन्य विविध मामलों की भी जांच करता है।

1.3.6 **डीएटीसी एवं डीबीटी प्रभाग** – यह स्कन्ध एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित आंकड़ें/सांख्यिकी का विश्लेषण करता है और यह एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित साक्ष्य आधारित निर्णय के लिए तकनीकी सूचनाएं (इनपुट)प्रदान करता है। एमएसएमई डाटाबेस के विकास और रखरखाव के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के साथ तकनीकी समन्वय, मंत्रालय की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीमों के लिए निदेशों का पूर्ण अनुपालन का समन्वय; मंत्रालय में डिजिटल भुगतान के संवर्धन हेतु कार्यान्वयन और मंत्रालय की आईटी सेल का प्रबंध इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्यकलापों में हैं।

1.3.7 विकास आयुक्त कार्यालय

1.3.7.1 विकास आयुक्तालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अवसंरचना एवं सहायता सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों और विभिन्न कार्यक्रम/स्कीम को कार्यान्वित करता है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है जिसकी अध्यक्षता विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा की जाती है। यह एमएसएमई विकास संस्थानों (डीआई), क्षेत्रीय परीक्षण केंद्रों, फुटवियर प्रशिक्षण संस्थानों, उत्पादन केंद्रों, फील्ड टेस्टिंग स्टेशनों तथा विशेषज्ञ संस्थानों के एक नेटवर्क के माध्यम से कार्य करता है। यह निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करता है:–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास के लिए नीति निर्माण में सरकार को सलाह देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को टेक्नों–इकॉनॉमिक एवं प्रबंधकीय परामर्श, सामान्य सुविधाएं तथा विस्तार सेवाएं प्रदान करना।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और अवसंरचना के लिए सुविधाएं प्रदान करना।
- प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना।
- आर्थिक सूचना सेवाएं प्रदान करना।

1.3.8 **राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई)** सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्थापित किया गया था। यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की जांच करता है, विद्यमान नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने में सरकार को सिफारिश करता है।

1.4 हाल की गतिविधियां

1.4.1 **उद्यम पंजीकरण:** इस मंत्रालय ने दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना सं. सा.आ. 2119 (ई) के माध्यम से संयंत्र और मशीनरी/ उपकरण में निवेश और एमएसएमई के टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई के वर्गीकरण का एक कंपोसिट मानदंड अधिसूचित किया है। एमएसएमई के वर्गीकरण के कंपोजिट मानदंड से संबंधित दिशानिदेश वेबसाईट लिंक: https://msme.gov.in/sites/default/files/IndianGazzate.pdf पर उपलब्ध हैं।

एमएसएमई के वर्गीकरण के कंपोजिट मानदंड के आधार पर, इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण के माध्यम से उद्योग आधार ज्ञापन की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया है। अब मौजूदा ओर भावी उद्यमी पोर्टलः https://udyamregistration.gov पद पर अपना ऑनलाईन 'उद्यम' पंजीकरण फाईल कर सकते हैं।

- 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार, विनिर्माण श्रेणी के अंतर्गत कुल 5,37,677 उद्यमों ने पंजीकरण किया है जबकि 8,65,058 उद्यम सेवा क्षेत्र के अंतर्गत पंजीकृत हैं।
- पंजीकरण के शीर्ष पांच औद्योगिक सेक्टर है– खाद्य उत्पाद, वस्त्र, परिधान, फैब्रीकेटेड मेटल उत्पाद और मशीनरी और उपकरण।
- परिवर्तनीय व्यवस्था के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक पैन के बिना पंजीकरण कराने की व्यवस्था है।
- इसी प्रकार, परिवर्तनीय व्यवस्था के अनुसार दिनांक 31.03.2021 तक जीएसटी नंबर के बिना पंजीकरण कराने की भी अनुमति दी गई है।

उद्यम पंजीकरण पर एमएसएमई का विश्लेषण अध्याय 2 के पैरा 2.4 के अंतर्गत दिया है।

1.4.2 एमएसएमई के पुनरूज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क

एमएसएमई के खातों में दबाव के समाधान के लिए सरल तथा तेजी से काम करने वाला तंत्र प्रदान करने तथा एमएसएमई के संवर्धन एवं विकास को सुगम बनाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना, दिनांक 29 मई, 2015 के तहत 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के पुनरुज्जीवन तथा पुनर्वास के लिए फ्रेमवर्क अधिसूचित किया। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 17.3.2016 को बैंकों को भी दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा–निर्देशों के अंतर्गत, बैंकों ने एमएसएमई के पुनरूज्जीवन एवं पुनर्वास के लिए सुधारात्मक कार्ययोजना को अंतिम रूप देने के लिए एक तंत्र बनाया है।

1.4.3 एमएसएमई डाटा बैंक

एमएसएमई के संवर्धन और विकास को सुगम बनाने और उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 29.07.2016 की राजपत्र अधिसूचना सं. 750 (ई) के तहत एमएसएमई विकास (नियम 2016 की सूचना का प्रस्तुतिकरण) अधिसूचित किया जिसके अंतर्गत सभी एमएसएमई को www.msmedatabank.in में रखे डाटा बैंक में केंद्र सरकार के अपने उद्यम से संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रस्तुत करनी है। इस डाटाबैंक से एमएसएमई मंत्रालय स्कीमों की मॉनिटरिंग और सरल बनाने और लाभ सीधे एमएसएमई को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम बनाएगा। यह विभिन्न पैरामीटरों के तहत एमएसएमई की स्थिति के बारे में रियल टाइम सूचना भी उपलब्ध कराएगा। डाटा बैंक एमएसएमई इकाइयों के लिए मददगार है जो अब अपने उद्यम से संबंधित सूचना जब भी अपेक्षित हो किसी सरकारी कार्यालय जाए बिना अद्यतन कर सकते हैं और अपने उत्पादों/सेवाओं से संबंधित सूचना भी अपडेट कर सकते हैं, जो भारत सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत खरीद के लिए सरकारी विभागों तक पहुंच सकते हैं।

1.4.4 माई एमएसएमई

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय ने विभिन्न स्कीमों का लाभ लेने के लिए उद्यमों की सुविधा 'माई एमएसएमई' नामक एक वेब आधारित एप्लीकेशन मॉड्यूल शुरु किया है। इस पर मोबाइल ऐप के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। उद्यमी अपने मोबाइल पर स्वयं अपनी ऐप्लीकेशनों को देख पायेंगे तथा उन्हें ट्रैक कर सकेंगे ।

1.4.5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी)

भारत सरकार की सभी कल्याणकारी और सब्सिडीयुक्त स्कीमों की डिलीवरी के सिस्टम में सुधार लाने के उद्देश्य से मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार लाकर प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) प्रणाली के तहत लाया गया है। इसका उद्देश्य निधियों का सरल और सहज प्रवाह सुनिश्चित करना, लाभार्थियों के सही लक्ष्य सुनिश्चित करना, पुनरावृत्ति को दूर करना और जालसाजी को समाप्त करना है। डीबीटी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में डीबीटी मिशन नोडल बिन्दु के रूप में डीबीटी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

लाभार्थियों के भिन्न–भिन्न प्रकार के लाभ अर्थात् नकद, अन्य रूप में, अथवा मिश्रित (अर्थात् नकद एवं अन्य रूप में) के आधार पर स्कीमों को श्रेणीबद्ध किया गया है। नीचे दी गई तालिका में लाभ के प्रकार, लाभार्थियों की संख्या और कुल अंतरित निधियाँ/हुए व्यय के साथ मंत्रालय की मुख्य डीबीटी स्कीम दर्शाई गई है।

क्र. सं.	स्कीम का नाम	लाभ के प्रकार	लाभार्थियों की कुल सं. (2020–21) (31.12.2020 तक)	कुल व्यय (रु. करोड़ में) (2020–21) (31.12.2020 तक)
1	एटीआई स्कीम (प्रशिक्षण घटक)	अन्य रूप में	1279	0.86
2	खादी संस्थानों को एमपीडीए अनुदान	नकद	200827	54.52
3	कयर विकास योजना	नकद	89	0.035
4	स्फूर्ति–एसआई	अन्य रूप में	7523	0.00
5	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	नकद	22977	707.16
6	राष्ट्रीय पुरस्कार	नकद	45	0.45
7	उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	अन्य रूप में	14357	0.00
8	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम	नकद	68	1.25

निम्नलिखित स्कीमों के प्रचालन दिशानिर्देशों की जांच की जा रही है और हाल में इन्हें री– डिज़ाइन किया गया है इस तरह स्कीमें अंतिम रूप दिये जाने तक असक्रिय हैं।

1 एमएसएमई के माध्यम से प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन सहायता–टीईक्यूयूपी

2 क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम सीएलसीएसएस

3 एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर आईपीआर निर्माण जागरूकता

4 एमएसएमई के लिए लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

5 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए डिजाइन विशेषज्ञता हेतु डिजाइन क्लिनिक योजना

6 इनक्यूबेटरों के माध्यम से एसएमई के उद्यमीय और प्रबंधकीय विकास के लिए इंक्यूबेशन केंद्र सहायता

7 जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट (जेड)

1.4.6 डिजिटल भुगतान

1.4.6.1 भारत सरकार कैशलैश अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और सुविधाजनक रूप से भारत के सभी नागरिकों को निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास कर रही है। ''भारत सरकार द्वारा देश के प्रत्येक वर्ग को डिजिटल भुगतान सेवाओं के औपचारिक फोल्ड के अंतर्गत डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इसका विजन, भारत के सभी नागरिकों को सहज, आसान, सस्ती, त्वरित और सुरक्षित रूप से निर्बाध डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है।

1.4.6.2 पहल में भागीदार के रूप में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संपूर्ण एमएसएमई पारिस्थितिकी को पूरी तरह डिजिटल समर्थ करने के लिए कई पहलें की हैं। सचिवों की समिति (सीओएस) की सिफारिशों और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार मंत्रालय एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों को डिजिधन मिशन के सफल कार्यान्वयन को पूरा कराने के लिए सचिव (एमएसएमई) की अध्यक्षता में इस मंत्रालय में डिजिटल भुगतान से संबंधित एक समिति गठित की गई है।

- अपने सभी संबद्ध कार्यालयों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के सभी कार्यालय डिजिटल रूप से सक्षम किए गए हैं।
- उद्योग आधार ज्ञापन के तहत पंजीकृत एमएसएमई के लिए भुगतान के विभिन्न तरीकों जैसे भीम, यूपीआई और भारत क्यूआर कोड की सरलता और लाभों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं।
- मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों (केवीआईसी, कयर बोर्ड, एनएसआईसी, एमगिरी, निम्समे और विकास आयुक्त (एमएसएमई कार्यालय) के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके सभी संबद्ध कार्यालयों द्वारा वर्ष 2020–21 के दौरान डिजिटल लेनदेनों के मूल्य के संदर्भ में 92.02 प्रतिशत तक, डिजिटल लेनदेनों की संख्या में 90.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा **डिजिटल इंडिया अवार्ड** दिया गया , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एमएसएमई के सभी क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों को समर्थ करने के लिए **ओपिन डाटा चैम्पियन अवार्ड(2020)** प्राप्त किया।

दिनांक 30.12.2020 को सचिव, एमएसएमई वर्चुअल पुरस्कर समारोह के दौरान

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं इसके संबद्ध कार्यालयों के लिए डिजिटल लेनदेन (2020–21) दिसंबर 2020 तक)							
क्र. सं.	*संगठन का नाम*	*लेनदेनों की संख्या*					
		कुल		*डिजिटल संसाधनों से*		*प्रतिशत*	
		लेनदेनों की संख्या	*मूल्य रुपयों में (करोड़ में)*	*लेनदेनों की संख्या*	*मूल्य रुपयों में (करोड़ में)*	*डिजिटल लेनदेनों की संख्या (प्रतिशत में)*	*डिजिटल लेनदेनों का मूल्य (प्रतिशत में)*
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	केवीआईसी	3673719	4102.92	3202965	4059.54	**87.19**	**98.94**
2	एनएसआईसी	74534	12918.52	69938	12705.74	**93.83**	**98.35**
3	विकास आयुक्त कार्यालय (टूल रूम + डीआई कार्यालय + मुख्यालय)	94856	954.74	88450	891.61	**93.24**	**93.39**
4	कयर बोर्ड	15,823	288.13	12,884	272.50	**81.42**	**94.57**
5	निम्समे	1833	9.52	1658	6.56	**90.45**	**68.91**
6	एमगिरी	764	10.85	726	10.63	**95.02**	**97.97**
	कुल	**3861529**	**18284.67**	**3376621**	**17946.58**	**90.19**	**92.02**

14.7 शिकायत मॉनीटरिंग

मंत्रालय केन्द्रीयकृत लोक शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सीपीग्रामस) की सभी शिकायतों को देखता है तथा 31–12–2020 की स्थिति के अनुसार सीपीग्रामस पर लंबित शिकायतों की संख्या 186 थी। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों और सुझावों को ट्रैक और मॉनीटरिंग करने के लिए एक एमएसएमई इंटरनेट शिकायत मॉनीटरिंग प्रणाली (ई–समाधान) शुरू की है।

1.4.8 एमएसएमई समाधानः एमएसई को विलंबित भुगतान का समाधान करनाः

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 15–24 एमएसई आपूर्तिकर्ता को क्रेताओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) के विलंबित भुगतान से संबंधित मुद्दों को देखती हैं। यदि भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी होती है तो एमएसई आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों/संघ राज्य राज्यों में अधिनियम के तहत गठित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद (एमएसईएफसी) से संपर्क कर सकते हैं। एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत, आपूर्तिकर्ता इकाइयों को विलंबित भुगतान पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर की तीन गुना मासिक ब्याज के साथ चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाता है।

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 30 अक्टूबर, 2017 को एक पोर्टल (http://samadhaan.msme.gov.in/) शुरु किया। यह पोर्टल सीपीएसई/ केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों आदि तथा अन्य क्रेताओं के पास एमएसई के लंबित भुगतान की जानकारी देता है । केंद्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संगठनों के संबंध में विलंबित भुगतान के मामलों की मॉनीटरिंग करने के लिए लॉग इन करने हेतु उपयोगकर्ता–आईडी और पासवर्ड प्रदान किए गए हैं । उक्त पोर्टल एमएसई को विलंबित भुगतान से संबंधित अपनी शिकायतों को ऑनलाइन फाइल करने में भी मदद करता है। किसी भी मामले के ऑनलाइन फाइल होने के 15 दिनों के पश्चात यह स्वतः संबंधित एमएसईएफसी में पंजीकृत हो जाता है। पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद एवं ओडिशा जैसे तमिलनाड, राष्ट्रीय राजधानी केंद्, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्यों के पास एक से अधिक एमएसईएफसी है। सूक्ष्म,लघु और माध्यम उद्यम मंत्रालय, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विलम्बित भुगतान से संबंधित नियमों और विनियमों से परिचित करवाने और विलम्बित भुगतान के मामले में राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के एमएसईएफसी के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण के आयोजन के लिए राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), हैदराबाद हेतु निधियां भी प्रदान की जाती हैं।

एमएसएमई समाधान पोर्टल के शुभारंभ की तारीख से अर्थात् 30.10.2017 तक एमएसई ने विलंबित भुगतान से संबंधित 65142 आवेदन फाईल किए हैं। इन आवेदनों में 18466.49 करोड़ रु. की राशि शामिल है। इस पोर्टल ने क्रेता और विक्रेता के मध्य परस्पर लंबित भुगतानों को प्राप्त करने में भी मदद की है। 885 करोड रु. की राशि के 5798 मामलों में परस्पर समाधान किए गए हैं। वहीं 15943 मामले एसएसईएफसी के विचाराधीन है जिनमें 9031.65 करोड़ रुपए की राशि शामिल है जिसे मामलों में बदल दिया गया है और दिनांक 12.01.2021 तक 1392.42 की राशि वाले 5618 मामलों का निपटान एमएसईएफसी द्वारा किया गया। इस पोर्टल ने एमएसई का सशक्तिकरण किया है ताकि वे सीधे अपने विलंबित भुगतान के मामलों को फाईल कर सकें। इसकी मॉनीटरिंग संबंधित मंत्रालयों/ सीपीएसई और राज्य सरकारों द्वारा की जा रही है।

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत माननीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बाद, मंत्रालय ने समाधान के अंतर्गत ही एक विशेष उप–पोर्टल का सृजन किया है ताकि सीपीएसई से एमएसएमई के विलंबित भुगतानों को ट्रेक किया जा सके। एमएसएमई की 17,000 करोड़ (दिनांक 12.01.2021 तक) से अधिक की देयताओं के सीपीएसई क्लीयर किए गए है।

1.4.9 एमएसएमई–संबंध

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 08 दिसंबर, 2017 को "एमएसएमई–संबंध पोर्टल" का शुभारंभ किया था। यह पोर्टल केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा की गई खरीद की मॉनीटरिंग में मदद करता है तथा एमएमई से अपेक्षित उत्पादों/ सेवाओं की सूची को साझा करने के लिए सभी सक्षम को भी करता है।

इस पोर्टल में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित विशेषताएं हैं: –

- साप्ताहिक/ मासिक आधार संबंधी सार्वजनिक खरीद संबंधी सूचना को अद्यतन करना।
- मंत्रालयों/ विभागों और सीपीएसई द्वारा की गई खरीद की मॉनीटरिंग करना।
- अपेक्षित उत्पाद/ सेवाओं की सूची अपलोड करने हेतु सीपीएसई को साझा करना।
- खरीद का सारांश उपलब्ध कराने हेतु डेशबोर्ड।
- https://sambandh.msme.gov.in/PPP_Index-aspx लिंक के माध्यम से इस पोर्टल पर पहुंचा जा सकता है।

  दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार, वर्ष 2020–2021 के लिए कुल 111 सीपीएसई ने अपना ब्यौरा अपलोड किया है। इन सीपीएसई ने कुल 57016.60 करोड़ रु. की खरीद की सूचना दी है। सभी एमएसई का क्रय किया हिस्सा 18963.05 करोड़ रु. (89911 एमएसई लाभांवित हुए) का है जो कुल क्रय का 33.26% है। अ.जा./ अ.ज.जा. के स्वामित्व वाली एमएसई के क्रय की राशि 349.49 करोड़ रु. (3621 एमएसई लाभान्वित) है। महिला स्वामित्व वाली एमएसई से क्रय की राशि 357.81 करोड़ रु. (2374 एमएसई लाभांवित हुए) की है।

1.4.10 एमएसएमई संपर्क

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 27.06.2018 को एक रोज़गार पोर्टल ''एमएसएमई संपर्क'' का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल एक ऐसा डिजिटल प्लेटफार्म है जिसमें रोज़गार प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति (अर्थात एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों के उत्तीर्ण प्रशिक्षु/ छात्र) और नियोक्ता अपना पंजीकरण कराकर अपसी फायदे के लिए संवाद कर सकते हैं। दिनांक 18.01.2021 तक , कुल नियोक्ताओं द्वारा पोस्ट की गई रिक्तियों के लिए संपर्क पोर्टल पर कुल 4,68,759 उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं और 5,947 नियोक्ताओं (भर्तीकर्ताओं) ने अपना पंजीकरण कराया है; 28019 रोज़गारों का प्रस्ताव किया गया है।

1.4.11. चैंपियनस पोर्टल

माननीय प्रधानमंत्री दिनांक 01 जून 2020 को एमएसएसई के लिए चैंपियन्स पोर्टल का शुभारंभ करते हुए

1.4.11.1भूमिका

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 1 जून, 2020 को चैंपियनस पोर्टल का शुभारंभ किया, जो सहायता और पथ प्रदर्शन करने के माध्यम से लघु इकाइयों के आकार में वृद्धि करने हेतु आईसीटी आधारित प्रौद्योगिकीय प्रणाली है। यह पोर्टल मौजूदा परिस्थितियों में न सिर्फ एमएसएमई को सहायता प्रदान कर रहा है बल्कि इनको नए व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान कर रहा है।

1.4.11.2चैंपियनस डेस्क की संरचना

नियंत्रण कक्षों का नेटवर्क हब और स्पोक मॉडल में सृजित किया है। हब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय में स्थित है जबकि स्पोक राज्यों में मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों और संस्थानों में स्थित है। नई दिल्ली में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष और 68 राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्षों का सृजन किया गया है जिन्हें वित्त, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकीय उन्नयन, कौशल विकास आदि सहित क्षेत्रों में एमएसएमई को स्थानीय स्तर पर हरसंभव सहायता प्रदान की गई है।

1.4.11.3 प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताएं (हाईलाईट्स)

- सूचना प्रसार: एमएसएमई क्षेत्र में हाल के विकासों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है।
- फास्ट ट्रेक आधार पर अन्य सरकारी विभागों/ मंत्रालयों से संबंधित शिकायतों का समाधान करने के विचार से, मंत्रालय में दूसरे सरकारी निकायों को ऑनबोर्ड करने की प्रक्रिया ज़ारी है। इस प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 17 मंत्रालयों/विभागों और 26 राज्य सरकारों को ऑनबोर्ड किया गया है।

- 56 बैंकों /एफआई /आरआरबी / एसएफसी को निजी क्षेत्र से संबंधित 19 बैंकों के साथ इस पोर्टल पर ऑनबोर्ड किया गया है ताकि फास्ट ट्रेक रूप में ऋण से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जा सके।
- फास्ट ट्रेक मोड पर प्रश्नों के समाधान के लिए चैंपियनस पोर्टल हेतु 52 सीपीएसई को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
- जैम को नोडल अधिकारी की नियुक्ति के साथ पोर्टल पर भी ऑनबोर्ड किया गया है।
- एमएसएमई से संबंधित स्कीमों को बेहतर समझने के लिए एमएसएमई इकाइयों की सहायतार्थ पोर्टल पर 750 से अधिक एफएक्यू पहले ही अपलोड किए गए हैं। स्टार्टरों/ एमएसएमई को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एमएसएमई/ एमएसएमई स्कीमों से संबंधित एफएक्यू को नियमित आधार पर पोर्टल पर जोड़ा जा रहा है।
- शिकायतों के फास्ट ट्रेक प्रत्युत्तर के लिए मंत्रालय के अधिकारियों की स्कीम–वार मैपिंग की जा रही है।
- एमएसएमई समाधान और उद्यम पंजीकरण आदि जैसे विभिन्न पोर्टलों के साथ एकीकरण।
- एमएसएमई से प्राप्त विचारों और सुझावों के लिए प्रावधान।

1.4.11.4 शिकायतों की स्थिति (31 दिसंबर, 2020 की स्थिति अनुसार)

कुल प्राप्त प्रश्न/ शिकायतें: पोर्टल पर 25,855 से अधिक।

- 25520 से अधिक प्रश्नों अर्थात 98.7% का संबंधितों को प्रत्युत्तर दिया गया जबकि 335 से अधिक प्रश्नों के निवारण की प्रक्रिया ज़ारी है।
- उक्त शिकायतों को विभिन्न श्रेणियों में पृथक किया गया है अर्थात आसान चिह्नितकरण और बेहतर समाधान हेतु एमएसएमई स्कीमों/ यूएएम/ उद्यम पंजीकरण/ एमएसएमई की परिभाषा एमएसएमई–डीआई और विकास आयुक्त–(एमएसएमई) कार्यालयों, आत्म–निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित नई स्कीमों, लोक प्रापण नीति, परीक्षण और गुणवत्ता केंद्र, आदि।

1.4.12. आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत विशेष उपाय

कोविड–19 महामारी के पश्चात, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने तत्परता से राष्ट्र निर्माण में एमएसएमई की भूमिका को मान्यता दी। इस तरह एमएसएमई आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषणाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। इस पैकेज के अंतर्गत, एमएसएमई क्षेत्र को न केवल महत्वपूर्ण आबंटन किया गया है बल्कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उपायों के कार्यान्वयन में प्राथमिकता प्रदान की गई है। एमएसएमई क्षेत्र को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए, इस पैकेज के अंतर्गत विभिन्न घोषणाएं की गई हैं।

देश में एमएसएमई में नई उर्जा उत्पन्न करने के लिए विशेष रूप से भारत सरकार प्रतिबद्ध है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा ऋण संबंधी स्कीमों और अन्य घोषणाओं के अलावा सभी पहलुओं पर ध्यान दे रहा है, एमएसएमई के वित्त पोषण के लिए बेहतर पंहुच हेतु आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत निम्नलिखित दो घोषणाएं की गई:

- **संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रु. का अधिनस्थ ऋण**

- भारत सरकार सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी न्यास को 4,000 करोड़ रु. की सहायता प्रदान करेगी। यह संकटग्रस्त एमएसएमई को इक्विटी सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ ऋण के रुप में 20,000 करोड़ रु. का प्रावधान करेगा।

- संकटग्रस्त अधीनस्थ ऋण हेतु क्रेडिट गांरटी स्कीम (सीजीएसएसडी) को दिनांक 24 जून, 2020 को अंतिम रूप दिया गया है और शुभारंभ किया गया है। दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार, 12 बैंकों का 178 ऋणियों को 17.66 करोड़ रु. की राशि की गारंटी प्रदान की गई है। निधियों के कोष के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रु. का इक्विटी इंफ्यूजन किया गया है।

- माननीय वित्त मंत्री ने दिनांक 13 मई, 2020 को एमएसएमई स्कीम के लिए निधियों के कोष (एफओएफ) की घोषणा की, इससे एमएसएमई के लिए इक्विटी के रूप में 50,000 करोड़ रु. का इंफ्यूज़न होगा। यह एमएसएमई की सहायता क्षमता बढ़ाने के लिए एक फ्रेमवर्क स्थापित करेगा। यह स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने हेतु एमएसएमई के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि स्कीम के दिशानिर्देशों का अनुमोदन कर इन्हें ज़ारी किया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनएसआईसी) की सहायक कंपनी एनएसआईसी वेंचर कैपीटल फंड लिमिटेड को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निगमित किया गया है। इसकी निधियों के कोष के लिए एसपीवी के रूप में पहचान की गई है।

- एसबीआई कैप वैंचर लिमिटेड और खेतान एंड कंपनी को एसआरआई निधि के लिए निधि प्रबंधक/ परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी और वैधानिक सलाहकार के रूप में चयनित किया गया है, मंत्रालय निधियों के कोष के प्रचालन हेतु और कदम उठा रहा है। एसआरआई निधि स्कीम कार्यान्वयन के आरंभिक चरण में है।

इस पहल से इक्विटी सहित ऋण के रूप में निवेशों को आकर्षित करने और एमएसएमई क्षेत्र में अधिक रोज़गार सृजित करने में मदद मिलेगी।

1.4.13 एमएसएमई मंत्रालय का कौशल प्रशिक्षण का पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम)

1.4.13.1 देश में उद्योग के विकास के लिए सही प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए विशेषकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने अपने प्रयास में विभिन्न उभरते हुए तथा परंपरागत क्षेत्रें में उद्यमों के विभिन्न खंडों में कुशल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए एक सशक्त कौशल पारिस्थितिक प्रणाली (इकोसिस्टम) विकसित की है।

मंत्रालय मौजूदा एवं भावी उद्यमियों को उनकी क्षमता निर्माण के लिए कई कौशल विकास कार्यक्रम/पाठ्यक्रम आयोजित करता आ रहा है। ये पाठ्यक्रम उद्यम की मांग के अनुसार एमएसएमई पारिस्थितिकी प्रणाली (इकोसिस्टम) के बदलते परिदृश्य तथा भारत में वर्तमान चुनौतियों के अनुरूप एमएसएमई क्षेत्र में कुशल कार्यबल के अपेक्षित अंतराल को भरने के रास्ते के अनुरूप हैं।

मंत्रालय के अधीन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी), राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) तथा एमएसएमई–प्रौद्योगिकी केन्द्र (टीसी) संस्थानों को एक नेटवर्क द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जाता है।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की पात्रता विद्यालय छोड़ने से लेकर एम. टेक स्तर की रेंज में है। इन संस्थानों द्वारा विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रम अर्थात् प्रमाणपत्र, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, पोस्ट डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों को मजबूती प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग तथा कयर क्षेत्र के परंपरागत क्षेत्र में कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ), कौशल विकास एवं उद्यमिता (एमएसडी) मंत्रालय के साथ उनके प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के अनुरूप बनाने हेतु पहल की है। मंत्रालय के कौशल प्रशिक्षणों की कौशल इण्डिया मिशन कन्वर्जेन्स के अंतर्गत कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) को अवगत कराया जाता है।

1.4.13.2 कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति

मंत्रालय के अधीन संगठन युवाओं को मजदूरी, रोजगार और स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। वे मौजूदा उद्यमियों और कार्यबल को उनका कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। ये प्रशिक्षण विभिन्न स्कीमों जैसे एमएसएमई टीसी, प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता (एटीआई), राष्ट्रीय एससी/एसटी हब, क्षमता–निर्माण, कयर विकास योजना–कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना, इत्यादि के अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, मंत्रालय के अधीन संगठनों द्वारा उद्योग अपेक्षाओं अनुसार ग्राहक अनुकूल मांग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाते हैं।

वर्ष 2014–15 से लेकर 2019–20 में एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति निम्न चार्ट में दी गई है।

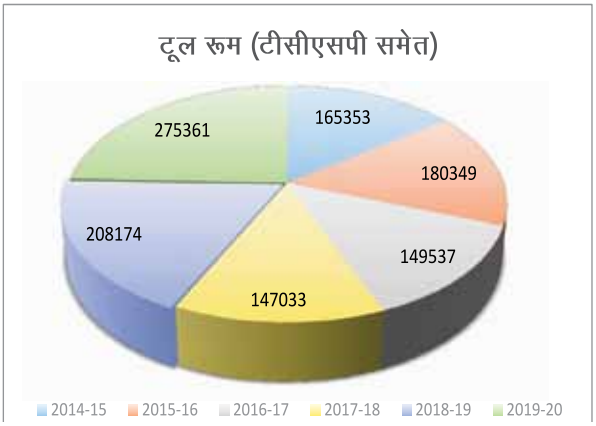

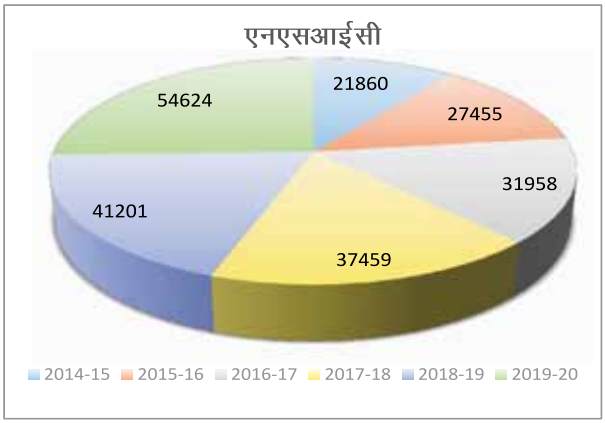

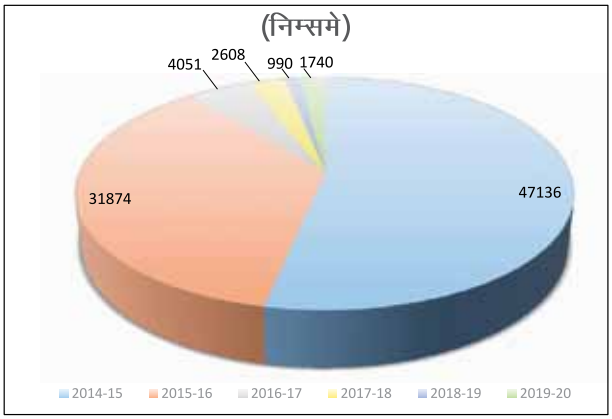

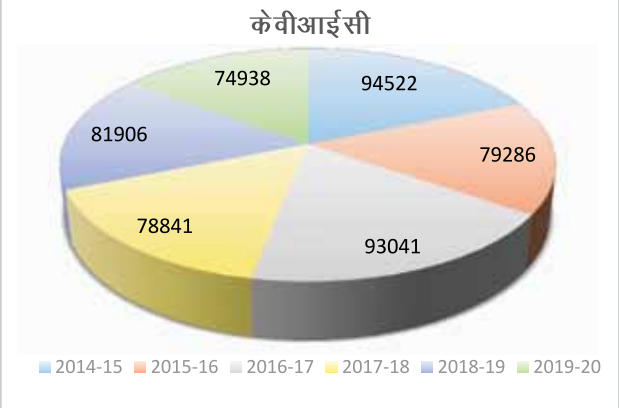

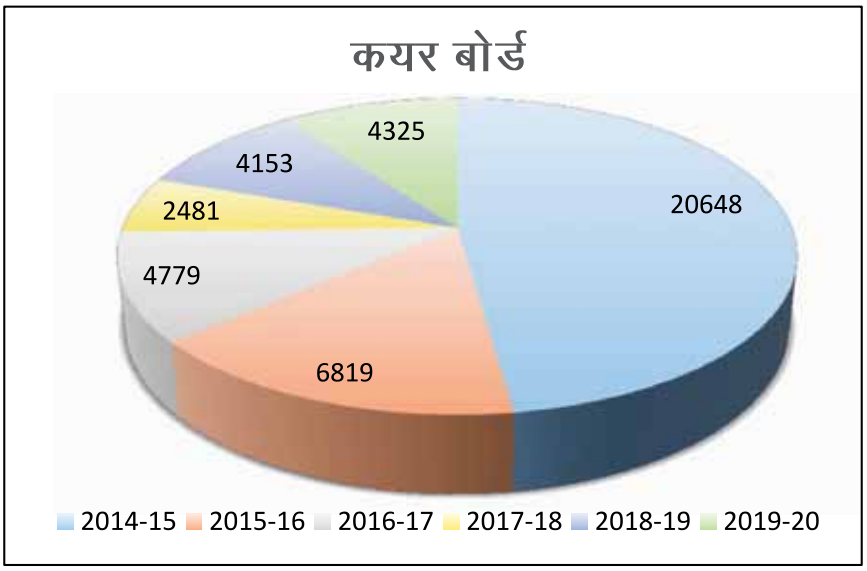

- वर्ष 2020–2021 में दिनांक 31.12.2020 तक कुल 127380 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है।

1.4.13.3 चुनौतियां और आगे के रास्ते

सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र के पास स्थानीय रूप में देश की बेरोजगारी की समस्या का समाधान प्रदान करके राष्ट्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को मजबूत बनाने की संभावना है। इससे आर्थिक असंतुलन के अनुसार भौगोलिक क्षेत्रों के बीच असमानताओं में आगे कमी आयेगी। इसके अतिरिक्त, यह एमएसएमई क्षेत्र में सतत् विकास के समावेशी पैटर्न में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदान करेगा जो महानगरों में जनसंख्या भार को कम करेगा।

तथापि, विश्व वर्तमान में कोविड–19 महामारी से लड़ रहा है। यह एक जैविक युद्ध की स्थिति है और इससे सारा विश्व प्रभावित हो गया है। समस्तरीय और उर्ध्वाधर रूप में विभिन्न क्षेत्रों में फैले एमएसएमई की विविध कौशल अपेक्षाओं को पूरा करना एक चुनौती है। मंत्रालय देश भर में फैले अपने प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से विभिन्न स्तर के पाठ्यक्रमों द्वारा क्षेत्रों की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है।

1.4.14 एमएसएमई मंत्रालय द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा

1.4.14.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दिनांक 16 से 30 जून, 2020 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। कोविड–19 महामारी की वजह से, मार्च, 2020 से देश भर में भारत सरकार ने लॉकडाऊन लगा दिया था; प्राथमिकता के आधार पर कार्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने पर अधिक ज़ोर दिया गया।

1.4.14.2 स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान कोविड–19 महामारी की वजह से, मंत्रालय और इसके अधिनस्थ संगठनों नामतः खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), कयर बोर्ड, निम्समे, एमगिरी और एमएसएमई–डीआई ने कार्यालय परिसरों में नियमित रूप से स्वच्छता के कार्य किए।

1.4.15 माननीय प्रधान मंत्री ने एमएसएसमई क्षेत्र के सुदृढीकरण के लिए दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को एमएसएमई को सहायता और आउटरीच कार्यक्रम में 12 प्रमुख घोषणाएं की। इन 12 प्रमुख घोषणाओं का उद्देश्य पहुंच ऋण, बाज़ार पहुंच, प्रौद्योगिकी उन्नयन, व्यवसाय करने में आसानी और एमएसएमई के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा आदि जैसी एमएसएमई की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करना है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

मंत्रालय (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार) से संबंधित 12 प्रमुख घोषणाओं की स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	घोषणा	31.12.2020 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
1	एमएसएमई के लिए ऋण की आसान पहुँच को समर्थ करने के लिए 59 मिनट ऋण पोर्टल का शुभारंभ। पोर्टल के माध्यम से 1 करोड़ रु. तक के ऋणों का सैद्धांतिक अनुमोदन। जीएसटी पोर्टल के माध्यम से पोर्टल लिंक।	• 70418 करोड़ रु. सहित 2,20,518 ऋण स्वीकृत किए गए हैं। • 58,044 करोड़ रु. सहित 2,06,433 ऋण संवितरण किए गए।
2.	(i) वृद्धिवर्धक ऋणों पर सभी जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई हेतु 2 प्रतिशत ब्याज आर्थिक सहायता।	• सिडबी ने 58 बैंकों/ एनबीएफसी से 825 करोड़ रु. के दावे प्राप्त किए हैं और इनका समायोजन किया है।
	(ii) शिपमेंट पूर्व एवं शिपमेंट पश्चात ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिए ब्याज छूट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना।	• उसी क्षेत्र और कवरेज के साथ स्कीम दिनांक 31.3.2021 तक बढ़ाई गयी है। डीजीएफटी ने दिनांक 14.05.2020 को ट्रेड नोटिस सं. 11 इस संबंध में सविस्तृत विवरण देते हुए किया है। • इस स्कीम के लिए बजट अनुमान 2020–21 के अंतर्गत 2300 करोड़ रु. का आबंटन किया गया है, इसमें से अब तक 781 करोड़ रु. भारतीय रिजर्व बैंक के पहले ही ज़ारी किए गए हैं।
3.	(i) 500 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाली कंपनियों को ट्रेड रिसिवेबल ई–डिस्काऊंटिंग सिस्टम (ईआरईडीएस) पर लाया गया जिससे आगामी प्राप्तियों आधारित ऋण पहुंच हेतु उद्यमियों को सशक्त कर सकें।	• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 500 करोड़ रु. से अधिक का कारोबार करने वाली 4599 कंपनियों की सूची चिह्नित की गयी। 4599 कंपनियों में से अभी तक 1461 कंपनियों ने टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर स्वयं पंजीकरण करा लिया है।
	(ii) सभी सीपीएसयू टीआरईडीएस प्लेटफार्म पर ऑनबोर्ड किए जाएं।	• टीआरईडीएस पर 170 सीपीएसई पहले ही ऑनबोर्ड हो गई। • सीपीएसई क्षेत्र की 3903 एमएसएमई पंजीकृत की गई।
4.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) इकाइयों मध्यम और लघु उद्यमों से 20% के स्थान पर 25% की खरीद अनिवार्य है।	• अभी तक वर्ष 2020–21 के दौरान अब तक, सीपीएसयू ने अभी तक 89911 एमएसई से 18,963.05 करोड़ रु. मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं का प्रापण किया है जो कुल प्रापण के 33.26% मूल्य की हैं।
5.	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) को 25% के प्रापण में से महिला उद्यमियों से 3% प्रापण अनिवार्य किया है।	• वर्ष 2020–21 के दौरान, सीपीएसयू ने महिला स्वामित्व की 2374 एमएसई से किया है जिनका वस्तु एवं सेवा मूल्य 357.81 करोड़ रु. है जो कुल प्रापण के 0.63% मूल्य की हैं।
6.	सीपीएसयू को अनिवार्य रुप से पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल जैम– गर्वनमेंट ई–मार्केट प्लेस का भाग होना अनिवार्य है। सीपीएसयू अपने विक्रेताओं का जैम पोर्टल पर पंजीकरण कराए।	• दिनांक 02.11.2018 के बाद से जेम पोर्टल पर 277 सीपीएसयू/ सीपीएसबी को ऑनबोर्ड / पंजीकृत किया हैं। • जैम पोर्टल पोर्टल पर कुल 4,06,936 एमएसई विक्रेता और सेवाप्रदाताओं पंजीकृत हुए। • जैम पोर्टल पर ऑर्डल मूल्य का 57.92% एमएसई क्षेत्र का है।

क्र. सं.	घोषणा	31.12.2020 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
7.	6000 करोड़ रु. की निधि आबंटन के साथ देश भर में प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए टूल रुमों के रूप में 20 हब और 100 स्पोक में स्थापित किए जाए।	• प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) और विस्तार केंद्रों (ईसी) के लिए मॉडल डीपीआर विकसित की गई। • अनुमोदन ईसी हेतु 35 स्थान।
		• विस्तार केंद्रों के इन 35 स्थानों में से 22 विस्तार केंद्रों की डीपीआर अनुमोदित। • वर्ष 2019–20 के दौरान 22 विस्तार केंद्रों के लिए 128 करोड़ रु. का सहायता अनुदान ज़ारी किया। • 13 विस्तार केंद्रों का संचालन शुरु हो गया है। • माह दिसम्बर, 2020 में, 10 विस्तार केंद्रों ने 1593 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। • अन्य 6 विस्तार केंद्रों की डीपीआर तैयार की गई। इनका अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।
8.	फार्मा एमएसएमई के लिए क्लस्टर बनाए और भारत सरकार की 70% सहायता प्रदान की गई।	• दिनांक 31.01.2019 को पुणे प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया और अन्य तीन जिलों अर्थात– सोलन (बद्दी), इंदौर और औरंगाबाद के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।
9.	सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए 8 श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय कानूनों हेतु फाईल किए जाने के लिए केवल एक वार्षिक रिटर्न।	• वर्ष 2019 के लिए, 31,927 एकीकृत वार्षिक रिर्टन प्राप्त की गई है।
10.	सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए निरीक्षकों द्वारा फर्मों का दौरा करने के लिए कंप्यूटरीकृत रेंडम आबंटन।	• श्रमसुविधा पोर्टल के माध्यम से जोखिम आधारित कंप्यूटरीकृत रैंडम आबंटन सिस्टम के अनुसरण से निरीक्षणों को पारदर्शी किया है। • 24,833* स्थापना (एमएसएमई स्थापनाओं समेत) का निरीक्षण किया गया है और सभी निरीक्षण रिपोर्टों को श्रम सुविधा पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जिनमें से 23,827* रिपोर्टें 48 घंटों के भीतर की अपलोड गई हैं। *ये आंकड़े 01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के हैं।
11.	वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कानूनों के अंतर्गत इकाई स्थापित करने के लिए पर्यावरणीय अनुमतियों को और सहमतियां को एकल सहमति हेतु मिलायी जाय। स्व–प्रमाणन आधार पर रिर्टन स्वीकार हो।	• अभी मामला न्यायाधीन है।

क्र. सं.	घोषणा	31.12.2020 की स्थिति अनुसार अद्यतन स्थिति का सारांश
12.	न्यायालय से अप्रोच करने की बजाय सरल प्रक्रियाओं के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लघु उल्लंघनों को सही करने हेतु उद्यमियों को सक्षम बनाने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है।	• कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 02.11.2018 को प्रख्यापित अध्यादेश अब कंपनी (संशोधित) अधिनियम, 2019 बन गया है। इसने न्यायालय को दंड लगाने हेतु अप्रोच करने की बजाय (जुर्माना/ सजा लागू करना) सरल प्रक्रियाओं (दंड लगाना) के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत लघु उल्लंघनों को सही करने में उद्यमियों को सक्षम किया। दंड लगाने के लिए आरओसी द्वारा सभी मामलों पर की गई सुनवाई को कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाईट पर अपलोड किया जाता है।

1.4.16 मंत्रालय और इसके संगठनों द्वारा कोविड–19 से लड़ने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य:

1.4.16.1 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) द्वारा कोविड–19 से संबंधित मैडिकल और सहायक मदों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना:

प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) ने कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए यूवी लाईट के उपयोग से कार्यालय की फाईलों और अन्य वस्तुओं को सेनिटाईज करने के लिए बॉक्स, प्लाज़मा आधारित सैनिटाईज़र, सटीक आईआर थर्मामीटर, संपर्क रहित डिस्पेंसर आदि जैसे नवप्रवर्तनकारी उत्पादों का विकास किया है और कोरोना परीक्षण उपकरण, हॉट टेप सीलिंग (पीपीई कवर रेलों के लिए महत्वपूर्ण प्रचालन), मॉस्क, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मान्य गुणवत्ता वाले अल्कोहल आधारित सैनिटाईज़र, सैनिटाईज़र पंप फेस शील्ड आदि के स्वदेशी घटकों का विनिर्माण कर रहे हैं। इनका वित्त पोषण मंत्रालय द्वारा किया गया है ताकि इन कार्यकलापों को शुरू किया जा सके और उन मदों का उत्पादन करने और इस अवसर से लाभ उठाने में एमएसएमई की सहायता की जा सके।

1.4.16.2 एमएसएमई मंत्रालय के एमएसएमई विकास संस्थानों (एमएसएमई–डीआई) द्वारा कोविड महामारी से संबंधित की गई कार्रवाई:

- विकास संस्थानों ने बैंक ऋणों, उद्यम पंजीकरण, ई–पास और वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के लिए औद्योगिक संघों के साथ मिल–जुल कर कार्य किए और पथप्रदर्शन सहायता प्रदान की।
- विकास संस्थानों मास्कों, पीपीई किटों आदि के विनिर्माण के लिए कच्चे माल की खरीद हेतु एमएसएमई इकाइयों की सहायतार्थ राज्य सरकारों के साथ भी कार्य किया।
- एमएसएमई डीआई ने विभिन्न हितधारकों जैसे उद्योग संघों, चैंबर ऑफ कॉमर्स, राज्य सरकार की एजेंसियों, बैंकों, महामारी के दौरान की चुनौतियों की पहचान के लिए एमएसएमई इकाइयों के साथ चर्चा की और चुनौतियों को काबू करने के लिए सहायता प्रदान की।
- एमएसएमई डीआई सरकार की स्कीमों के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए भी एमएसएमई इकाइयों का जरूरी मार्गदर्शन कर रहे हैं।
- ये चैंपियनस नियंत्रण कक्ष का भाग हैं और इसलिए शिकायत निवारण के लिए स्थानीय स्तर पर केंद्रीय स्थल हैं।

- कोविड महामारी के दौरान डिजिटल माध्यमों/ सोशल मीडिया अभियानों सहित सभी एमएसएमई–डीआई के मध्य अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में, एमएसएमई–डीआई आगरा ने 1,100 एमएसएमई की सहायता की है, वहीं एमएसएमई–डीआई इंदौर ने 800 एमएसएमई, एमएसएमई–डीआई अहमदाबाद ने 400 एमएसएमई तथा एमएसएमई– डीआई करनाल ने 100 एमएसएमई तथा एमएसएमई–डीआई त्रिशूर ने 250 एमएसएमई की मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन से सहायता प्रदान की है।

- सिडबी की सेफ स्कीम के संबंध में सूचना जिसके माध्यम से एमएसएमई–डीआई, अहमदाबाद, एमएसएमई–डीआई, गंगटोक, एमएसएमई–गोवा, एमएसएमई–डीआई, इंदौर, एमएसएमई–डीआई करनाल अन्य एमएसएमई–डीआई द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को विभिन्न फोरमों के माध्यम से 5 प्रतिशत ब्याज की दर से संयंत्र/ मशीनरी, कच्चे माल की खरीद के लिए ऋण का प्रसार किया है।

- एमएसएमई–डीआई, करनाल ने इस पोर्टल पर औद्योगिक/ वाणिज्यिक स्थापनाओं के लॉकडाउन के दौरान संचालन और आवाजाही के लिए एपलिकेशन हेतु सरल हरियाणा पोर्टल के उपयोग के संबंध में हरियाणा में एमएसएमई संघों को जागरुक किया है।

- कोविड–19 महामारी ने महाराष्ट्र राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया, एमएसएमई–डीआई, नागपुर ने आईजीटीआर, नागपुर सहयोग से लॉकडाउन के दौरान जरुरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री का वितरण किया है। ऑरेंज सिटी क्लस्टर, सीएफसी, नागपुर ने लगभग 20,000 निजी सुरक्षा किटों (पीपीई) को तैयार किया है। माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री के निदेश अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए संपूर्ण शरीर को ढकने वाले गाउन, मास्क, चश्में की आपूर्ति की गई है।

- आत्मनिर्भर भारत की घोषणा के अनुसरण में, सभी एमएसएमई विकास संस्थानों से निम्नवत दो कार्यों के संबंध में सुझाव मांगे गए थेः –

कार्य 1– कोविड के दौरान एमएसएमई के समक्ष समस्याएं और उनका संभावित समाधान।

कार्य 2 – एमएसएमई में डिजिटलीकरण कैसे किए जाएं/ इस कार्य में तेज़ी लाई जाए?

दोनों विषयों पर, प्रत्येक विकास संस्थान ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं। इन सुझावों को संकलित किया गया और इन सुझावों पर प्रस्तुति दी गईं। इसके अतिरिक्त, निम्न थीम पर 5 उप–समूह बनाए गएः–

i. हमारा सिस्टम – सिस्टम अर्थात सक्षम प्रौद्योगिकी के माध्यम से 21वीं सदी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो विगत सदी की नीतियों पर आधारित न हो।

ii. एमएसएमई की वाईब्रेंट जनसंख्यिकी (डेमोग्राफी)

iii. अर्थव्यवस्था के संबंध में एमएसएमई के समक्ष चुनौतियां

iv. न्यू इंडिया मिशन में एमएसएमई के सतत विकास के लिए अवसंरचना की भूमिका।

v. मांग–आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन

प्रत्येक उप–समूह ने वेबीनारों के माध्यम से माह जुलाई–2020 में विभिन्न तारीखों में पॉवर पॉइंट प्रेसेंटेशन प्रस्तुत किए। ये प्रजेंनटेशन वेबसाईट http://dcmsme.gov.in/aatmanirbhar_presentation.htm पर उपलब्ध

हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों को वर्चुअल कांफ्रेंस के दौरान उठाए गए मुद्दों/ शिकायतों का समाधान करने के साथ–साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने और कार्यात्मक बिंदुओं का पालन करने के निदेश दिए गए।

- एनएसआईसी को दिनांक 14.10.2020 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में (सामाजिक विकास में सीएसआर की पहलों) में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। एमएसएमई क्षेत्र में हर संभव सुविधा देने के लिए तथा कोविड–19 महामारी से लड़ने के लिए सीएसआर पहल के अंतर्गत एनएसआईसी के योगदान की पहचान के लिए विश्व सीएसआर कांग्रेस द्वारा यह प्रतिष्ठित पुरस्कार प्रदान किया गया।

1.4.17 आपात ऋण गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस):

सरकार ने 3,00,000 करोड़ रु. की कालेट्रल फ्री लोन स्कीम का प्रचालन किया है जिससे 45 लाख एमएसएमई को लाभ पहुंचने की संभावना है। यह स्कीम सदस्य लेंडिंग संस्थाओं (एमएलआई) को प्रोत्साहन प्रदान करने के माध्यम से एमएसएमई को यथाआवश्यक राहत प्रदान करता है ताकि कम लागत पर अतिरिक्त ऋण उपलब्ध हो सके जिससे एमएसएमई अपने प्रचालन दायित्वों को पूरा करने में सक्षम हो सकें और अपना व्यवसाय पुनः प्रारंभ कर सकें। इस स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 3 अगस्त, 2020 तक 1,37,587.54 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं और 92,090.24 करोड़ रु. का संवितरण किया गया है।

1.4.18 गवनमेंट ई–मार्केट प्लेस:

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय जैम के लिए इच्छा व्यक्त करने वालों को सक्षम बनाने हेतु उद्यम पंजीकरण ऑनलाईन फर्म में एमएसएमई के लिए बटन प्रदान करके पहले से ही प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास कर रहा है। जेम पोर्टल पर स्वयं ऑनबोर्ड करने हेतु हाल में, जैम पोर्टल पर ऑनबोर्ड होने के लिए सभी उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) धारकों को बड़ी मात्रा में ई–मेल प्रेषित किए गए है। जैम पर यूएमए डाटाबेस हेतु पंहुच और जैम पर सभी एमएसएमई के ऑटोमैटिक ऑनबोर्ड के लिए अस्थाई रूप से उपलब्ध कराई गई है।

दिनांक 11.01.2021 के जैम पोर्टल के अनुसार अनुसार, कुल ऑनबोर्ड एमएसई और उनका ऑर्डर मूल्य निम्नानुसार है:

एमएसएमई विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं की संख्या	आर्डर मूल्य (एमएसई %)
409,937	57.89

एमएसएमई क्षेत्र का दृश्यावलोकन और कार्य–निष्पादन

2.1 भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की भूमिका

2.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) व्यवसाय नवप्रवर्तनों के माध्यम से उद्यमीय प्रयासों के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। एमएसएमई घरेलू एवं वैश्विक बाजारों की मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन और सेवाएं प्रदान करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014–15 से 2018–19 तक वर्तमान मूल्यों पर देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) तथा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान निम्नानुसार है:

तालिका 2.1.: अखिल भारतीय जीडीपी में एमएसएमई के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का हिस्सा

वर्तमान मूल्य पर एफआईएसआईएम के लिए समायोजित आंकड़े करोड़ रुपये में						
वर्ष	कुल एमएसएमई जीवीए	वृद्धि (%)	कुल जीवीए	जीवीए में एमएसएमई का हिस्सा (%)	अखिल भारतीय जीडीपी	जीडीपी में एमएसएमई का हिस्सा (% में)
2014-15	3658196	-	11504279	31.80	12467959	29.34
2015-16	4059660	10.97	12574499	32.28	13771874	29.48
2016-17	4502129	10.90	13965200	32.24	15391669	29.25
2017-18	5086493	12.98	15513122	32.79	17098304	29.75
2018-19	5741765	12.88	17139962	33.50	18971237	30.27

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

2.1.2 वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान वर्तमान मूल्यों पर देश के कुल विनिर्माण जीवीओ (उत्पादन का सकल मूल्य) में विनिर्माण एमएमएमई का योगदान भी 33% पर स्थिर रहा है अर्थात् एक तिहाई

---

1. सकल मूल्य वर्धित (जीवीए): यह नोट किया जाए कि जीवीए का आकलन पूर्व श्रृंखलाओं (आधारवर्ष 2004–05) में कारक मूल्यों पर तैयार किया गया था जबकि इन्हें नई श्रृंखलाओं (2011–12) में मूल कीमतों पर तैयार किया जा रहा है । प्रोडक्शन एप्रोच द्वारा आकलित जीवीए: (जीवीए=उत्पाद–लगायी गई सामग्री) तथा इनकम एप्रोच द्वारा आकलित जीवीए: (जीवीए=कर्मचारियों की क्षतिपूर्णत+संचालन अधिशेष+सीएफसी)
2. **सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी):** आधारभूत मूल्यों पर जीवीए में उत्पादों पर करों को जोड़कर, उत्पादों पर नेट सब्सिडी द्वारा जीडीपी आकलित की जाती है।
3. एफआईएसआईएम का अर्थ अप्रत्यक्ष रूप से मापित वित्तीय मध्यस्थता सेवा है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली में यह वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं, जैसे कि बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के मूल्य का आकलन है जिसके लिए कोई सुनिश्चित प्रभार नहीं लिया जाता है; इसकी बजाय इन सेवाओं का भुगतान बचत करने वालों और उधार लेने वालों पर प्रयुक्त दरों के बीच मार्जिन के भाग के रूप में किया जाता है। तर्क यह है कि यदि सभी वित्तीय सेवों पर सुनिश्चित प्रभार होगा तो बचत करने वाले कम ब्याज पाएंगे और उधार लेने वाले अधिक ब्याज दर का भुगतान करेंगे।
4. **सकल मूल्य उत्पादन (जीवीओ):** विनिर्माण उत्पादन को लेखा वर्ष के दौरान उत्पादों और उप–उत्पादों की फैक्टरी कीमत (अर्थात् सब्सिडी आदि, यदि कोई हो, सहित बिक्री पर करों, शुल्कों आदि सहित) और अर्ध–निर्मित वस्तुओं के निवल मूल्य, अर्ध–निर्मित उत्पादन, और दूसरों को प्रदान की गई औद्योगिक और गैर–औद्योगिक सेवाओं के लिए प्राप्तियों, वर्तमान वर्ष में बेची गई पिछले वर्ष की अर्ध–निर्मित वस्तुओं के मूल्य, जिस हालत में खरीदी गई उसी हालत में बेची गई वस्तुओं के बिक्री मूल्य और पैदा की गई और बेची गई बिजली के मूल्य को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

2.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एनएसएस के 73वें दौर के सर्वेक्षण (2015–16) के मुख्य परिणाम

2.2.1 देश में एमएसएमई की अनुमानित संख्याः

2.2.1.1 भारत में एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम पूंजी लागत पर बड़े रोजगार अवसर प्रदान करते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और साथ ही ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के जरिये और अन्य बातों के साथ–साथ क्षेत्रीय असंतुलित को कम करके राष्ट्रीय आय और संपत्ति का अधिक समान वितरण सुनिश्चित कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें दौर के अनुसार, (क) फैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 12एम(i) और 2एम (ii), (ख) कंपनी अधिनियम, 1956 और (ग) राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एनआईसी) 2008 की धारा एफ के तहत आने वाले निर्माण कार्यकलापों के तहत पंजीकृत एमएसएमई को छोड़कर देश में 633.88 लाख अनिगमित गैर–कृषि एमएसएमई विभिन्न आर्थिक कार्यकलापों में लगे थे (196.65 लाख विनिर्माण में, 0.03 लाख नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण[1] 230.35 लाख व्यापार में और 206.85 लाख अन्य सेवाओं में)। तालिका 2.1 और चित्र 2.1 कार्यकलाप वार एमएसएमई के वितरण को दर्शाते हैं।

तालिका 2.1 : एमएसएमई की अनुमानित संख्या (कार्यकलाप वार)

कार्यकलाप श्रेणी	उद्यमों की अनुमानित संख्या (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	114.14	82.50	**196.65**	**31**
बिजली*	0.03	0.01	**0.03**	**0**
व्यापार	108.71	121.64	**230.35**	**36**
अन्य सेवाएं	102.00	104.85	**206.85**	**33**
कुल	**324.88**	**309.00**	**633.88**	**100**

' नॉन–कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण

चित्र 2.1 अनुमानित एमएसएमई का वितरण (कार्यकलाप की प्रकृति)

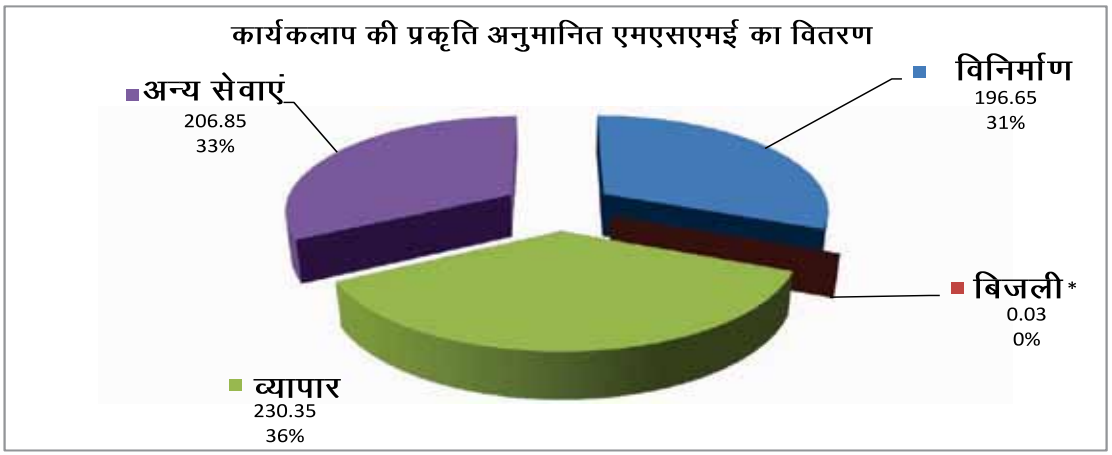

*नॉन– कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण

[1] उन इकाइयों द्वारा नॉन–कैप्टिव विद्युत शक्ति उत्पादन, संचरण और वितरण जो केन्द्रिय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत नहीं है।

2.2.1.2 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों के साथ सूक्ष्म क्षेत्र का एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में 99% से अधिक हिस्सा है। 3.31 लाख के साथ लघु क्षेत्र और 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई के साथ मध्यम क्षेत्र का कुल अनुमानित एमएसएमई में क्रमशः 0.52% और 0.01 हिस्सा है। 633.88 लाख अनुमानित एमएसएमई में से 324.88 लाख एमएसएमई (51.25 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 309 लाख एमएसएमई (48.75 प्रतिशत) शहरी क्षेत्र में हैं। तालिका संख्या 2.2 और चित्र 2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण को दर्शाते हैं। अनुमानित एमएसएमई की राज्य–वार संख्या अनुबंध–1 में संलग्न है।

तालिका संख्या 2.2: उद्यमों का वितरण (ग्रामीण और शहरी क्षेत्र वार)

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
ग्रामीण	324.09	0.78	0.01	324.88	51
शहरी	306.43	2.53	0.04	309.00	49
कुल	**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**	**100**

चित्र 2.2: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई के हिस्से की प्रतिशतता

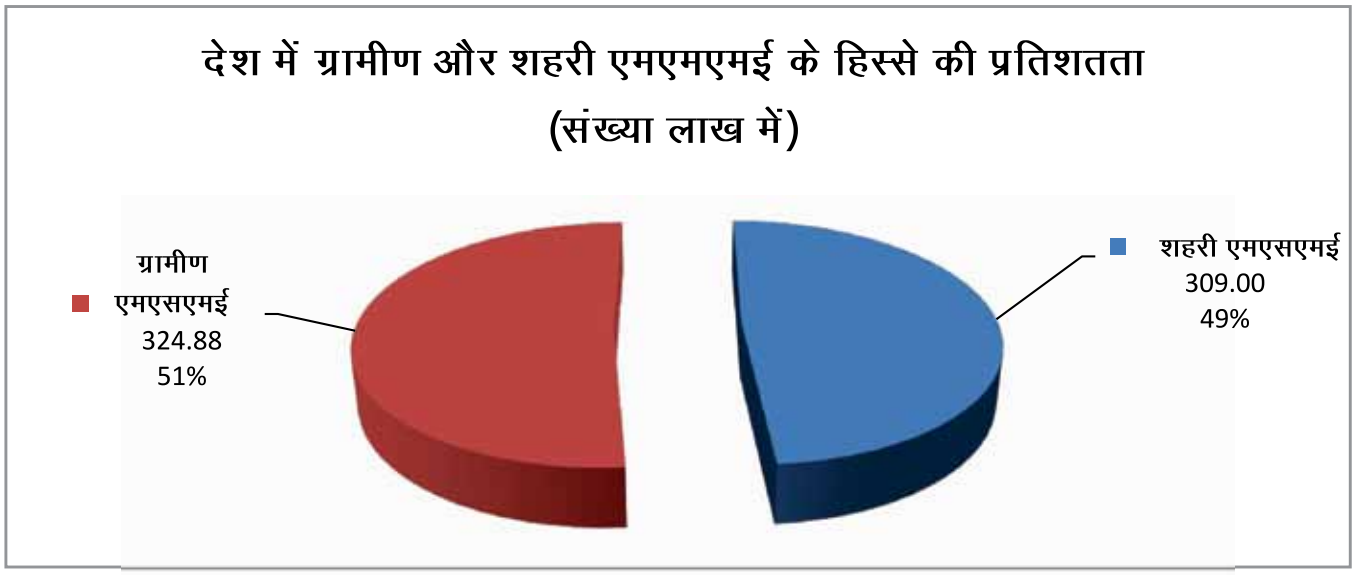

2.2.2 उद्यमों के स्वामित्व का प्रकार

2.2.2.1 पुरुष/महिला स्वामित्व

633.88 एमएसएमई में से 608.41 लाख (95.98 प्रतिशत) एमएसएमई मालिकाना कारोबार थे। स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में पुरूषों का वर्चस्व था। इसलिए पूर्ण रूप से स्वामित्व वाले एमएसएमई के लिए महिलाओं द्वारा स्वामित्व वाले 20.37% उद्यमों के मुकाबले 79.63% पर पुरुषों का स्वामित्व का। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस संरचना में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं था हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में पुरूष स्वामित्व वाले उद्यमों का वर्चस्व थोड़ा अधिक (77.76 प्रतिशत के मुकाबले 81.58 प्रतिशत) था।

तालिका 2.3: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण का प्रतिशत (पुरूष/महिला स्वामित्व)

क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
ग्रामीण	77.76	22.24	100
शहरी	81.58	18.42	100
कुल	**79.63**	**20.37**	**100**

तालिका 2.4 : पुरूष/महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता

क्षेत्र	पुरूष	महिला	कुल
सूक्ष्म	79.56	20.44	100
लघु	94.74	5.26	100
मध्यम	97.33	2.67	100
कुल	79.63	20.37	100

2.2.3 सामाजिक श्रेणी वार उद्यमों का स्वामित्व

2.2.3.1 एमएसएमई का 66.27 प्रतिशत स्वामित्व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का है। जिसमें से सर्वाधिक भाग पर अन्य पिछड़ा वर्ग का स्वामित्व था (49.72 प्रतिशत)। एमएसएमई क्षेत्र में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 12.45 प्रतिशत और 4.10 प्रतिशत पर कम था। ग्रामीण क्षेत्रों में, एमएसएमई का लगभग 73.67 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्वामित्व वाले थे जिनमें से 51.59 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे। शहरी क्षेत्रों में, लगभग 58.68 प्रतिशत सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित थे, जिनमें से 47.80 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित थे।

तालिका 2.5 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामाजिक वर्ग के स्वामित्व वाले उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता।

क्षेत्र	अजा	अजजा	अपिव	अन्य	ज्ञात नहीं	कुल
ग्रामीण	15.37	6.70	51.59	25.62	0.72	100.00
शहरी	9.45	1.43	47.80	40.46	0.86	100.00
कुल	12.45	4.10	49.72	32.95	0.79	100.00

चित्र 2.3 ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता (सामाजिक वर्ग वार)

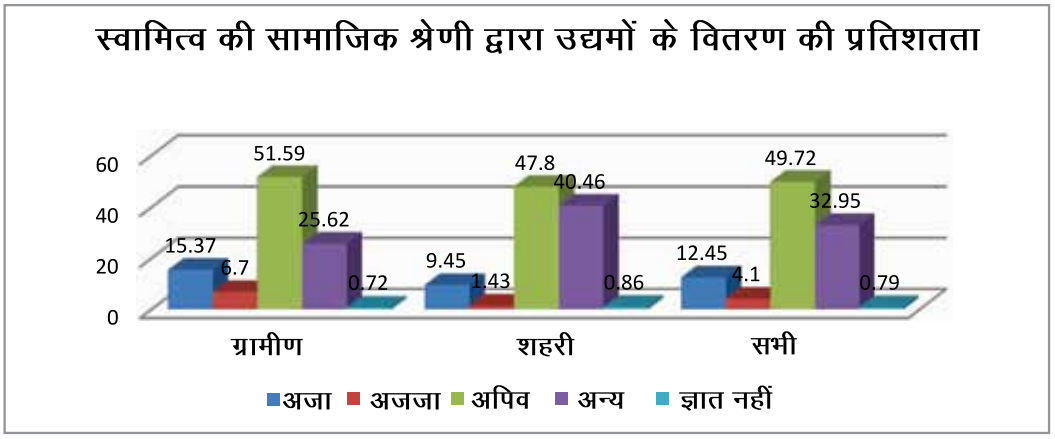

2.2.3.2 एमएसएमई क्षेत्र के तीनों खंडों में से प्रत्येक में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के स्वामित्व वाले उद्यमों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि सूक्ष्म क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का 66.42% उद्यमों पर स्वामित्व था जबकि लघु और मध्यम क्षेत्र में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का क्रमशः 36.80: और 24.94% उद्यमों पर स्वामित्व था।

तालिका 2.6 सामाजिक श्रेणी–वार उद्यमों के वितरण की प्रतिशतता

क्षेत्र	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अन्य	ज्ञात नहीं	कुल
सूक्ष्म	12.48	4.11	49.83	32.79	0.79	100
लघु	5.50	1.65	29.64	62.82	0.39	100
मध्यम	0.00	1.09	23.85	70.80	4.27	100
कुल	**12.45**	**4.10**	**49.72**	**32.95**	**0.79**	**100**

चित्र 2.4: स्वामी और श्रेणी के सामाजिक वर्ग द्वारा उद्यमों के प्रकार के वितरण की प्रतिशतता

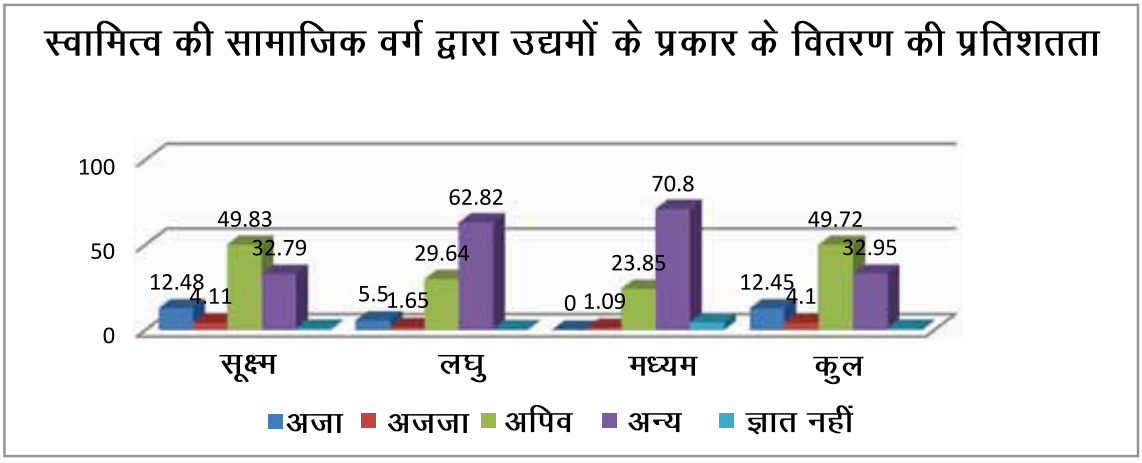

2.2.4 रोजगार

2.2.4.1 2015–16 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 73वें दौर के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र ने देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 11.10 करोड़ रोजगार (विनिर्माण में 360.41 लाख, नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण में 0.07 लाख, व्यापार में 387.18 लाख और अन्य सेवाओं में 362.82 लाख) सृजित किए हैं।

तालिक 2.7: एमएसएमई क्षेत्र में अनुमानित रोजगार (कार्यकलाप वार)

विस्तृत कार्यकलाप श्रेणी	रोजगार (लाख में)			हिस्सा (%)
	ग्रामीण	शहरी	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
विनिर्माण	186.56	173.86	360.41	32
बिजली*	0.06	0.02	0.07	0
व्यापार	160.64	226.54	387.18	35
अन्य सेवाएं	150.53	211.69	362.22	33
कुल	**497.78**	**612.10**	**1109.89**	**100**

* *नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचरण*

चित्र 2.5: एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार का वितरण श्रेणी–वार

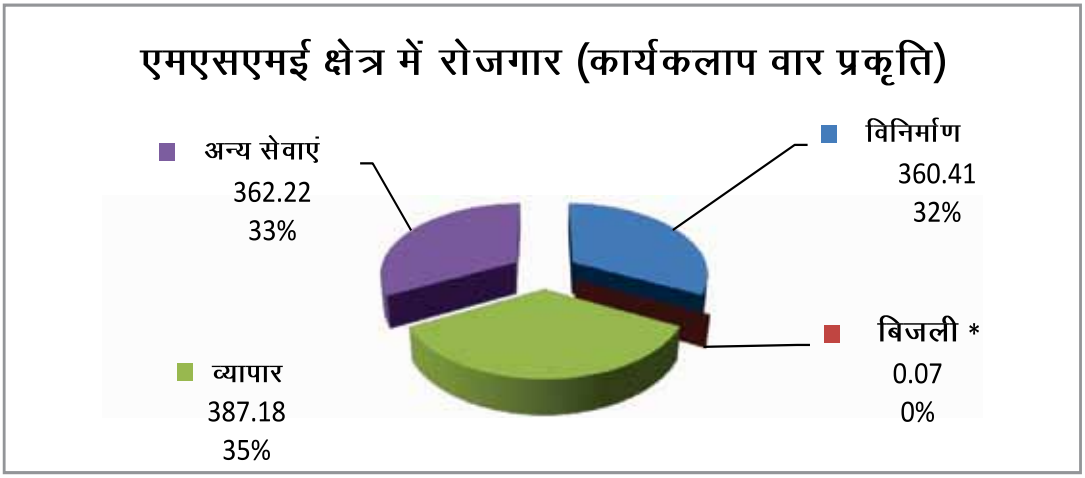

** *नॉन कैप्टिव बिजली उत्पादन और संचारण*

2.2.4.2 सूक्ष्म क्षेत्र में 630.52 लाख अनुमानित उद्यमों ने 1076.19 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जो इस क्षेत्र में कुल रोजगार का लगभग 97% है। एमएसएमई क्षेत्र में कुल रोजगार में से लघु क्षेत्र में 3.31 लाख और मध्यम क्षेत्र में 0.05 लाख अनुमानित एमएसएमई ने क्रमशः 31.95 लाख (2.88%) और 1.75 लाख (0.16%) व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। तालिका 2.8 और चित्र 2.6 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रवार रोजगार के वितरण को दर्शाते हैं। रोजगार का राज्य–वार वितरण अनुबंध–II में दिया गया है।

तालिका 2.8 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उद्यमों के प्रकार द्वारा रोजगार का वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	सूक्ष्म	लघु	मध्यम	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	489.30	7.88	0.60	**497.78**	**45**
शहरी	586.88	24.06	1.16	**612.10**	**55**
कुल	1076.19	31.95	1.75	**1109.89**	**100**

चित्र 2.6: देश में ग्रामीण और शहरी एमएसएमई के हिस्से की प्रतिशतता

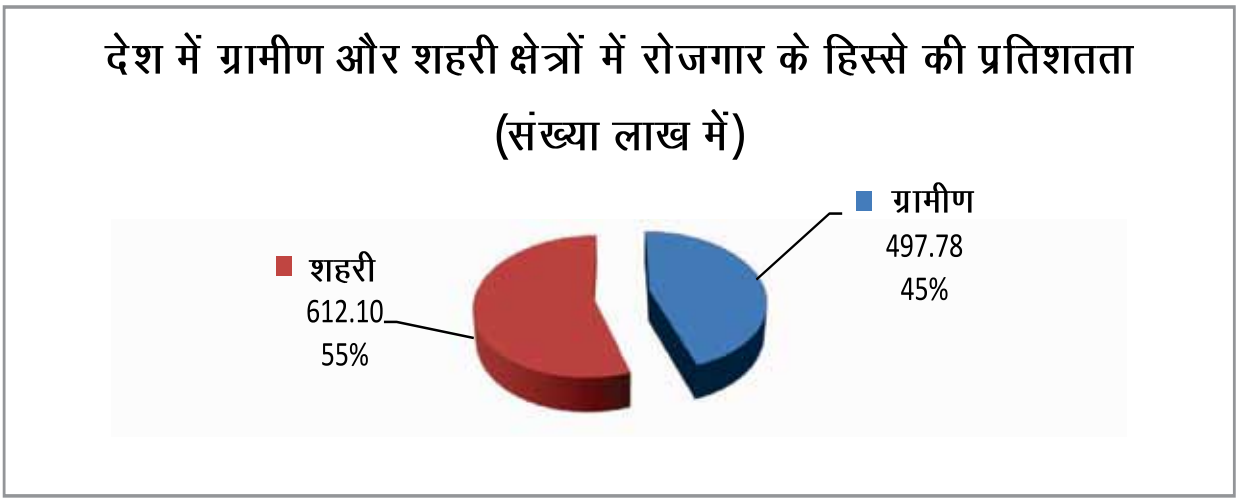

2.2.4.3 एमएसएमई क्षेत्र में 1109.89 लाख कर्मचारियों में से 844.68 लाख (76%) पुरुष कर्मचारी हैं और शेष 264.92 लाख (24%) महिलाएं हैं। तालिका 2.9 और चित्र 2.7 महिला और पुरुष श्रेणी में कामगारों के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाते हैं।

तालिका 2.9 : ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लिंग के आधार पर कामगारों का वितरण

(संख्या लाख में)

क्षेत्र	महिला	पुरुष	कुल	हिस्सा (%)
ग्रामीण	137.50	360.15	497.78	45
शहरी	127.42	484.54	612.10	55
कुल	264.92	844.68	1109.89	100
हिस्सा (%)	**24**	**76**	**100**	

चित्र 2.7: पुरुष और महिला श्रेणी में कामगारों का वितरण

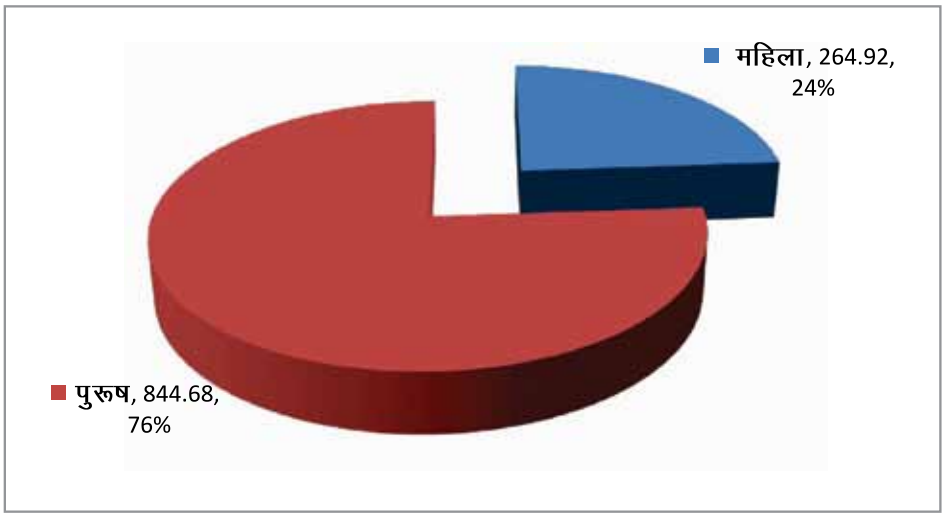

2.2.5 अनुमानित एमएसएमई का राज्यवार वितरण

2.2.5.1 देश में एमएसएमई के 14.20% हिस्से के साथ उत्तर प्रदेश राज्य में अनुमानित एमएसएमई की सर्वाधिक संख्या हैं। देश में एमएसएमई की कुल अनुमानित संख्या में से शीर्ष 10 राज्यों में ही 74.05% एमएसएमई हैं। तालिका 2.10 और चित्र 2.8 शीर्ष दस राज्यों में उद्यमों का अनुमानित वितरण दर्शाते हैं।

तालिका 2.10 उद्यमों का राज्य–वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एमएसएमई की अनुमानित संख्या	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (% में)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14
3	तमिलनाडु	49.48	8
4	महाराष्ट्र	47.78	8

5	कर्नाटक	38.34	6
6	बिहार	34.46	5
7	आंध्र प्रदेश	33.87	5
8	गुजरात	33.16	5
9	राजस्थान	26.87	4
10	मध्य प्रदेश	26.74	4
11	उपर्युक्त दस राज्यों का कुल	**469.36**	**74**
12	अन्य राज्य/संघ शासित प्रदेश क्षेत्र	**164.52**	**26**
13	**कुल**	**633.88**	**100**

चित्र 2.8: शीर्ष दस राज्यों में एमएसएमई का वितरण

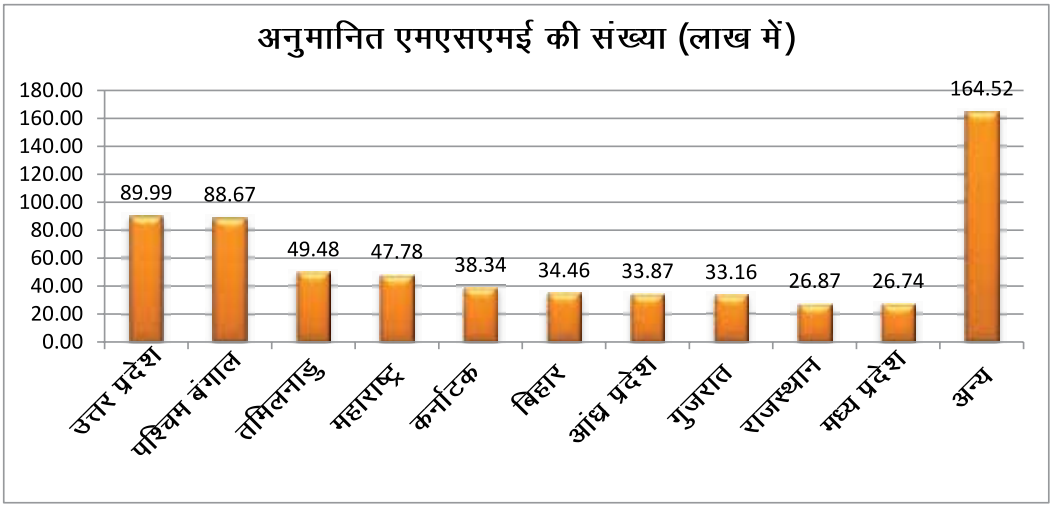

2.3 तुलनात्मक विश्लेषण

2.3.1 निम्नलिखित तालिका सं. 2.11 शीर्ष दस राज्यों में एमएसएमई का तुलनात्मक वितरण दर्शाता है

तालिका सं. 2.11: शीर्ष दस राज्यों का तुलनात्मक वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	एनएसएस का 73वां चरण*		एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना (2006–07)	
		संख्या (लाख में)	हिस्सा (% में)	संख्या (लाख में)	हिस्सा (% में)
1	उत्तर प्रदेश	89.99	14	44.03	12
2	पश्चिम बंगाल	88.67	14	34.64	10
3	तमिलनाडु	49.48	8	33.13	9
4	महाराष्ट्र	47.78	8	30.63	8
5	कर्नाटक	38.34	6	20.19	6
6	बिहार	34.46	5	14.70	4
7	आंध्र प्रदेश***	33.87	5	25.96	7

8	गुजरात	33.16	5	21.78	6
9	राजस्थान	26.87	4	16.64	5
10	मध्य प्रदेश	26.74	4	19.33	5
11	**उपर्युक्त दस राज्यों का कुल**	**469.4**	**74**	**261.04**	**72**
12	**अन्य राज्य/संघ शासित क्षेत्र**	164.5	26	100.72	28
13	**कुल**	633.9	100	361.76	100

** एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16, '** एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना, 2006–07, *** एमएसएमई की चौथी अखिल भारतीय गणना में तेलंगाना सहित*

चित्र 2.9: एमएसएमई के वितरण की तुलनात्मक प्रतिशतता

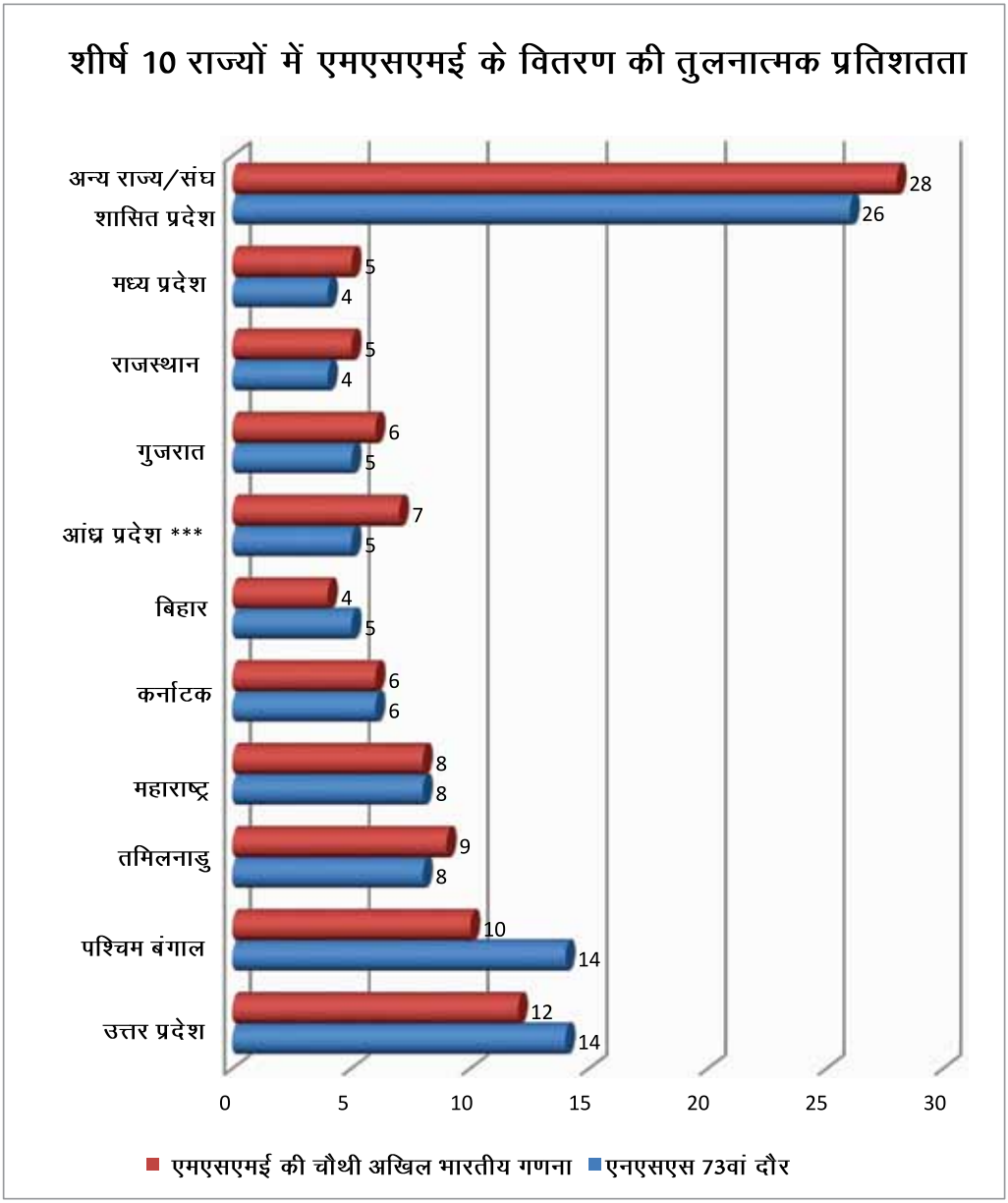

2.4 नए एमएसएमई का पंजीकरण

2.4.1 किसी अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र के सफल विकास का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक नए एमएसएमई खोलने से संबंधित डाटा है; यह अर्थव्यवस्था में ऐसी इकाइयों को खोलने और उनके विकास के लिए अनुकूल वातावरण को दर्शाता है और साथ ही अर्थव्यवस्था की व्यापक अर्थव्यवस्था में उद्यमियों के उच्च मनोबल को दर्शाता है। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 से पहले, छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए जिला उद्योग केन्द्रों में पंजीकरण की एक प्रणाली थी। उसके बाद, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, एमएसएमई उद्यम शुरू करने से पहले जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) में उद्यमी ज्ञापन (भाग– I) दाखिल करते थे। उत्पादन शुरू होने के बाद, संबंधित उद्यमियों द्वारा उद्यमी ज्ञापन (भाग– II) / ईएम–II, दाखिल करते थे। 2007 और 2015 के बीच कुल 21,96,902 ईएम–II फाइलिंग हुई थी। ईएम–II फाइलिंग से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण http://www.dcmsme.gov.in/publications/EMII&2014&15.pdf में दिया गया है। सितंबर, 2015 से 30.06.2020 तक स्व–घोषणा सूचना के आधार पर उद्योग आधार ज्ञापन (यूएएम) के अन्तर्गत ऑनलाइन फाइलिंग प्रणाली लागू थी। 30.06.2020 तक कुल एमएसएमई पंजीकरण (यूएएम) 10232451।

2.4.2 मंत्रालय ने उद्योग आधार ज्ञापन फाइलिंग की पूर्ववर्ती प्रक्रिया को दिनांक 26.06.2020 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित एमएसएमई के वर्गीकरण की संयुक्त मापदंड के आधार पर इस मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल पर 'उद्यम' पंजीकरण से बदल दिया है। अब मौजूदा और भावी उद्यमी पोर्टल: https://udyamregistration.gov.in. पर अपना 'उद्यम' पंजीकरण ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं।

2.4.. उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण विनिर्माण और सेवा एमएसएमई का अलग–अलग विवरण प्रदान करता है। यह ध्यान में रखा जाए कि विनिर्माण में एमएसएमई की तुलना में सेवा क्षेत्र की एमएसएमई का उद्यम पंजीकरण में अधिक हिस्सा है। अलग–अलग विवरण चित्र 2.10 में दिया गया है।

चित्र 2.10 : उद्यम पंजीकरण का हिस्सा–विनिर्माण और सेवा

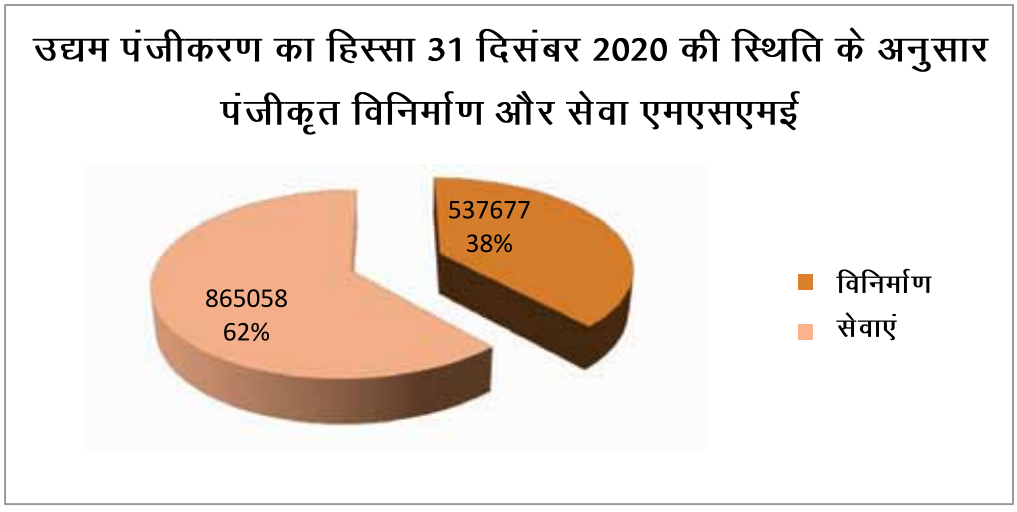

2.4.4 चित्र 2.11 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम के उद्यम पंजीकरण का वितरण दर्शाता है। जैसा कि देखा जा सकता है, सूक्ष्म एसएसएमई उद्यमों के बड़े हिस्से (93%) का गठन करते हैं जबकि शेष कुल उद्यम पंजीकरण के मामूली 1% के मध्यम उद्यम के साथ अधिकतर लघु उद्यम (6%) हैं।

चित्र 2.11: उद्यम पंजीकरण के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का वितरण

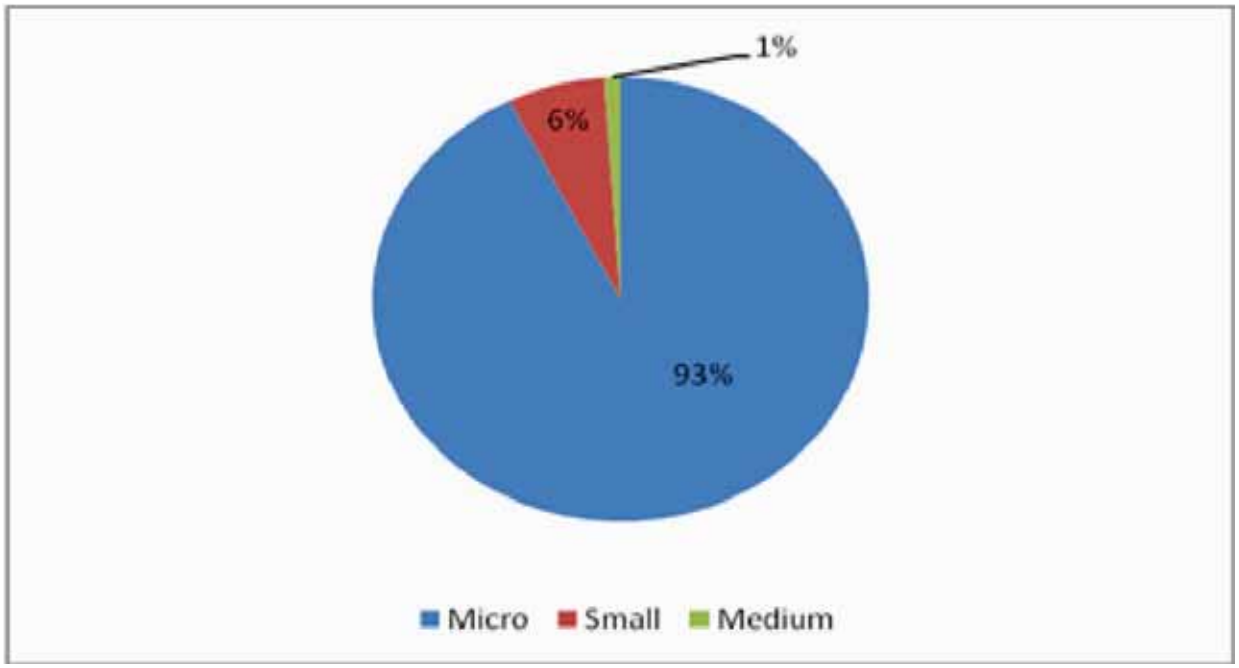

2.4.5 उद्यम पंजीकरण उद्यमों के स्वामियों की सामाजिक श्रेणी से संबंधित जानकारी भी एकत्रित करता है। चित्र 2.12 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार उद्यम पंजीकरण के अनुसार अजा, जजा, अपिव और सामान्य उद्यमों का वितरण दर्शाता है।

चित्र 2.12: उद्यम पंजीकरण के अनुसार अजा/अजजा/अपिव/सामान्य उद्यमों का वितरण

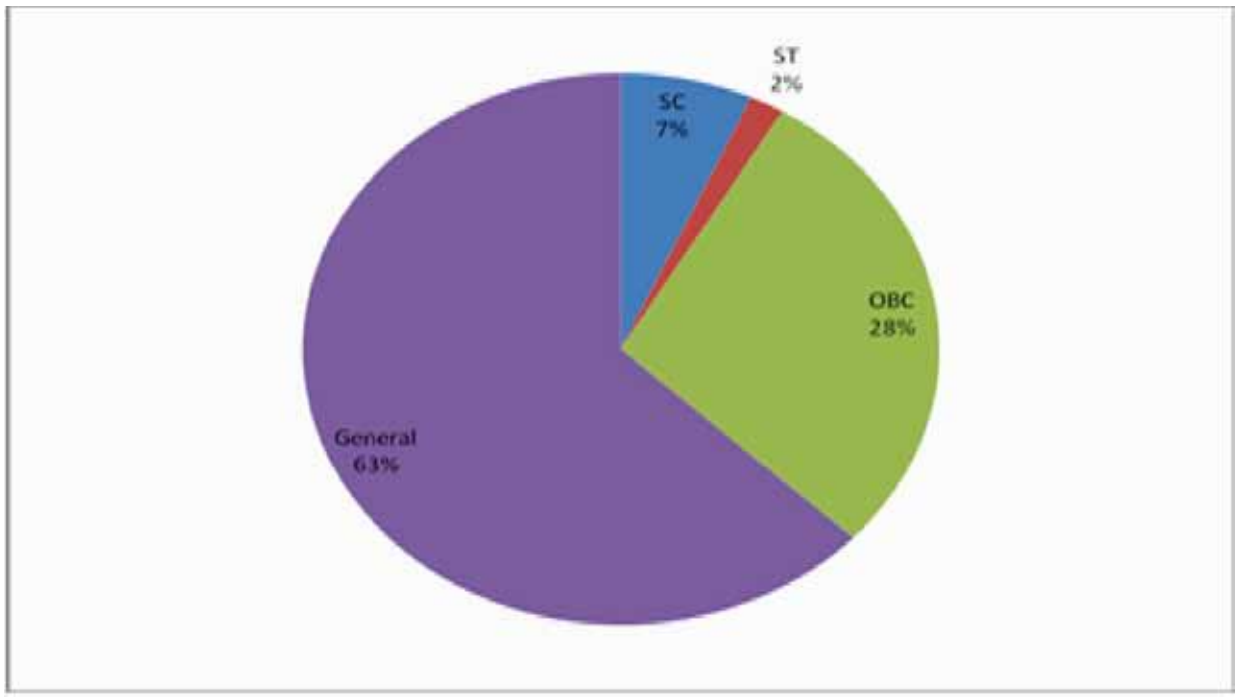

2.4.6 उद्यम पंजीकरण का विश्लेषण असमान राज्य–वार वितरण दर्शाता है। चित्र 2.13 प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उद्यम पंजीकरण का राज्य–वार वितरण दर्शाता है।

चित्र 2.13: प्रमुख राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में उद्यम पंजीकरण का राज्य–वार वितरण

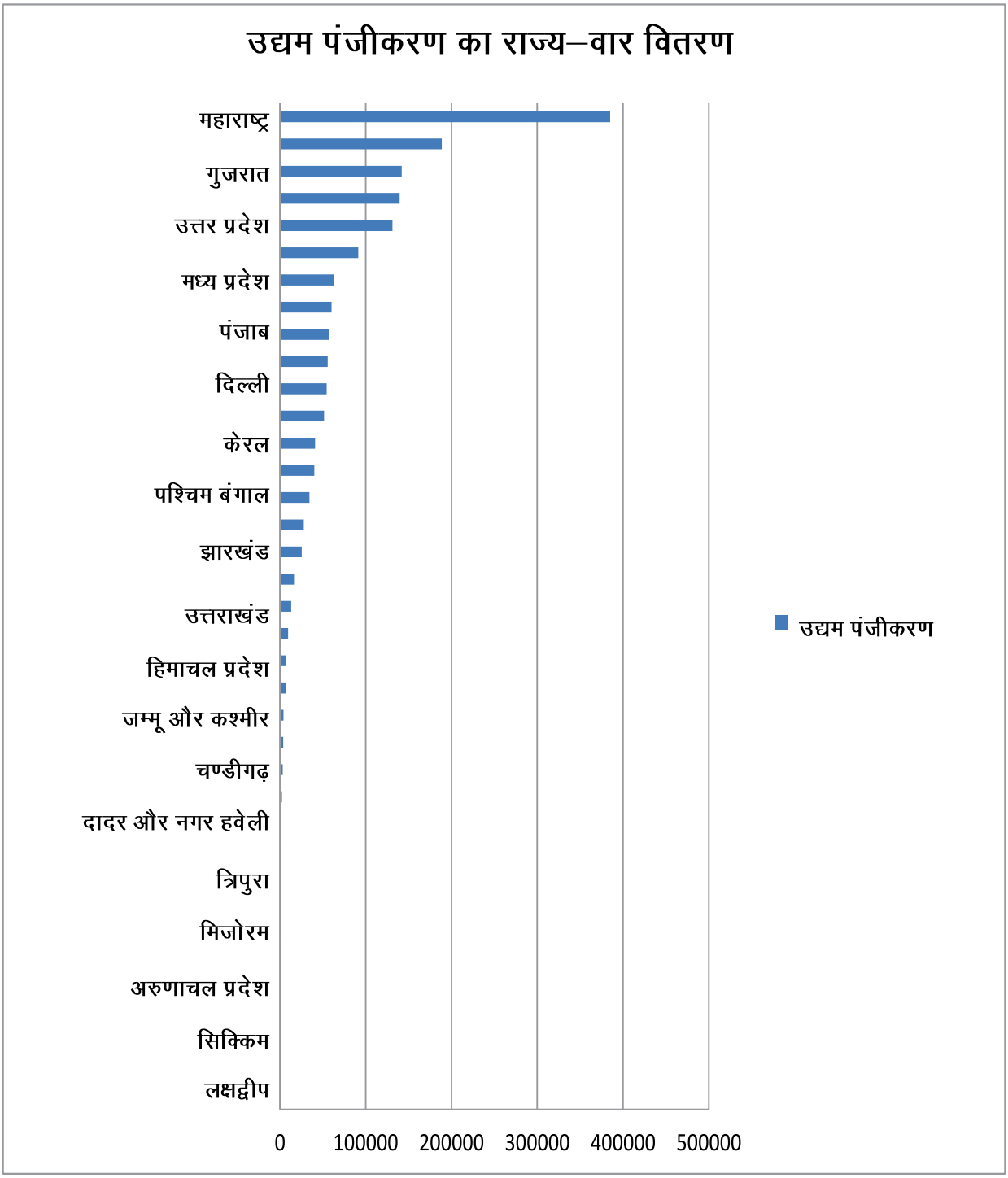

अनुबंध–I

तालिका 1: एमएसएमई की अनुमानित संख्या का राज्य–वार वितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	उद्यमों की अनुमानित संख्या (संख्या लाख में)			
		कुल			
		सूक्ष्म	लघु	मध्यम	एमएसएमई
(1)	(2)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	आंध्र प्रदेश	33.74	0.13	0.00	33.87
2	अरुणाचल प्रदेश	0.22	0.00	0.00	0.23
3	असम	12.10	0.04	0.00	12.14
4	बिहार	34.41	0.04	0.00	34.46
5	छत्तीसगढ़	8.45	0.03	0.00	8.48
6	दिल्ली	9.25	0.11	0.00	9.36
7	गोवा	0.70	0.00	0.00	0.70
8	गुजरात	32.67	0.50	0.00	33.16
9	हरियाणा	9.53	0.17	0.00	9.70
10	हिमाचल प्रदेश	3.86	0.06	0.00	3.92
11	जम्मू और कश्मीर	7.06	0.03	0.00	7.09
12	झारखंड	15.78	0.10	0.00	15.88
13	कर्नाटक	38.25	0.09	0.00	38.34
14	केरल	23.58	0.21	0.00	23.79
15	मध्य प्रदेश	26.42	0.31	0.01	26.74
16	महाराष्ट्र	47.60	0.17	0.00	47.78
17	मणिपुर	1.80	0.00	0.00	1.80
18	मेघालय	1.12	0.00	0.00	1.12
19	मिजोरम	0.35	0.00	0.00	0.35
20	नागालैंड	0.91	0.00	0.00	0.91
21	ओडिशा	19.80	0.04	0.00	19.84
22	पंजाब	14.56	0.09	0.00	14.65
23	राजस्थान	26.66	0.20	0.01	26.87
24	सिक्किम	0.26	0.00	0.00	0.26
25	तमिलनाडु	49.27	0.21	0.00	49.48
26	तेलंगाना	25.94	0.10	0.01	26.05
27	त्रिपुरा	2.10	0.01	0.00	2.11
28	उत्तर प्रदेश	89.64	0.36	0.00	89.99
29	उत्तराखंड	4.14	0.02	0.00	4.17
30	पश्चिम बंगाल	88.41	0.26	0.01	88.67
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.19	0.00	0.00	0.19
32	चंडीगढ़	0.56	0.00	0.00	0.56
33	दादरा और नगर हवेली	0.15	0.01	0.00	0.16
34	दमन और दीव	0.08	0.00	0.00	0.08
35	लक्षद्वीप	0.02	0.00	0.00	0.02
	पुदुचेरी	0.96	0.00	0.00	0.96
सभी		**630.52**	**3.31**	**0.05**	**633.88**

स्रोत: एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16

अनुबंध–II

तालिका 2: कर्मचारियों का राज्यवार वितरण 2015–16

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	रोजगार		
		महिला	पुरूष	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आंध्र प्रदेश	21.01	34.98	55.99
2	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.29	0.41
3	असम	1.78	16.37	18.15
4	बिहार	4.79	48.26	53.07
5	छत्तीसगढ़	4.07	12.79	16.86
6	दिल्ली	2.41	20.59	23.00
7	गोवा	0.41	1.20	1.60
8	गुजरात	13.71	47.44	61.16
9	हरियाणा	2.78	16.27	19.06
10	हिमाचल प्रदेश	1.13	5.29	6.43
11	जम्मू और कश्मीर	1.50	9.37	10.88
12	झारखंड	5.57	19.34	24.91
13	कर्नाटक	19.73	51.11	70.84
14	केरल	13.77	30.86	44.64
15	मध्य प्रदेश	10.13	38.61	48.80
16	महाराष्ट्र	17.97	72.77	90.77
17	मणिपुर	1.40	1.52	2.92
18	मेघालय	0.72	1.19	1.91
19	मिजोरम	0.28	0.34	0.62
20	नागालैंड	0.59	1.18	1.77
21	ओडिशा	8.37	24.87	33.26
22	पंजाब	4.24	20.55	24.80
23	राजस्थान	8.01	38.31	46.33
24	सिक्किम	0.14	0.31	0.45
25	तमिलनाडु	32.27	64.45	96.73
26	तेलंगाना	15.24	24.91	40.16
27	त्रिपुरा	0.44	2.51	2.95
28	उत्तर प्रदेश	27.27	137.92	165.26
29	उत्तराखंड	0.69	5.91	6.60
30	पश्चिम बंगाल	43.51	91.95	135.52
31	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10	0.29	0.39
32	चंडीगढ़	0.12	1.17	1.29
33	दादरा और नगर हवेली	0.07	0.29	0.36
34	दमन और दीव	0.02	0.12	0.14
35	लक्षद्वीप	0.01	0.02	0.03
36	पुदुचेरी	0.57	1.27	1.84
सभी		**264.92**	**844.68**	**1109.89**

स्रोत: एनएसएस का 73वां चरण, 2015–16

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय और अन्य सम्बद्ध कार्यालय

3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)

एमएसएमई मंत्रालय के तत्वाधान के अंतर्गत खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) के अंतर्गत स्थापित किया गया खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) एक सांविधिक संगठन है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग के संवर्धन और विकास कार्य में लगा हुआ है जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ होती है। केवीआईसी की प्रति व्यक्ति निवेश पर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् गैर–कृषि रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में प्रमुख संगठनों के रूप में पहचान की गई है। इसके अंतर्गत कौशल उन्नयन, प्रौद्योगिकी अंतरण, अनुसंधान एवं विकास, विपणन इत्यादि जैसे कार्यकलाप किए जाते हैं और यह ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार/स्वरोजगार के अवसर सृजित करने में सहायता करता है।

3.1.1. उद्देश्यः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करने का सामाजिक उद्देश्य।

(ii) बिक्री–योग्य वस्तुओं के उत्पादन का आर्थिक उद्देश्य।

(iii) लोगों में आत्म–निर्भरता व सुदृढ़ ग्रामीण सामुदायिक भावना उत्पन्न करने का व्यापक उदेश्य।

3.1.2. कार्यः

खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 (1956 का 61) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं–

i. खादी और ग्रामोद्योगों में नियोजित अथवा इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों हेतु योजना बनाना तथा प्रशिक्षण का आयोजन करना;

ii. हाथ से कते सूत अथवा खादी अथवा ग्रामोद्योगों के उत्पादन में लगे व्यक्तियों अथवा संभावित व्यक्तियों को ऐसी दर पर, जैसा कि आयोग द्वारा निर्णय लिया जाय, प्रत्यक्ष रूप से अथवा विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से कच्चे माल और उपकरणों की आपूर्ति की व्यवस्था करना;

iii. कच्चे माल अथवा अर्ध–निर्मित माल के प्रसंस्करण हेतु जन सुविधा केंद्र के सृजन को बढ़ावा देना तथा सहायता करना अथवा उत्पादन को सरलीकृत करना व खादी व ग्रामोद्योगी उत्पादों की बिक्री एवं विपणन करना।

iv. खादी अथवा ग्रामोद्योगी उत्पादों अथवा हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री और विपणन को बढ़ावा देना और इस प्रयोजनार्थ यथासंभव व यथा आवश्यक गठित विपणन एजेंसियों के साथ संपर्क करना;

v. उत्पादकता को बढ़ाने, नीरसता कम करने तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने तथा ऐसे अनुसंधान के प्राप्त परिणामों के प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करने की दृष्टि से गैर परंपरागत तथा विद्युत ऊर्जा के उपयोग सहित खादी और ग्रामोद्योगों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं संवर्धित करना;

vi. प्रत्यक्ष अथवा अन्य एजेंसियों के माध्यम से, खादी अथवा ग्रामोद्योगों की समस्याओं का अध्ययन शुरू करना।

vii. खादी अथवा ग्रामोद्योगों के विकास व प्रचालन में लगी संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को सीधे अथवा विनिर्दिष्ट एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा उन्हें वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के उद्देश्य से डिजाइन, प्रोटोटाइप व अन्य तकनीकी जानकारी की आपूर्ति के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करना, जिनकी आयोग के विचार में अधिक मांग है;

viii. प्रत्यक्ष अथवा विशिष्ट एजेंसियों के माध्यम से प्रयोग व पायलट परियोजनाओं को शुरू करना, जिनकी आयोग की राय में खादी और ग्रामोद्योग के विकास हेतु आवश्यक हैं।

ix. उपरोक्त सभी मामलों अथवा किसी मामले के कार्यान्वयन के लिए एक पृथक संगठन की स्थापना और रखरखाव करना।

x. खादी के निर्माताओं अथवा ग्रामोद्योग में कार्यरत व्यक्तियों के बीच सहकारी प्रयासों को प्रोत्साहित और संवर्धित करना,

xi. संबंधित व्यक्तियों को मान्यता के पत्र या प्रमाण पत्र जारी करने सहित कथित मानकों के अनुरूप खादी और ग्रामोद्योग के उत्पादों को सुनिश्चित करना और गुणवत्ता के मानकों को स्थापित करना तथा प्रमाणिकता सुनिश्चित करना।

xii. उपर्युक्त के संबंध में किसी अन्य कार्यकलाप को पूरा करना।

3.1.3. संगठन स्थापनाः

3.1.3.1. खादी और ग्रामोद्योग आयोग मुंबई स्थित अपने मुख्यालय तथा नई दिल्ली, भोपाल, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई तथा गुवाहाटी स्थित 06 आंचलिक कार्यालयों और देशभर में फैले 44 क्षेत्रीय कार्यालय के साथ कार्य करता है ।

3.1.3.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग की संगठनात्मक डिजाइन निम्नानुसार है:–

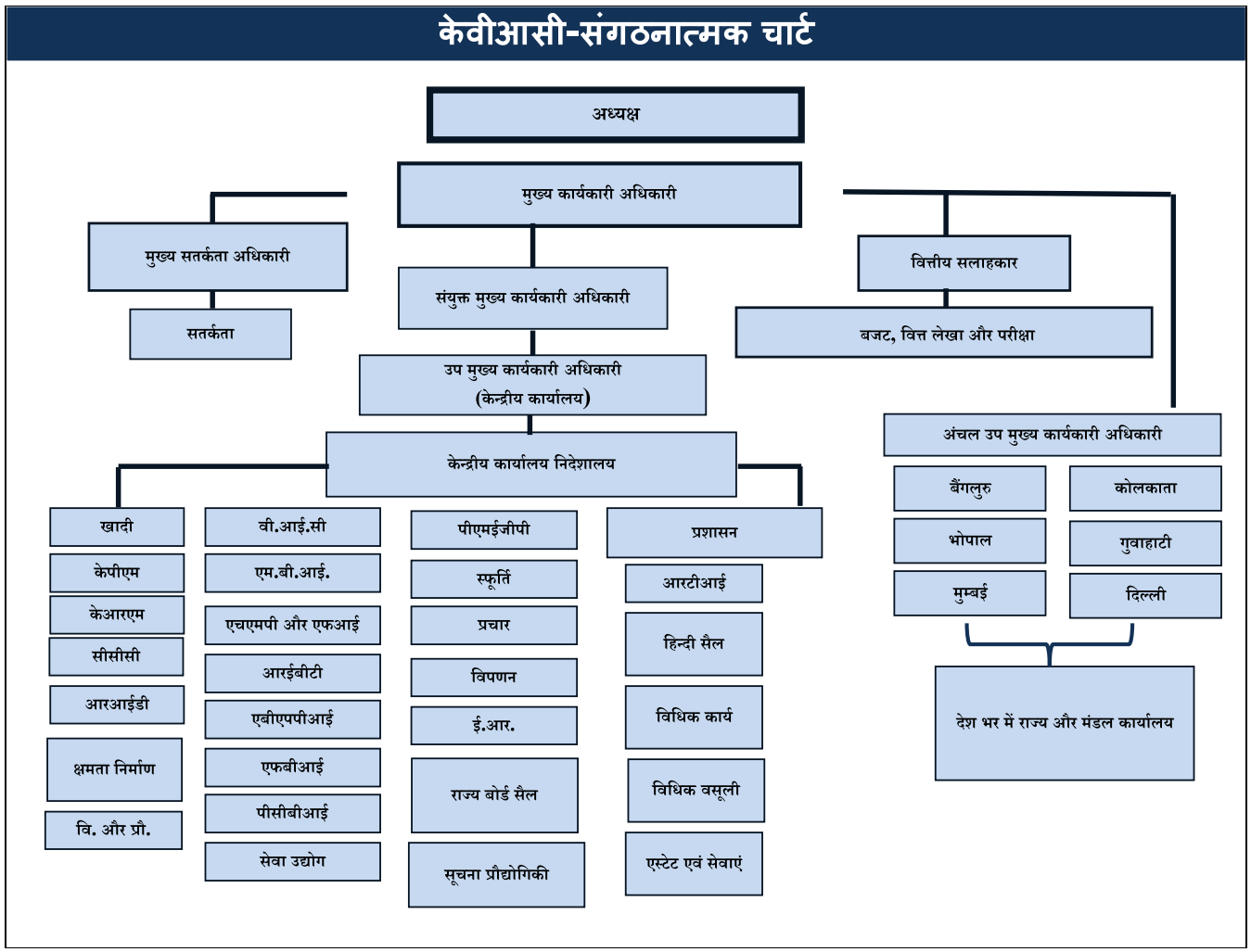

3.1.3.3. खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने 35 विभागीय एवं गैर–विभागीय प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन करता है। खादी और ग्रामोद्योगी संस्थाओं तथा इकाइयों द्वारा उत्पादित खादी और ग्रामोद्योगी उत्पादों का विपणन केवीआई संस्थाओं द्वारा संचालित खादी ग्रामोद्योग भंडार व भवन द्वारा देश भर में खादी संस्थाओं से संबंधित 8035 बिक्री आउटलेट और केवीआईसी की अपनी 15 शाखाओं तथा 8 विभागीय बिक्री आउटलेटों (खादी इंडिया) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है। केवीआईसी अपने पांच केन्द्रीय स्लाइवर संयंत्रों (सीएसपी) के माध्यम से खादी संस्थाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण कच्चा माल भी उपलब्ध करवाता है।

3.1.3.4. खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड्स, पंजीकृत केवीआई संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। खादी कार्यक्रम का कार्यान्वयन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के केवीआई बोर्ड्स में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है।

3.1.4. भारत में खादी क्षेत्र:

3.1.4.1. खादी गतिविधि को बहुत कम पूंजीगत निवेश पर ग्रामीण कारीगरों के घरों पर ही रोजगार के अवसर–सृजित करने के लिए संभावित टूल के रूप में माना जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात, खादी और ग्रामोद्योग के उत्पाद राष्ट्रवाद का

एक महान प्रतीक बन गए। इस तरह खादी को केवल एक वस्त्र के रूप में ही नहीं अपितु स्वतंत्रता व आत्म–निर्भरता के प्रतीक के रूप में भी एक विशिष्ट पहचान मिली।

3.1.4.2. खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक सांविधिक संगठन है जिसे खादी के उत्पादन एवं बिक्री को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है। 2,737 से अधिक खादी संस्थाएं एक वृहत नेटवर्क का निर्माण करती हैं और भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं। इस गतिविधि में लगभग 4.97 लाख व्यक्ति लगे हुए हैं, जिसमें से 80 प्रतिशत से अधिक महिला कारीगर हैं।

3.1.4.3. खादी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग का एक विशिष्ट कार्यक्रम है तथा कारीगरों को उनके घरों पर ही रोजगार सृजन हेतु एक प्रभावी टूल है। इसे खादी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। बाज़ार विकास सहायता (एमडीए) तथा ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र स्कीम (आईसेक) के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु खादी संस्थाओ को सक्षम बना रही हैं।

3.1.4.4. पिछले वर्ष के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री में वृद्धि हुई है। पिछले 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) एवं 31.03.2021 तक प्रत्याशित के दौरान खादी क्षेत्र के उत्पादन और बिक्री निम्नानुसार हैं:–

खादी क्षेत्रः उत्पाद और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2016 - 17 @	1520.83	2146.60
2017 - 18 #	1626.66	2510.21
2018 - 19 #	1963.30	3215.13
2019 - 20 #	2324.24	4211.26
2020 - 21 (31 - 12 - 2020 तक) #	1344.69	1877.19
2020 - 21 **(31 - 03 – 2021 तक अनुमानित)** #	2104.01	3856.50

@ पॉलीवस्त्र सहित # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र सहित

3.1.4.5. विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2020 के दौरान खादी क्षेत्र के रोजगार निम्नानुसार है।

खादी क्षेत्रः रोज़गार

(कारीगर लाख में)

वर्ष	रोजगार
2016 - 17 @	4.56
2017 - 18 #	4.65
2018 - 19 #	4.96
2019 - 20 #	4.97
2020 - 21 (31 - 12 - 2020 तक) #	4.97
2020 - 21 **(31 - 03 - 2021 तक अनुमानित)** #	5.00

@ पॉलीवस्त्र सहित # पॉलीवस्त्र एवं सोलरवस्त्र सहित

3.1.4.6 ग्रामोद्योग में सात भिन्न–भिन्न क्षेत्र शामिल हैं जो निम्नलिखित हैं:–

क्र. सं.	वर्गीकरण	उद्योग
1	**कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)**	• ग्रामीण तेल उद्योग • सुगंधित तेल • शहद और मधुमक्खी पालन • पॉम गुड़ और अन्य पॉम उत्पाद • फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • दाल एवं सब्जी प्रसंस्करण उद्योग • स्पाईसिस एवं मसाले प्रसंस्करण उद्योग • गुड़ और खांडसारी उद्योग • लघु वनोपज का संग्रहण • बांस, केन और रीड उद्योग • जैविक (ऑरगेनिक) डाईंग उद्योग • औषधीय पौधों का संग्रहण और प्रसंस्करण उद्योग
2	खनिज आधारित उद्योग (एमबीआई)	• हस्तनिर्मित पॉटरी, गलेज्ड और सिरैमिक पॉटरी, आवास सज्जा के रूप में पॉटरी, खाद्य उद्योग के लिए पॉटरी • पत्थरों की कटाई एवं पॉलिश उद्योग • सिरैमिक टाईल उद्योग • ग्रेनाईट की कटाई, पॉलिश, पत्थर नक्कशी, तथा मूर्तिकला, आदि • ब्रास मैटल और अन्य मैटल क्राफ्ट उद्योग
3	स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग (डब्ल्यूसीआई)	• साबुन और तेल समेत स्वास्थ्य और सौंदर्य उद्योग • सुगंधित तेल और खुशबू उद्योग • कॉस्मैटिक और सौंदर्य उत्पाद उद्योग • हेयर आयल और शैंपू, टॉयलेटरिज़ उद्योग • नहाने का साबुन उद्योग • अगरबत्ती उद्योग
4	हस्तनिनमत कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (एचएमपीएलपीआई)	• हस्तनिर्मित कागज़ और कागज़ उत्पाद उद्योग • पेपर कनवर्ज़न उद्योग • चमड़ा उद्योग • प्लास्टिक उद्योग • कयर उद्योग से इतर प्राकृतिक फाईबर

5	ग्रामीण इंजीनियरिंग और नवीन प्रौद्योगिकी उद्योग (रेंटी)	• बायो–गैस, गैर–परम्परागत ऊर्जा, जैविक खाद, वर्मी–कम्पोस्ट उद्योग • बढ़ईगिरी और लौहारी उद्योग • कृषि उपकरण और औज़ार उद्योग • विद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद उद्योग • ड्राइ डेयरी • घरेलू धात्विक बरतन और सामग्री विनिर्माण उद्योग
6	सेवा उद्योग	• लघु व्यवसाय • इलैक्ट्रिक्ल और इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं का अनुरक्षण और सर्विसिंग • फार्म एग्रीगेटर (प्री और पोस्ट फार्मिंग)

3.1.4.7. पिछले वर्षों में ग्रामोद्योगों ने वृद्धि दर्शाई है। विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2020–21 (दिसम्बर, 2020 तक) एवं 31.03.2021 तक प्रत्याशित उत्पादन और ग्रामोद्योग उत्पादों की बिक्री निम्नानुसार है:

ग्रामोद्योग: उत्पादन और बिक्री

(करोड़ रु. में)

वर्ष	उत्पादन	बिक्री
2016 – 17	41110.26	49991.61
2017 – 18	46454.75	56672.22
2018 – 19	56167.04	71076.96
2019 – 20	65343.07	84664.28
2020 - 21 (31 - 12 - 2020 तक)	53705.04	70459.28
2020 - 21 (31 - 03 - 2021 तक अनुमानित)	76582.43	101306.87

3.1.4.8 विगत 4 वर्षों और वर्तमान वर्ष 2020–21 तथा 31.03.2021 तक प्रत्याशित के दौरान ग्रामोद्योग रोजगार निम्नानुसार है:–

ग्रामोद्योगो: रोज़गार

(कारीगरों लाख में)

वर्ष	रोजगार
2016 – 17	131.84
2017 – 18	135.71
2018 – 19	142.03
2019 – 20	147.76
2020 - 21 (31 - 12 - 2020 तक)	150.31
2020 - 21 (31 - 03 - 2021 तक अनुमानिक)	154.12

3.1.5. खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए केवीआईसी द्वारा हाल ही की सामरिक पहलें:

हाल ही में, देश में खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए केवीआईसी द्वारा की गई विभिन्न सामरिक पहलें शुरू की गई हैं। वे निम्नानुसार हैं:–

- खादी संस्थाओं और कारीगरों के लिए संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र (आईसेक) स्कीम के अंतर्गत निधियों के संवितरण हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल को कार्यात्मक बनाया गया है। संस्थाएं डीबीटी पोर्टल में वित्तीय वर्ष 2016–17 से अपने एमएमडीए और आईसेक दावों को फाइल कर रही हैं तथा आंकड़े अपलोड कर रही हैं।
- केवीआईसी ने नए उद्यमों द्वारा खादी कार्यकलापों के अंतर्गत कारोबार करने के लिए खादी संस्थाओं का पंजीकरण और प्रमाणीकरण सेवा (केआईआरआईसीएस) के माध्यम से नई संस्थाओं का ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ कर दिया है।
- दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं यह सभी स्तरों पर अपने उत्पादों को बाजार सम्बद्ध लचीले मूल्य पर बेचने की संस्थाओं को सलाह दी गई है ताकि संस्थाएं कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त आय कमा सके।
- केवीआईसी और खादी संस्थाएं डिजिटल विपणन, ई–मार्केटिंग, भीमऐप, फ्रेन्चाइजी, ई–कामर्स इत्यादि के माध्यम से खादी और खादी उत्पादों की खुदरा बिक्री हेतु उपयुक्त मंच प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित खुदरा व्यापारियों के साथ कार्य कर रही हैं।
- ''पीएमईजीपी द्वितीय ऋण'' हेतु पृथक माड्यूल को डिजाइन, विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- मधुमक्खी पालकों, मधुमक्खी के डिब्बों, मधुमक्खी की कॉलोनियों, उत्पादन और शहद की बिक्री इत्यादि से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हनी मिशन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले सभी हितधारकों के लिए हनी मिशन पोर्टल विकसित किया गया है।
- 22 फरवरी, 2020 से रोजगारयुक्त गांव (आरवाईजी) हेतु एक पृथक पोर्टल को डिजाइन, विकसित और कार्यात्मक बनाया गया है।
- मिशन सोलर चरखा (एमएससी) के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित और कार्यान्वित किया गया है।
- खादी संस्थाओं (केआई) के लिए कच्चे माल (स्लाईवर/रोविंग) की आपूर्ति को रिकार्ड करने के लिए केन्द्रीय स्लाईवर संयंत्र (सीएसपी) के लाभ हेतु एक नई साफ्टवेयर ऐप्लिकेशन डिजाइन और विकसित की गई है।
- खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी) के लिए पृथक वेब पोर्टल को डिजाईन और विकसित किया गया है।
- ऑनलाइन सरकारी आपूर्ति प्रणाली ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण सरकारी आपूर्ति श्रृंखला को संभालने के विचार से डिजाइन, विकसित और लाईव बनाई गई है। यह पंजीकृत खादी संस्थाओं द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों से प्राप्त किए गए आर्डर की स्थिति को मॉनीटर करने और गतिशील आर्डरों को संवितरित करने की सुविधा प्रदान करता है।
- मैन्यूअल बजट की समस्या को आसान बनाने के लिए खादी संस्थाएं (केआई) बजटीय वर्ष हेतु कार्यवाही योजना और पिछले वर्ष की कार्यनिष्पादन उपलब्धि जैसी सभी विस्तृत सूचना सहित उनके बजट को प्रस्तुत

करने के लिए केआई को सक्षम बनाकर खादी संस्थाओं (केआई) हेतु एक ऑनलाइन बजटीय प्रणाली डिजाइन, विकसित और आरंभ की गई है।

- ऑनलाइन के माध्यम से केवीआईसी द्वारा प्रकाशित रिक्तियों के लिए प्राप्त आवेदनों के लिए ऑनलाइन भर्ती प्रणाली को सुविधाजनक बनाया गया । इससे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने की सुविधा भी प्रदान की गई।

3.1.6. स्वच्छ भारत अभियानः

- कोविड–19 के कारण, मार्च 2020 से देश भर में सरकार ने लॉकडाउन लागू किया, कार्यालय परिसरों के स्वच्छ रख रखाव के लिए प्राथमिक रूप से अधिक जोर दिया गया।
- कोविड–19 के कारण केवीआईसी ने देश भर में कार्यालय परिसरों और कर्मचारियों के क्वार्टरों की नियमित स्वच्छता कार्य शुरू किया है।

3.1.7. मुख्य स्कीमों का कार्यान्वयन :

केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रमुख स्कीम

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
1	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	देश भर के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्व–रोजगार के लिए कृषि आधारित गैर–सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करके रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए पीएमईजीपी एक बैंक मूल्यांकित और वित्त पोषित ''क्रेडिट सम्बद्ध सब्सिडी कार्यक्रम'' है।
		देश भर में स्कीम के राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन के लिए एक एकल नोडल एजेंसी है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में केवीआईसी और राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (राज्य केवीआईबी) कार्यान्वयन एजेंसियां हैं, तथा देश में दोनों ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) हैं तथा कयर कार्याकलापों के लिए कयर बोर्ड है।
		यह स्कीम केवल नई इकाइयों को स्थापित करने के लिए उपलब्ध है। वर्ष 2008–09 में इसके आरंभ से तथा 31.12.2020 तक अनुमानित 53 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करके 14,982.28 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी से साथ लगभग 6.38 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान, 6 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार के अवसर सृजित करके 2389.49 करोड़ रू. की मार्जिन मनी सब्सिडी वितरित करके मौजूदा 1000 पीएमईजीपी इकाइयों को उन्नत करने तथा 78000 नए सूक्ष्म उद्यमों को स्थापित करने के लिए आरंभिक (अनुमानित बजट) लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
2	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए)	संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) भारत सरकार ने वर्ष 2016–17 की तीसरी तिमाही से ''संशोधित बाजार विकास सहायता'' (एमएमडीए) स्कीम शुरू की गई है जिसके अंतर्गत खादी एवं पॉलीवस्त्र की मुख्य लागत पर अनुदान के रूप में 30 प्रतिशत प्रदान किया जाता है। संशोधित एमडीए स्कीम का उद्देश्य लागत चार्ट से बिक्री मूल्य को विनियंत्रित और अलग करना है। इस प्रकार खादी के मूल्यवर्धन हेतु संस्थाओं को क्षेत्र प्रदान कर रहे हैं ताकि उत्पादों को बाजार उन्मुख मूल्यों पर बेचा जा सके।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		खादी एवं पॉलीवस्त्र की मुख्य लागत के 30 प्रतिशत की दर से एमएमडीए की गणना की जाती है जिसमें लागत चार्ट में यथानिर्दिष्ट मार्जिन मनी के बगैर प्रक्रिया शुल्क प्लस ग्रे कपड़े हेतु कन्वर्सन प्रभार प्लस, कच्चे माल की लागत शामिल है। खादी संस्थाओं के अंतर्गत उत्पादन तथा बिक्री कार्यकलाप एमएमडीए के 60 प्रतिशत हेतु हकदार होगा (उत्पादन के लिए 40 प्रतिशत और बिक्री के लिए 20 प्रतिशत), शेष 30 प्रतिशत बुनकरों एवं कत्तिनों तथा कार्यकर्ताओं/अन्य कारीगरों को 10 प्रतिशत वितरित की जाएगी। वर्ष 2019–20 के दौरान खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए एमएमडीए के अंतर्गत 1239 खादी संस्थाओं और 1,66,876 कारीगरों को 255.38 करोड़ संवितरित किए गए है। वर्ष 2020–21 के दौरान, (31.12.2020 तक) खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए एमएसडीए के अंतर्गत 1058 खादी संस्थाओं और 122539 कारीगरों को 155.00 करोड़ रू. संवितरित किए गए है। खादी 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) खादी और पॉलीवस्त्र के लिए एमएमडीए के अंतर्गत 1239 खादी संस्थाओं और 1,66,876 कारीगरों को प्रत्याशित संवितरण 291.00 करोड़ रू. है।
3	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणापत्र (आईसेक) स्कीम	भारत सरकार ने वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से निधि की अतिरिक्त जरूरतों की गतिशीलता के लिए खादी संस्थाओं हेतु मई 1977 में ''ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाण पत्र'' आईसेक स्कीम का शुभारंभ किया है। आईसेक स्कीम खादी कार्यक्रम के लिए वित्तपोषण तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम हेतु सीमित/सीमा हेतु भी एक मुख्य स्रोत है। ग्रामोद्योगों के लिए आईसेक वर्ष 2012–13 से समाप्त कर दी गई है। आईसेक स्कीम खादी और पॉलीवस्त्र कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले केवीआईसी/केवीआईबी के अंतर्गत सभी पंजीकृत खादी संस्थाओं के लिए लागू है। स्कीम के अंतर्गत, केवीआई संस्थाओं की आवश्यकतानुसार पूंजीगत व्यय (सीई) तथा कार्यशील पूंजी के लिए 4 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रियायती दर पर क्रेडिट दिया जाता है। ऋणदाता बैंकों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से केन्द्र सरकार द्वारा वास्तविक ऋण दर और 4 प्रतिशत के बीच अंतर का भुगतान किया जाता है तथा इस उद्देश्य के लिए निधियां केवीआईसी के खादी विकास योजना अनुदान शीर्ष के अंतर्गत प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 के दौरान, खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1289 खादी संस्थाओं को 38.02 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020 तक) खादी एवं पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1002 खादी संस्थाओं को 24.96 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) खादी और पॉलीवस्त्र के लिए आईसेक के अंतर्गत 1370 खादी संस्थाओं को प्रत्याशित संवितरण 40.00 करोड़ रू. है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
4	खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम	''खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम'' खादी कारीगरों के सुचारू और थकान मुक्त कार्य के लिए पर्याप्त स्थान और पर्यावरण अनुकूलतन उत्पादकता बढ़ाने और वर्धित आय की परिकल्पना के लिए वर्ष 2008–09 में की गई। वे राज्य जहां बीपीएल कार्ड जारी किए जा रहे हैं स्कीम के अंतर्गत खादी कारीगरों को कवर किया जाता है। जहां वर्तमान में बीपीएल कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, वहां गरीब खादी कारीगरों की एक पारदर्शी और खुली प्रक्रिया से पहचान की जाती है। स्कीम का लाभ केवल उन खादी कारीगरों को दिया जाएगा जो वर्ष में कम से कम 100 दिन काम करते हैं और उनके पास अपनी भूमि है। स्कीम के अंतर्गत व्यक्तिगत वर्कशेड बनाने के लिए 60,000/– रू. तक तथा समूह वर्कशेड बनाने के लिए 40,000/– रू. तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आरंभ से 31.12.2020 तक वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत कुल 45245 खादी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान, इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 1477 खादी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) इस वर्कशेड स्कीम के अंतर्गत 833 खादी कारीगरों के लाभान्वित होने की आशा है।
5	मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और विपणन अवसंरचना के लिए सहायता	यह स्कीम दो उप स्कीमें नामतः ''मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण'' और ''विपणन अवसंरचना के लिए सहायता'' का संयोजन है। इस स्कीम के अंतर्गत, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना का सुदृढीकरण, कमजोर/समस्याग्रस्त खादी संस्थाओं को उनके कार्यकलापों को सामान्य स्थिति में वापिस लाने के लिए 9.90 लाख रू. तक सहायता प्रदान की जाती है। विपणन अवसंरचना अर्थात् सामान्य लोगों, साइनेज, दृश्य सौदाकरण, बिल और बार–कोडिंग सहित कम्पयूटरीकरण, बिक्री कर्मचारियों का प्रशिक्षण, खादी संस्थाओं के नवीकरण के लिए आकस्मिक निर्माण कार्य सहित फर्नीचर और फिक्सचर इत्यादि, केवीआईबी के बिक्री आउटलेटों और विभागीय बिक्री आउटलेटों के लिए 25.00 लाख रू. तक के विकास के लिए सहायता प्रदान की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान, मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के अंतर्गत 43 खादी संस्थाओं को 3.52 करोड़ रू. संवितरण किए गए गए हैं। इसके अलावा, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 37 बिक्री आउटलेटों के नवीकरण हेतु 1.16 करोड़ रू. संवितरित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020 तक) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं के अवसंरचना सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत 50 खादी संस्थाओं को 6.19 करोड़ रू. संवितरित किए गए। इसके अतिरिक्त विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अन्तर्गत खादी संस्थाओं के 20 बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण के लिए 2.88 करोड़ रु. संवितरित किए गए हैं।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्कीम</th><th>केवीआईसी गतिविधियां</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) मौजूदा कमजोर खादी संस्थाओं की अवसंरचना के सुदृढीकरण के अंतर्गत 50 खादी संस्थाओं को लाभांवित होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, विपणन अवसंरचना के लिए सहायता के अंतर्गत खादी संस्थाओं के 50 बिक्री आउटलेटों का नवीकरण होने की आशा है।</td></tr>
<tr><td>6</td><td>खादी कारीगर बीमा स्कीम–आम आदमी बीमा योजना (एएबीवाई) का पीएमजेजेबीवाई / पीएमएसबीवाई में विलय</td><td>केवीआईसी ने 15 अगस्त,2003 को खादी कार्यकलापों में लगे कारीगरों को एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में ''आम आदमी बीमा योजना (पूर्व में खादी कारीगर जनश्री बीमा योजना) शीर्षक एक समूह बीमा स्कीम को आरंभ की। यह विशेष रूप से खादी कारीगरों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा डिजाइन एक विशिष्ट स्कीम है। यह देश भर के कारीगरों को कवर करते हुए केन्द्रीय रूप से प्रचालित स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रिमियम केवीआईसी, खादी संस्थाओं, कारीगरों और भारत सरकार के बीच साझा किया जाता है।

इस स्कीम को हटाकर भारत सरकार ने दो स्कीमों को आरंभ किया है एक आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) में विलय किया तथा 18 से 50 वर्ष की आयु के कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)तथा 51 से 60 वर्ष की आयु के कारीगरों के लिए अन्य संशोधित आम आदमी बीमा योजना (संशोधित एएबीवाई)।

इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित मौद्रिक लाभ प्रदान किए जाते हैं:–

पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई
<table>
<tr><td>किसी कारण से मृत्यु</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>दुर्घटना और कुल स्थायी दिव्यांगता के कारण मृत्यु</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>आंशिक स्थायी दिव्यांगता</td><td>1.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>9वीं से लेकर 12वीं कक्षा (आईटीआई सहित) में अध्ययनरत लाभार्थी के अधिकतम 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति</td><td>100/-
रु. प्रति माह प्रति बच्चा</td></tr>
</table>
संशोधित एएबीवाई
<table>
<tr><td>किसी कारण से मृत्यु</td><td>30,000/- रू.</td></tr>
<tr><td>दुर्घटना और कुल स्थायी दिव्यांगता के कारण मृत्यु</td><td>2.00 लाख रू.</td></tr>
<tr><td>आंशिक स्थायी दिव्यांगता</td><td>1.00 लाख रू.</td></tr>
</table>
इस स्कीम को दिनांक 01.04.2020 से पूर्ण प्रिमियम भुगतान हेतु परिवर्तित किया गया है तथा इसे 01.06.2020 से समाप्त कर दिया गया है।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
7	मिशन सोलर चरखा	इस स्कीम की परिकल्पना ''सोलर चरखा क्लस्टरों'' को स्थापित करना है जिसका अर्थ 8 से 10 किलोमीटर की परिधि में केंद्रित गांवों और अन्य आसपास के गांव हैं। इसके अलावा, ऐसे क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थियों अर्थात् कत्तिनों, बुनकरों दर्जियों और अन्य कुशल कारीगर होंगे। वर्ष 2016 में बिहार के नवादा जिले के गांव खानवा में सोलर चरखे पर एक पायलेट परियोजना को कार्यान्वित किया गया। पायलट परियोजना की सफलता पर आधारित भारत सरकार ने वर्ष 2018–19 और 2019–20 के दौरान 50 ऐसे सोलर चरखा क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए अपनी मंजूरी दी। इस स्कीम की परिकल्पना लगभग एक लाख व्यक्तियों के लिए सीधे रोजगार सृजित करने की है।
8	परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रामीण कारीगरों को कड़ी मेहनत वाले उद्यम, सृजनात्मकता, प्रतिभा जो हस्तशिल्प से लेकर खाद्य पदार्थों, चमड़ा उत्पाद, आयुर्वेदिक दवाइयाँ और परम्परागत उद्योगों को और अधिक उत्पादक परंपरागत उद्योग के कारीगरों के लिए सतत् रोजगार के सृजन हेतु लाभदायक और अंततः उद्यमियों की स्वाधीनता के रूप में उन्हें बदलने और सशक्त बनाने के उद्देश्य से परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम आरंभ की है। यह भारत सरकार की क्लस्टर आधारित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत, क्लस्टरों को सामान्य सुविधा केन्द्र, कच्चा माल, बैंकों, मशीनों की खरीद, प्रशिक्षण प्रदर्शन दौरे, ब्राडिंग इत्यादि स्थापित करने में सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार की अधिकतम सहायता 500 कारीगरों से अधिक के एक क्लस्टर के लिए 5.00 करोड़ रू. तक और 500 कारीगरों तक के लिए 2.5 करोड़ रू. तक है। इसके आरंभ से 30.09.2020 तक इस स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत कुल 78 क्लस्टरों (खादीः 10 और ग्रामोद्योगः 68) की सहायता की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान इस स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 27 क्लस्टरों (खादीः 2 और ग्रामोद्योगः25) की सहायता की गई। वर्ष 2020–21 (31.03.2021 तक) इस स्फूर्ति स्कीम के अंतर्गत 50 क्लस्टरों (खादीः 10 और ग्रामोद्योगः 40) की सहायता की जानी प्रत्याशित है।
9	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम (केआरडीपी)	खादी सुधार और विकास कार्यक्रम एशियन विकास बैंक (एडीबी) से 105 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण राशि से लेकर भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया और सहायता की गई। खादी और ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं/कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		स्कीम का मुख्य उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में रोजगार सृजन, कारीगरों की आय में बढ़ोतरी, उपकरणों का प्रतिस्थापन और उन्नत प्रौद्योगिकी तथा वर्तमान बाजार आवश्यकताओं के अनुरूप खादी की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विकास की संभावना को पूर्णतया साकार करना है। इसकी शुरुआत से 30–09–2020 तक केआरडीपी के अंतर्गत कुल 472 क्लस्टर (खादी क्लस्टर : 465 और ग्रामोद्योग क्लस्टरः 7) को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2019–20 के दौरान, केआरडीपी के अंतर्गत, 43 खादी संस्थाओं को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान की गई। वर्ष 2020–21 (31.03.2021 तक) केआरडीपी के अंतर्गत 32 क्लस्टरों (खादीः 30 और ग्रामोद्योगः2) को प्रत्यक्ष सुधार सहायता (डीआरए) प्रदान किए जाने की प्रत्याशित है।
10	हनी मिशन	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) सतत रोजगार और आय सृजित करने और आधुनिक मधुमक्खी पालन की शुरूआत और लोकप्रियता से अत्यधिक आंतरिक ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जीवन को ऊपर उठाने के विचार से मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास में लगा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य में घोषणा की ''श्वेत क्रांति के साथ–साथ स्वीट क्रांति की भी जरूरत है'' उनके विजन से प्रेरित होकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय ने हनी मिशन के लिए अनुमोदन दिया। इसके प्रारंभ से 31.12.2020 तक, हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 14,215 मधुमक्खी पालकों को कुल 1,40,959 मधुमक्खी (डिब्बे) हनी कॉलोनियों के साथ वितरित किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2,637 मधुमक्खी पालकों को 26148 मधुमक्खी (बॉक्स) मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ वितरित किए गए हैं। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020 तक) हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुक्खी कॉलोनियां सहित 2750 मधुमक्खी (डिब्बे) सहित 275 मधुमक्खी पालकों को वितरित किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) हनी मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुमक्खी कॉलोनियों सहित 800 मधुमक्खी पालकों को 8000 मधुमक्खी (डिब्बे) वितरित किए जाने की आशा है।
11	कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम	खनिज आधारित उद्योग के अंतर्गत, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने कुम्हारी के कार्य में लगे कुम्हार परिवारों को मज़बूती प्रदान करने के लिए कुम्हार कारीगरों को पॉटरी व्हील समेत अन्य औज़ारों और उपकरणों का वितरण किया।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		इसके प्रारंभ से 31.12.2020 तक, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 15,735 पॉटरी कारीगरों को कुल 15,735 इलैक्ट्रिक पॉटरी ब्हील, 1048 क्ले बलंगर, 360 पममिल्स और 54 अप–ड्रॉट पॉटरी भट्टे वितरित किए गए। इससे 62940 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2019–20 के दौरान, कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अतंर्गत 6880 पॉटरी कारीगरों को 6880 इलैक्ट्रिक पॉटरी ब्हीलस् और 688 क्ले बलंगर वितरित किए गए। इससे, 27520 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 2300 पॉटरी कारीगरों को 2300 इलैक्ट्रिक पॉटरी ब्हीलस् वितरित किए गए। इससे 9200 पॉटरी कारीगर लाभान्वित हुए। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) कुम्हार सशक्तिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत 6495 पॉटरी कारीगरों को 6495 इलैक्ट्रिक पॉटरी ब्हील्स वितरित किए जाने की आशा है। इससे 25980 पॉटरी कारीगर लाभान्वित होने थे।
12	ग्रामोद्योग	'ग्रामोद्योग' का अर्थ ग्रामीण क्षेत्र में स्थित कोई उद्योग है जो बिजली के प्रयोग से अथवा बिना प्रयोग के कोई सेवा अथवा सामान का उत्पादन करता है जिसमें एक कर्मचारी या कारीगर की निर्धारित पूंजी निवेश प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मैदानी क्षेत्रों में क्रमशः 1.00 लाख रू. और पहाड़ी क्षेत्रों में 1.50 लाख रू. अथवा ऐसी अन्य राशि से अधिक न हो। वर्ष 2019–20 के दौरान, ग्रामोद्योग का उत्पादन 65343.07 करोड़ रू. था और बिक्री 84664.28 करोड़ रू. थी। इसके अतिरिक्त, ग्रामोद्योग के अंतर्गत 147.76 लाख रोजगार प्रदान किए गए। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020 तक) ग्रामोद्योग का उत्पादन 53705.04 करोड़ रू. था और बिक्री 70459.28 करोड़ रू. थी। इसके अलावा, 150.31 लाख रोजगार ग्रामोद्योगों के अंतर्गत प्रदान किए गए।
13	विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)	खादी और ग्रामोद्योग आयोग, खादी और ग्रामोद्योगों के उत्पादों को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने और बाजार मांग के अनुरूप ग्रामोद्योग को समर्थ बनाने के लिए नवप्रवर्तन, गुणवत्ता और उत्पादकता को बढ़ावा देने के विजन के साथ कार्यरत है। केवीआईसी ने अनुसंधान और विकास (आरएडंडी) परियोजनाओं और आईएसओ 9001–2015 प्रमाणीकरण के माध्यम से केवीआई क्षेत्र की गुणवत्ता आवश्यकताओं, अनुसंधान और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठोर प्रयास किए हैं।

क्र.सं.	स्कीम	केवीआईसी गतिविधियां
		अनुसंधान और विकास गतिविधियां प्रतिष्ठित बैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादकता को बढाने के उद्देश्य से जरूरतमंद संस्थाओं को वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करके प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर खोज और कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2019–20 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए खादी प्रस्तावों और अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत ग्रामोद्योग के अधीन 6 परियोजनाओं और 2 खादी परियोजनाओं की सहायता की गई। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.03.2021 तक) 27 अनुसंधान एवं विकास (खादीः 8 और ग्रामोद्योगः 19) परियोजनाओं को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत सहायता की जानी संभावित है।
14	क्षमता निर्माण	खादी और ग्रामोंद्योग आयोग के 35 विभागीय और गैर–विभागीय प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। ये प्रशिक्षण क्रेंद्र विभिन्न विषयों अर्थात् साबुन और डिटरजेंट बनाना, खाद्य वस्तुएं, बेकरी उत्पादों, रेडीमेड कपड़े बनाना, मखुमक्खी पालन, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, मोटर मरम्मत करना बाइडिंग इत्यादि की आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 71,142 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किए गए। वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) इन प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से 7969 प्रशिक्षु प्रशिक्षित किये गये।

3.1.8. खादी उद्योग में विकासः–

खादी और ग्रामोद्योग के कार्यकलाप ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की अजीविका का प्रमुख स्रोत है जिसमें देश भर के स्पिनर, बुनकर और अन्य कारीगर शामिल हैं। निम्नवत तालिका में वर्ष 2019–20 और 2020–21 (31–12–2020 और 31.03.2021 तक अनुमानित) के दौरान खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन दिया गया है और यह शानदार बढ़ोत्तरी दर्शाता है।

खादी और ग्रामोद्योगों का तुलनात्मक कार्यनिष्पादन

(रोजगारः लाख व्यक्ति में)

क्र.सं.	विवरण	2019–20	2020–21 (वास्तविक 30–12–2020 तक)	2020–21 (31–03–2021 तक अनुमोदित)
I	**उत्पादन**			
क	खादी	2058.53	1186.46	1850.76
ख	पॉलीवस्त्र	258.94	156.73	250.25
ग	सोलरवस्त्र	6.77	1.50	3.00
	कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	**2324.24**	**1344.69**	**2104.01**
घ	ग्रामोद्योग	65343.07	53705.04	76582.43
	कुल केवीआई उत्पादन	**67667.31**	**55049.73**	**78686.44**
II	**बिक्री**			
क	खादी	3634.41	1649.13	3441.51
ख	पॉलीवस्त्र	570.92	226.65	410.43
ग	सोलरवस्त्र	5.93	1.41	4.55
	कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	**4211.26**	**1877.19**	**3856.49**
घ	ग्रामोद्योग	84664.28	70459.28	101306.87
	कुल केवीआई बिक्री	**88875.54**	**72336.47**	**105163.36**
III	**रोजगार**			
क	खादी	4.61	4.61	4.63
ख	पॉलीवस्त्र	0.30	0.30	0.31
ग	सोलरवस्त्र	0.06	0.06	0.06
	कुल खादी, पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र	**4.97**	**4.97**	**5.00**
घ	ग्रामोद्योग	147.76	150.31	154.12
	कुल केवीआई रोजगार	**152.73**	**155.28**	**159.12**

3.1.9. खादी और ग्रामोद्योग आयोग को बजटीय सहायता:–

3.1.9.1. एमएसएमएम मंत्रलय योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु केवीआईसी को निधियाँ प्रदान करता है। इन निधियों को मुख्य रूप से अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है और केवीआईसी अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां पुनः आबंटित करता है अर्थात् राज्य केवीआईबी; सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएं तथा राज्य सरकारों के सहकारी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियां, और जिला उद्योग केंद्र आदि। पेंशन भुगतान सहित आयोग के प्रशासनिक व्यय को गैर–योजना सरकारी बजटीय सहायता से पूरा किया जाता है।

3.1.9.2. पिछले चार वर्षों के दौरान बजटीय स्रोतों (दोनों योजना और गैर–योजना शीर्ष) से प्रदान और बजट अनुमान–2020–21 में निर्धारित की गई निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

केवीआईसी को बजटीय सहायता

(रु. करोड़ में)

वर्ष	संशोधित अनुमान		मंत्रलय से प्राप्त निधि	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2016 - 17	1647.40	285.35	1591.08	285.35
2017 - 18	2395.08	-	2130.57	-
2018 - 19	3085.78	-	3200.65	-
2019 - 20	3461.70	-	3453.78	-
2020 - 21	2072.91	-	1508.89 (05.01.2021 तक)	-

नोटः गैर–योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2017–18 के बाद से पृथक से बजट आबंटन नहीं किया जाता है।

(2) स्फूर्ति और एस्पायर के लिए कोई बजट आबंटन नहीं है लेकिन इन स्कीमों के अंतर्गत किया भुगतान जारी राशि में शामिल किया जाता है।

माननीय श्री नितिन गडकरी दिनांक 01 अगस्त, 2020 को श्री विनय कुमार सक्सैना, अध्यक्ष केवीआईसी की उपस्थिति में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विकसित गिफ्ट बॉक्स का शुभारंभ करते हुए।

माननीय केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह दिनांक 24.07.2020 को अध्यक्ष, केवीआईसी श्री विनय कुमार सक्सैना की उपस्थिति में विडियों कांफ्रेंस के माध्यम से गांव – वलबा जिला– गांधी नगर, गुजरात के कारीगरों को इलैक्ट्रिक पॉटर व्हीलों का वितरण किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने लॉकडाउन के तत्काल बाद दिनांक 03.06.2020 को अरूणाचल प्रदेश के गांव–चुल्लयू में कोविड–19 लॉकडाउन पश्चात 'हनी मिशन' कार्यक्रम को पुनः शुरू किया।

राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरण में कार्यरत इलैक्ट्रिक पॉटर व्हील के पॉटर कारीगरों को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा सहायता की गई।

श्री रामकांत, डीआईजी, आईटीबीपी और मैनेजर, केजीबी, दिल्ली के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एमडीटीसी, नई दिल्ली में दिनांक 31.07.2020 को श्री विनय कुमार सक्सैना, माननीय अध्यक्ष केवीआईसी उपस्थित रहे।

अध्यक्ष, केवीआईसी श्री विनय कुमार सक्सैना और एसपीजी, निदेशक, अरूण सिंहा ने दिनांक 26.09.2020 को स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए एसपीजी परिसर, नई दिल्ली में खादी आउटलेट का उद्घाटन किया।

फाइबर के साथ हस्त निर्मित पेपर द्वारा बनाए गए सजावटी उत्पाद।

कलात्मक रूप से डिजाइन किए गए टेराकोटा उत्पाद।

3.2 प्रौद्योगिकी केन्द्र (पहले टूल रूम और तकनीकी विकास केन्द्रों के रूप में जाने जाते थे)

3.2.1 एमएसएमई मंत्रलय द्वारा स्थापित प्रौद्योगिकी केंद्र प्रति वर्ष 2 लाख से अधिक बेरोजगार युवाओं और उद्योग कार्यबल को व्यवहारिक कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्ष 2019–20 में, देश भर में स्थापित 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों ने 2,73,437 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया, 43,563 इकाइयों की सहायता की है और 350.96 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया है। इन प्रौद्योगिकी केंद्रों को मंत्रालय के स्वायत्तशासी निकायों के रूप में स्थापित किया गया है और अपने परिचालन खर्चों को पूरा करने के लिए आत्मनिर्भर आधार पर कार्य करते हैं। चार प्रौद्योगिकी केंद्र जर्मनी सरकार के द्विपक्षीय सहयोग से और 3 प्रौद्योगिकी केंद्रों को डेनमार्क के सहयोग से स्थापित किया गया है।

1. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी),कोलकाता
2. केन्द्रीय टूल रूम (सीटीआर), लुधियाना
3. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), इंदौर
4. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर),अहमदाबाद
5. इंडो जर्मन टूल रूम (आईजीटीआर), औरंगाबाद
6. इंडो डैनिश टूल रूम (आईडीटीआर), जमशेदपुर
7. केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (सीटीटीसी), भुबनेश्वर
8. टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र (टीआरटीसी),गुवाहाटी
9. केन्द्रीय हैण्ड टूल संस्थान (सीआईएचटी), जालंधर
10. केंद्रीय टूल डिजाइन संस्थान (सीआईटीडी), हैदराबाद
11. इलेक्ट्रॉनिक्स सेवा एवं प्रशिक्षण केंद्र (ईएसटीसी), रामनगर
12. इलेक्ट्रिकल मेजरिंग उपकरण डिजाइन संस्थान (आईडीईएमआई), मुंबई
13. सुगंध और महक विकास केंद्र (एफएफडीसी), कन्नौज
14. ग्लास उद्योग विकास केन्द्र (सीडीजीआई), फिरोजाबाद
15. प्रसंस्करण और उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), आगरा
16. प्रसंस्करण–सह–उत्पाद विकास केंद्र (पीपीडीसी), मेरठ
17. केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), आगरा
18. केंद्रीय फुटवियर प्रशिक्षण संस्थान (सीएफटीआई), चेन्नई

3.2.2 18 प्रौद्योगिकी केंद्रों (टीसी) में से, 10 प्रौद्योगिकी केंद्र, टूल डिजाइन और विनिर्माण, शुद्धता घटकों, मोल्ड, डाई आदि के माध्यम से उद्योगों को प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रौद्योगिकी केंद्र टूल इंजीनियरिंग और विनिर्माण

क्षेत्रों में कुशल जनशक्ति प्रदान करके भी उद्योग को सेवा प्रदान करते हैं। ये प्रौद्योगिकी केंद्र अपने संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक निपुण हैं।

3.2.3 फोर्जिंग और फाउंड्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग उपकरण, सुगंध एवं महक, ग्लास, फुटवियर एवं खेल का सामान जैसे विशिष्ट उत्पाद समूहों में प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्रसंस्करण और उत्पादों, उन्नत प्रौद्योगिकियों और विकसित तकनीकी सेवाएं देकर संबंधित क्षेत्रों में एमएसएमई को उत्पाद विशिष्ट सहायता के लिए आठ प्रौद्योगिकी केन्द्र हैं। देश में रक्षा, एरोस्पेस इत्यादि के लिए उनके अनुसंधान और विकास अपेक्षाओं की रणनीति जैसे क्षेत्रों को भी डिजाइन, विकास एवं विनिर्माण सहायता देने के अलावा जटिल टूल, पार्ट और घटकों के लिए कुछ प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने एमएसएमई को भी सहायता प्रदान की है।

3.2.4 मंत्रालय ने सीएडी/सीएएम, सीएनसी मशीनिंग, वेक्यूम हीट ट्रीटमेंट, 3 डी प्रिंटिंग इत्यादि जैसी नई प्रौद्योगिकियों को समय–समय पर जोड़ा है और उनके संबंधित क्षेत्रों में नवीन उन्नति के साथ–साथ उन्हें प्रासंगिक और अब्रेस्ट बनाने के लिए इन केंद्रों की सहायता की है। ये प्रौद्योगिकी केंद्र गुणवत्ता टूल, प्रशिक्षित कार्मिक एवं टूलिंग और संबंधित क्षेत्रों में परामर्श प्रदान करके उद्योगों के संबंधित खण्डों के एकीकृत विकास पर ध्यान दे रहे हैं। उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं ने भी स्वयं के उद्यम स्थापित कर लिए हैं जिससे वे देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान दे रहे हैं।

सीएनसी मशीन पर कार्य करते हुए

3.2.5 राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के अनुपालन में 76 पाठ्यक्रम विकसित किए हैं। एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कौशल प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग ले रहे हैं। कोविड–19 महामारी के कारण, प्रौद्योगिकी केंद्रों ने ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए हैं।

3.2.6 सभी प्रौद्योगिकी केंद्र सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन (टीक्यूएम) के सिद्धांतों का पालन करते हैं। वे आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संस्थान हैं और उनमें से कुछ आईएसओ –14001, ओएचएसएएस –18001, आईएसओ–29990, आईएसओ/आईईसी 17025:2005 और आईएसओ –50001 प्रमाणित हैं। केन्द्रीय टूल रूम और प्रशिक्षण केन्द्र, भुवनेश्वर भी ऐरो स्पेस कंपोनेंट सप्लाई के लिए एएस–9100 प्रमाणित है।

प्रेस–टूलः 1–पंक्ति, 25–रिटेनर प्लेट के लिए स्टेज प्रोग्रेसिव टूल

3.2.7 वर्ष 2020–21के लिए प्रोद्योगिकी केन्द्रों का वास्तविक कार्यनिष्पादन इस प्रकार है

प्रशिक्षित प्रशिक्षु

	प्रशिक्षित प्रशिक्षु (संख्या में)	सहायता प्राप्त इकाइयाँ (संख्या में)	प्लेसमेंट के लिए विकल्प चुना	कुल रखे गए (वेतन पर और स्वरोजगार)
2020-21 (दिसम्बर 2020 तक)	81,217	19,383	11,103	8,646

3.2.8 मूल्य वर्धित सेवाओं और उच्च गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा, ये प्रौद्योगिकी केन्द्र चुनौतीपूर्ण कार्य भी करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स के इन–हाउस उत्पादन से छात्रों को अति उन्नत मशीनों पर ऑन–जॉब प्रशिक्षण देने में सहायता मिलती है। ऐसे कुछ कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) प्रीसीज़न कंपोनेंट्स की डिज़ाइन और विकास

(i) स्टील संयंत्रों के लिए एएल–90 स्लाइड गेट तंत्र (मैकेनिज़्म) का विकास – एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र जमशेदपुर की आत्मनिर्भर भारत की पहल

एएल–90 स्लाइड गेट तंत्र बहुत बड़े आकार के लैडल्स से टंडिश तक 1550 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर तरल स्टील के नियंत्रित प्रवाह को बनाए रखने के लिए स्टील संयंत्र में प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। स्लाइड गेट तंत्र में स्लाइड गेट, हाइड्रोलिक प्रणाली और रिफ्रैक्ट्री कंज़्यूमेब्ल्स सामग्रियाँ शामिल हैं। वर्तमान में, एकीकृत स्टील संयंत्रों में प्रयुक्त एएल.90 स्लाइड गेट तंत्र को तीन आपूर्तिकर्ताओं यथा (क) वेसुवियस, यूरोप (ख) आरएचआई, यूरोप और (ग) क्रोसाकी हरिमा, जापान से आयात किया जाता है।

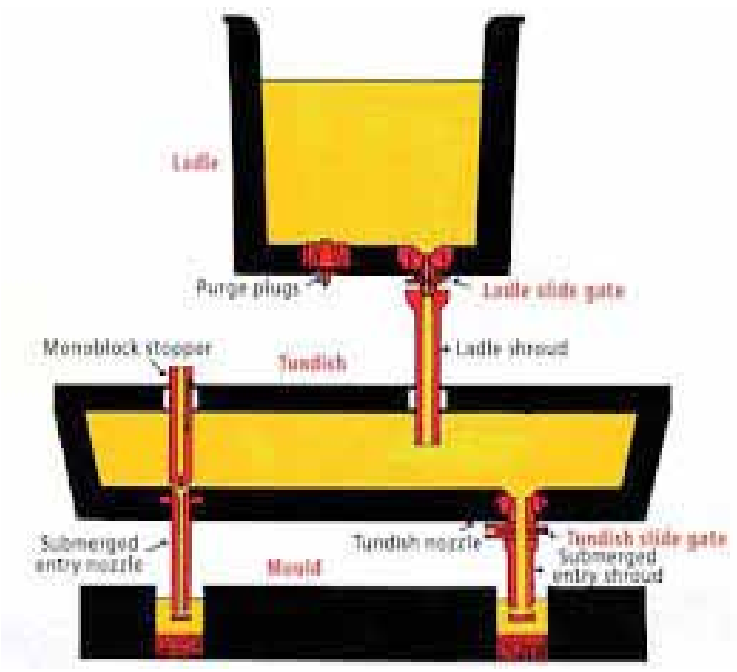

स्लाइड गेट तंत्र (मैकेनिज़्म)

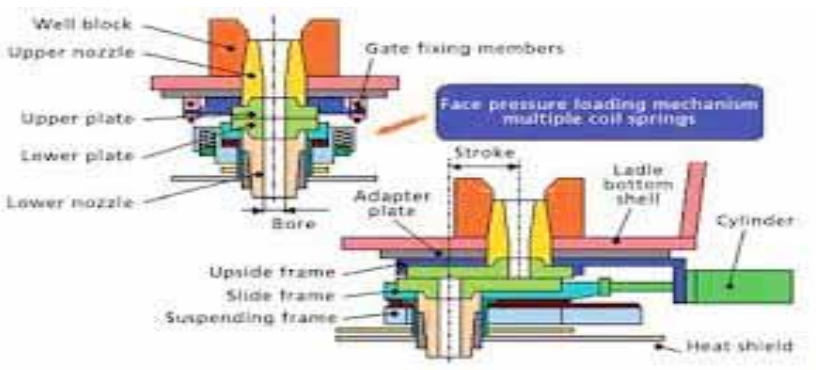

स्लाइड गेट मैकेनिज़्म की योजनाबद्ध असम्बेली

(ii) शीट मेटल पार्ट्स

- हीटशील्ड का मुख्य रूप से इंजन बे और निकास प्रणाली में उत्पन्न गर्मी को संरक्षण प्रदान करने के लिए वाहनों में प्रयोग किया जाता है।
- तेज गर्मी को नियंत्रित करने के लिए, ये शील्ड 500° C तक की गर्मी प्रतिरोधी हैं।
- हीटशील्ड अनुपूरक रूप में वाहन से उत्सर्जित शोर को कम करती है। यह एयर ध्वनि को थर्मल एनर्जी में बदल देती है और उसको आत्मसात् कर लेती है।
- वे वाहन की एरोडायनिमिक को भी बढ़ाते हैं। इससे ईंधन की कम खपत होती है और वाहन को उत्सर्जन कम होता है।
- ये उत्पाद सभी नए भावी वाहनों में अनिवार्य है।
- यह भाग ग्राहक से निर्यात के लिए है।

टर्बो चार्जर इंजन हीटशील्ड

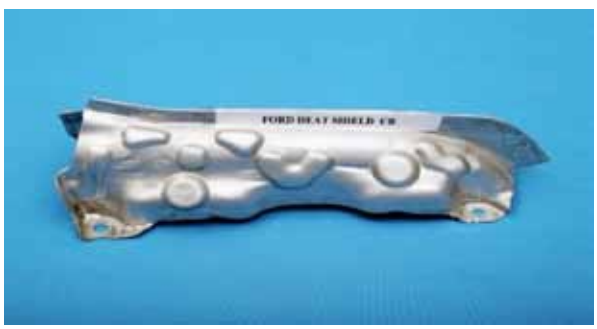

एक्जॉस्ट असेंबली हीटशील्ड

असेम्बिल्ड वाहन इंजन पर एक्जास्ट एसेंबली हीटशील्ड *ट्रबो चार्जर इंजन हीट शील्ड असेम्बिल्ड*

(ख) कोविड–19 से लड़ने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्य

एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों ने कोविड से संबंधित विभिन्न उत्पादों की डिजाइन, विकास और विनिर्माण किया है जैसेः

1. एएमटीजेड की 3 डी सॉल्यूशन कंपनी के लिए 600 कोरोना परीक्षण किट के लिए घटकों का निर्माण किया। प्रत्येक किट में 21 स्टेनलेस घटक शामिल होते हैं। ये किट कोविड–19 के लिए पीसीआर परीक्षण हेतु स्वदेशी मशीनें हैं।

2. ग्रिड टाइप फेस मास्क मोल्ड; सुरक्षा चश्मे; सैनिटाइज़र बोतल पंप; पीपीई किट्स मेडिकल गाउन की सिलाई; यूवी सैनिटाइज़ेशन वुडन बॉक्स; अस्पताल फर्नीचर (चारपाई) का डिजाइन और निर्माण किया।

3. सीडीएसी के सहयोग से शैक्षिक संस्थानों और वाणिज्यिक संगठनों के लिए इंटरैक्टिव सिस्टम के साथ 5 लीटर क्षमता वाली स्वचालित सैनिटाइज़र मशीन विकसित की गई।

4. स्वचालित सेनिटाइज़र मशीनें (क्षमताः 500 मि.ली.) निर्मित की गई और एमएसएमई को प्रौद्योगिकी हस्तांतरित की गई।

5. स्वचालित पूर्ण शरीर सैनिटाइज़र टनल का निर्माण किया गया।

6. एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र, कन्नौज ने 77494 बोतलों और 323 कैन का विनिर्माण किया और इनकी बिक्री और आपूर्ति उत्तर मध्य रेलवे, सीडीओ, फर्रुखाबाद, सीएमओ कन्नौज और फर्रुखाबाद, सीडीओ कन्नौज, कानपुर पुलिस, कन्नौज पुलिस, कन्नौज के 12 बैंकों, कन्नौज के विभिन्न नगर निगम, एआरटीओ कन्नौज, फर्रुखाबाद पोस्ट ऑफिस, सीएफओ कन्नौज, डीसी एमएसएमई, 6 प्रौद्योगिकी केन्द्रों, 9 एमएसएमई–विकास संस्थानों (जम्मू, ओखला, कानपुर, आगरा, नई दिल्ली आदि) और 16 अन्य एमएसएमई को की गई।

फेस शील्ड

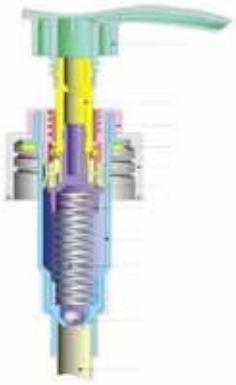

सैनिटाइजर पम्प प्रोडेक्ट डिजाइन

फेस शील्ड सैनिटाइजर पम्प उत्पाद डिजाइन

कोविड–19 से लडने के लिए एमएमएमई प्रौद्योगिकी केन्द्र, ईसी टीसी ने स्वस्थ्य जीवनचक्र के लिए कई उत्पाद प्रोटोटाइप, विकसित एवं विनिर्मित किए हैं।

अल्ट्रा वायलट सैनिटाइजर

यूवी फ्लोर डिसफैक्टर रोबो

हैंड सैनिटाइजर स्टैण्ड पेडल आपरेटिड

3.2.9 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना

विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों और 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क के संवर्धन के लिए देश भर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की टीसी/ईसी की पहुंच को बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 20 प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) और 100 विस्तार केन्द्रों (ईसी) के लिए ''नए प्रौद्योगिकी केन्द्रों/विस्तार केन्द्रों की स्थापना'' की एक स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। ये टीसी/ईसी देश में एमएसएमई हेतु प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, इंक्यूबेशन और परामर्श तथा कुशल जिज्ञासुओं को नियोजिनीयता, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और नए एमएसएमई के सृजन जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं।

आशा है कि सृजित टीसी/ईसी का नेटवर्क देश में उद्योग–शैक्षणिक संस्थाओं से लिंकेज को मजबूत करने और केंद्रों में प्रदत्त इंक्यूबेशन/एआर/वीआर /एआई इत्यादि जैसी आधुनिक सुविधाओं, उन्नत प्रौद्योगिकियों के माध्यम से नवप्रवर्त्तन सहायता का योगदान भी देगा।

हब और स्पोक मॉडल के अंतर्गत 20 प्रौद्योगिकी केन्द्र और 100 विस्तार केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं जिनमें कुछ विस्तार केन्द्र (स्पॉक रूप में टीसी का एक लघु रूप) परामर्श, मॉनटरिंग, प्रशासन एवं नियंत्रण के लिए सामान्य प्रौद्योगिकी केद्र (हब) की स्थापना की जाएगी जिससे एमएसएमई और विस्तारित क्षेत्र के कौशल जिज्ञाशुओं की आवश्यकताओं के आधार पर देशभर में आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित अधिकतम भाग को कवर किया जा सके। स्कीम के अंतर्गत प्रति प्रौद्योगिकी केन्द्र 200 करोड़ रुपए और प्रति विस्तार केन्द्र 20 करोड़ रुपए के निवेश हेतु व्यय करने का प्रस्ताव है। ये टीसी/ईसी उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार सामान्य इंजीनियरिंग, सुगंध और महक, इलैक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम), खेलों तथा अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में स्थापित किए जाएगें।

मुख्य प्रौद्योगिकियों क्षेत्रों में तैयार प्रौद्योगिकी केन्द्रों और उनके विस्तार केन्द्रों का नेटवर्क स्थापित करना केंद्र बिन्दु है। कौशल सहित विभिन्न मूल्यवर्धित सेवाओं के माध्यम से एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना और उनके कार्य और आउटपुट के एकीकृत भाग के रूप में नवप्रवर्तन किया जा सके।

3.2.9.1 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना की स्थिति है:

1. प्रौद्योगिकी केन्द्रों के लिए स्थान को अंतिम रूप दिया गया।
2. दो स्थानों में भूमि इस कार्यालय के आधिपत्य में है और पांच अन्य स्थानों की भूमि को भी अंतिम रूप दिया गया जो संबंधित राज्य सरकारों से हस्तांतरण की प्रक्रिया में है।

3.2.9.2 विस्तार केंद्रों की स्थापना की स्थिति:

1. विस्तार केन्द्रों के लिए 35 स्थानों को अंतिम रूप दिया गया। इन 35 स्थानों में से, 22 स्थानों की डीपीआर अनुमोदित की गई और इन विस्तार केंद्रों की स्थापना के लिए 128 करोड़ रुपए की पहली किस्त के रूप में जारी की गई।

   13 विस्तार केंद्रों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू कर दिया है। वर्ष 2020–21 के दौरान, इन विस्तार केंद्रों ने दिसंबर, 220 तक 7824 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया है। आशा है कि ये विस्तार केंद्र 31 मार्च, 2021 तक लगभग 10,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने में समर्थ होंगे।

3.2.10 आयात प्रतिस्थानी:

एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने के लिए आयात प्रतिस्थानी के लिए उत्पादों के विकास में एमएसएमई और अन्य इकाइयों की भी सहायता करते हैं। आयात प्रतिस्थापन के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं:

- आईडीटीआर जमशेदपुर ने टाटा स्टील लिमिटेड के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से आर्गन गैस इंजेक्टर के ऑटो कपलर को डिजाइन और विकसित किया है। इसे डीएमजी जर्मनी (मशीन टूल्स के विनिर्माता) से आयात किया जा रहा था।

- सीटीटीसी भुवनेश्वर ने मैसर्स रोबोसर्जमैडटेक प्रा.लि., विजाग के लिए रोबो सर्जरी हेतु प्रयुक्त क्रिम्पिग डाइज़, प्रोकार निडल पाट्र्स, कोरोनरी कनेक्टर जैसे विभिन्न भागों को विकसित और विनिर्मित किया है। इसे चीन से आयात किया जा रहा था।

3.2.11 आत्मनिर्भर भारत पहल (अक्तूबर, 2020 के दौरान):

प्रौद्योगिकी केंद्रों ने आत्मनिर्भर भारत के भाग के रूप में निम्नलिखित पहल की हैं

(i) सीटीटीसी भुवनेश्वर ने आत्मनिर्भर भारत पहल के रूप में तेजस एयरक्राफ्ट (भारतीय एकल इंजन, चौथी पीढ़ी, मल्टीरोल लाइट फाइटर एयरक्राफ्ट) के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम फिल्टर और एलआरयू (आयात प्रतिस्थानी) के कुछ भाग विकसित किए हैं।

(ii) आईडीटीआर जमशेदपुर ने आत्मनिर्भर भारत पहल के भाग के रूप में निम्नलिखित दो आयात प्रतिस्थानी विकसित किए हैं:

(क) जेयूक्यूसी (जापानी अल्टीमेट क्विक चेंजर) मैकेनिज्म जिसका प्रयोग स्टील उद्योगों में निरंतर कास्टिंग प्रक्रिया में किया जाता है। इसको वर्तमान में जापान से आयात किया जाता है।

(ख) एएल–90 स्लाइड गेट मैकेनिज़्म का प्रयोग स्टील संयंत्र में1550 डिग्री सी. तापमान पर लैडल से टंडिश तक पिघले हुए स्टील के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे असेंबल करके संस्थापित परीक्षण किया जा रहा है। इसे जेएसडब्ल्यू डोलवी, महाराष्ट्र में 350 टन क्षमता के बड़े लैडल में संस्थापित किया जाएगा। इसको वर्तमान में यूरोप और जापान से आयात किया जाता है।

3.2.12 प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी)

देश में मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रो के कार्यकरण की सफलता को देखते हुए और प्रौद्योगिकी केंद्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी) के विस्तार और उन्नयन करने के विचार से, एमएसएमई मंत्रालय ने देशभर में 2200 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने (टीसी) और मौजूदा टीसी के उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) का शुभारम्भ किया है। देश में एमएसएमई के लिए एक नवप्रवर्तनकारी इको–सिस्टम बनाने के लिए टीसीएसपी की संकल्पना की गई है।

कार्यक्रम की स्थिति

- कार्यक्रम का कार्यान्वयन 15 जनवरी 2015 से आरम्भ किया गया।
- कुल 15 नए टीसी में से 13 नए टीसी (पटना, रोहतक, भिवाड़ी, बद्दी, बैंगलुरू, दुर्ग, पुदुचेरी, विशाखापट्टनम, सितारगंज, भोपाल, इम्फाल, एरनाकुलम, ग्रेटर नोएडा और कानपुर) के लिए निर्माण कार्य कॉंट्रेक्ट हस्ताक्षरित किया गया। अधिकांश टीसी का सिविल कार्य अग्रिम चरण में हैं। पटना टीसी के निर्माण कार्य के लिए सुपुदर्गी पत्र ठेकेदार को जारी कर दिया गया। श्रीपेरम्बदूर में टीसी के लिए ठेका के दिसम्बर, 2020 में हस्ताक्षर किए जाने की आशा है।
- भिवाडी, पुदी और भोपाल टीसी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रोहतक और पुदुचेरी के दो और टीसी का निर्माण कार्य दिसम्बर, 2021 तक पूर्ण होने की आशा है। इसके अतिरिक्त 8 टीसी का निर्माण कार्य मई, 2021 तक पूरा होने की आशा है।

- भिवाड़ी, टीसी का उदघाटन श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा दिनांक 31.08.2020 को किया गया।
- नए टीसी के लिए मशीनों, उपकरणों और फर्नीचर आदि की खरीद पहले ही कर ली गई है और निर्माण की प्रगति के साथ आपूर्ति समकालिक रूप से की जाती है। नये टीसी में 323 मशीन और लैब के आदेश दिए गए हैं जिनमें से 192 मशीन और लैबों की स्थल पर सुपुर्दगी की गई है।
- आधुनिकीकरण के तहत, मौजूदा टीसी को नवीनतम अत्याधुनिक मशीन और उपकरण प्रदान किए गए हैं।
- 11 नए टीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आरम्भ किए गए हैं और 4713 व्यक्तियों को पहले ही प्रशिक्षित किया गया है।
- भिवाड़ी, भोपाल, दुर्ग, रोहतक, पुद्दी और बद्दी में छह टीसी में दीर्घकालिक पाठ्यक्रम चलाने के लिए एआईसीटीई का अनुमोदन है।
- भिवाड़ी टीसी ने दीर्घकालिक पाठ्यक्रम आरम्भ किए दिए हैं और टीसी, भोपाल, दुर्ग, रोहतक और विजाग (पुदी) मे दीर्घकालिक पाठयक्रम इस वित्त वर्ष के दौरान आरम्भ होने की आशा है।
- भिवाड़ी टीसी के पहले बैच के विद्यार्थियों ने अपना दीर्घकालिक पाठ्यक्रम पूरा कर लिया था और टियर 1 तथा टियर 2 विनिर्माण क्षेत्र –उद्योगों द्वारा प्राप्त किए गए हैं।

कोविड–19 और लॉकडाउन के कारण परियोजना और निर्माण कार्य की प्रगति बुरी तरह से प्रभावित हुई। लॉकडाउन के बाद सभी स्थानों पर निर्माण कार्य पर्याप्त सुरक्षा और सावधानियों के साथ स्थल पर धीरे–धीरे शुरु किए गए। कामगारों के लिए नियमित अंतराल पर स्थल पर कीटानुनाशन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

हुआ व्ययः

(रु. लाख में)

घटक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (दिसम्बर, 2020 तक)
संयंत्र और मशीनरी की खरीद	4453.17	2022.95	5378.26	6173.32	12041.01
टीसी का निर्माण	888.4	11692.97	19845.26	17634.97	8136.48
परिचालन लागत	56.94	8.92	58.26	1157.41	1078.26*
पीएमयू परामर्श	599.33	328.43	775.29	559.02	519.57
टीसीएम परामर्श	-	-	105.6	554.63	608.47
अन्य तकनीकी सहायता	1.29	0.24	45.94	542.78	2007.42#
कुल व्यय	5999.13	14053.51	26208.61	26622.13	24391.21

नोटः

**वेतन*

 # आवर्ती और अनावर्ती व्यय

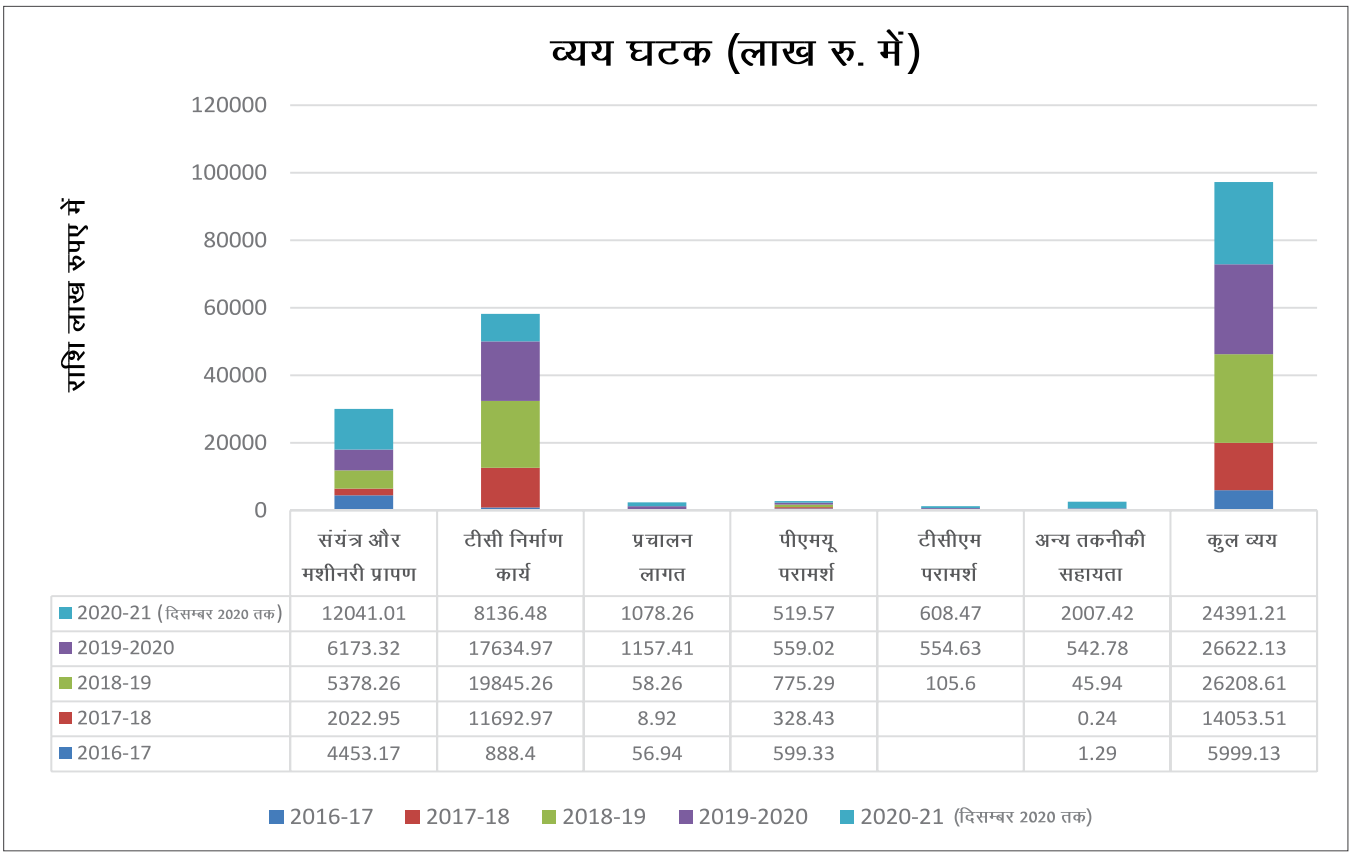

प्रशिक्षण–प्रशिक्षित विद्यार्थियों की संख्या

क्र. सं.	टीसी का स्थान	वित्त वर्ष 2018–19	वित्त वर्ष 2019–20	वित्त वर्ष 2020.21 (दिसंबर, 2020 तक)
		प्रदत्त पाठ्यक्रम	प्रदत्त पाठ्यक्रम	प्रदत्त पाठ्यक्रम
1	भिवाडी	12	357	536
2	भोपाल	29	305	231
3	विजाग (पुदी)	-	509	273
4	रोहतक	-	312	301
5	दुर्ग	31	460	336
6	बद्दी	-	60	65
7	सितारगंज	36	91	201
8	कानपुर	22	124	17
9	पुदुच्चेरी	6	160	11
10	बेंगलुरु	21	154	14
11	इम्फाल	-	39	0
12	ग्रेटर नोएडा	-	0	0
कुल		**157**	**2571**	**1985**

3.2.13 कोविड जागरूकता कार्यक्रमः

Covid-19 Awareness Programme

Precautions and Sanitisation at site

तैयार स्थान

टीसी भिवाड़ी

प्रचालन के लिए तैयार है। नीचे चित्र दिए गए हैं

पुदी टीसी

भोपाल टीसी

रोहतक टीसी

सितारगंज टीसी

दुर्ग टीसी

पुदुचेरी टीसी

कानपुर टीसी

ग्रेटर नोएड़ा टीसी

इम्फाल टीसी

एर्नाकुलम टीसी

3.2.14 रूफटॉप सोलर पीवी इकाइयों की संस्थापना

सरकारी कार्यालयों में शीघ्र नवीकरणीय ऊर्जा पहुँचाने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के 11 एमएसएमई–डीआई/टीसी में रूफटॉप सोलर पीवी परियोजना संस्थापित की गई हैं:.

क्र.सं.	संस्थानों का नाम
1	एमएसएमई– विकास संस्थान, मुजफ्फरपुर
2	एमएसएमई– विकास संस्थान, करनाल
3	एमएसएमई– विकास संस्थान, मुम्बई
4	एमएसएमई– परीक्षण केन्द्र, मुम्बई
5	एमएसएमई– विकास संस्थान, जयपुर

क्र.सं.	संस्थानों का नाम
6	एमएसएमई– विकास संस्थान, आगरा
7	एमएसएमई– शाखा विकास संस्थान, वाराणसी
8	एमएसएमई– विकास संस्थान, कोलकाता
9	एमएसएमई– विकास संस्थान, चेन्नई
10	एमएसएमई–परीक्षण केन्द्र, चेन्नई
11	एमएसएमई– विकास संस्थान, हल्दवानी

3.2.15. दिव्यांगजनों के लिए भवन तक पहुंचने हेतु की गई पहल

एसेसिबल इंडिया कम्पैन के अंतर्गत भवन को दिव्यांगजन की पहुंच के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के 11 एमएसएमई–विकास संस्थानों/प्रशिक्षण संस्थानों को 2.96 करोड़ रुपए की निधि आबंटित की गई है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:–

क्र.सं.	संस्थानों का नाम
1	एमएसएमई– विकास संस्थान, रांची
2	एमएसएमई– विकास संस्थान, त्रिशूर
3	एमएसएमई– विकास संस्थान, इम्फाल
4	एमएसएमई– विकास संस्थान, कानपुर
5	एमएसएमई– विकास संस्थान, कोलकाता
6	एमएसएमई– विकास संस्थान, बेंगलुरू
7	एमएसएमई– विकास संस्थान, हल्द्वानी
8	एमएसएमई– विकास संस्थान, नई दिल्ली
9	एमएसएमई– विकास संस्थान, लुधियाना
10	एमएसएमई–परीक्षण संस्थान, थ्रियूवला
11	एमएसएमई– विकास संस्थान, अगरतला

3.3 कयर बोर्ड

3.3.1 परिचय

कयर बोर्ड की स्थापना कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने, कयर और कयर उत्पादों के निर्यात संवर्धन सहित भारत में परंपरागत उद्योग में लगे कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है।

3.3.2 उद्देश्य

भारत, विश्व का सर्वाधिक कयर उत्पादन करने वाला देश है, जो विश्व में उत्पन्न होने वाले कुल कयर फाइबर का 80% से अधिक उत्पादन करता है। भारत में कयर क्षेत्र में बहुत अधिक विविधाताएं हैं और इसमें घरेलू निर्माता, सहकारी समितियां, गैर–सरकारी संगठन, विनिर्माता एवं निर्यातक शामिल हैं। यह सुंदर हस्त–निर्मित वस्तुओं, हस्तशिल्प एवं नारियल के छिलके से बने उपयोगी उत्पादों को बनाने का उत्कृष्ट उदाहरण है जो अन्यथा एक कचरे के रूप में होता है। कयर उद्योग लगभग 7.34 लाख व्यक्तियों को रोज़गार प्रदान करता है जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों से होते हैं और ये आर्थिक रूप से समाज के कमज़ोर वर्ग से संबंधित होते हैं। फाइबर निष्कर्षण एवं कताई क्षेत्रों में कयर कामगारों में लगभग 80 प्रतिशत महिलाएं शामिल हैं। बोर्ड को कयर उद्योग के समग्र विकास को बढ़ावा देने और इस परंपरागत उद्योग में जुटे हुए कामगारों के जीवन स्तर को सुधारने का कार्य सौंपा गया है।

3.3.3 कार्य

कयर उद्योग के विकास के लिए कयर बोर्ड के कार्यों में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- कयर यार्न और कयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना और उस प्रयोजन के लिए प्रचार–प्रसार करना।
- कयर उत्पादों के विनिर्माता के रूप में कयर स्पिन्डल और करघों को पंजीकृत करके और कयर उत्पादों के विनिर्माण के लिए केन्द्र सरकार के पर्यवेक्षण में हस्क, कयर यार्न और कयर उत्पादों को विनियमित करना।
- वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान को सहायता व प्रोत्साहन देना और एक या एक से अधिक अनुसंधान संस्थानों का रखरखाव और सहयोग करना।
- कयर उद्योगों के निर्माताओं और डीलरों तथा अन्य व्यक्तियों से आंकड़ों को एकत्रित करना जो कयर उद्योग से संबंधित किसी भी मामले और आंकड़ों के प्रकाशन हेतु इस प्रकार एकत्रित किए हों।
- फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के निरीक्षण हेतु आवश्यक होने पर ग्रेड मानकों का निर्धारण करना।
- भारत और अन्य जगहों में नारियल हस्क, कयर फाइबर, कयर यार्न और कयर उत्पादों के विपणन में सुधार करना और अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकना।
- विद्युत की सहायता से कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु कारखानों की स्थापना करना अथवा स्थापना में सहायता करना।
- हस्क, कयर फाइबर और कयर यार्न के उत्पादकों और कयर उत्पादों के विनिर्माताओं के बीच सहकारी संगठन को बढ़ावा देना।
- हस्क, कयर फाइबर और कयर यार्न और कयर उत्पादों के उत्पादकों हेतु पारिश्रमिक सुनिश्चित करना।

- कयर उद्योग के विकास से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देना।

3.3.4 संगठन

- भारत सरकार ने दिनांक 22.02.2019 की राजपत्र अधिसूचना सं.सा.आ. 1019 (ई) के माध्यम से तीन वर्ष की अवधि के लिए कयर बोर्ड का पुनर्गठन किया। वर्तमान में कयर बोर्ड में अध्यक्ष, कयर बोर्ड सहित 16 सदस्य शामिल हैं।

- कयर बोर्ड का मुख्यालय कयर हाऊस, एम.जी. रोड, केरल में स्थित है। कयर बोर्ड भारत के विभिन्न भागों में स्थापित 29 शोरूम एवं बिक्री केंद्रों सहित 47 स्थापनाओं को संचालित कर रहा है। बोर्ड के अधीन कुल 259 कर्मचारी हैं। (दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार)

3.3.5 भारत में कयर उद्योग

कयर, हस्क से निष्कर्षित एक मोटा फाइबर है, जो नारियल की रेशेदार बाहरी परत होती है। नारियल के रेशे से बनी रस्सी और डोरियों का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। भारतीय नाविक, जो मलाया, जावा, चीन और अरब की खाड़ी से सैंकड़ों वर्षों पूर्व समुद्री यात्रा करते थे, अपने जहाज के लिए रस्सी के रूप में कयर का इस्तेमाल करते थे। मैंटिंग और अन्य फर्श की कवरिंग फैक्टरी आधार पर भारत में 150 वर्षों से भी पहले से आरंभ की गई थी जब अलप्पुझा में वर्ष 1859 में पहली फैक्टरी स्थापित की गई थी। कयर उद्योग एक कृषि आधारित परंपरागत उद्योग है जो केरल राज्य में प्रारंभ हुआ और तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, असम, त्रिपुरा आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक राज्यों मे इसे उगाया जाता है। यह एक निर्यात उन्मुखी उद्योग है जिसमें प्रौद्योगिकी इंटरवेंशन के माध्यम से मूल्य वृद्धि के जरिए निर्यात बढ़ाने की संभावना है।

3.3.5.1 विगत 5 वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कयर का निर्यात (मात्र एवं मूल्य)

वर्ष	मात्र (मीट्रिक टन)	मूल्य (रु. लाख में)
2015-16	752,020	190142.52
2016-17	957,045	228164.82
2017-18	10,16,564	253227.84
2018-19	964,046	272804.59
2019-20	988,996	275790.13
2020-21 (नवंबर 2020 तक अस्थायी)	722,459	225497.67
2020-21(मार्च 2021 तक अनुमानित)	10,00,000	300000.00

3.3.5.2 वर्ष 2020–21 के दौरान भारत से कयर का आयात करने वाले 5 प्रमुख देश (नवंबर 2020 की स्थिति अनुसार)

क्र. संख्या	देश	मात्र (टन में)	प्रतिशत (%)	मूल्य (रु. लाख में)	प्रतिशत (%)
1	अमेरिका	125482.57	17.37	68315.78	30.30
2	चीन	269752.82	37.34	50923.26	22.58
3	नीदरलैंड	61276.17	8.48	17904.51	7.94
4	दक्षिण कोरिया	49079.33	6.79	11950.18	5.30
5	यूके	18738.59	2.59	9087.70	4.03

3.3.5.3 विगत 5 वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान भारत में कयर फाईबर उत्पादन

वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	2020–21 (दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार)	2020–21 (मार्च 2021 तक प्रत्याशित)
कयर फाइबर उत्पादन (मीट्रिक टन)	5,49,300	5,56,900	5,59,400	7,49,600	7,41,000	**5,19,000**	**7,10,000**

- विगत दो वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कयर और कयर उत्पादों का अनुमानित उत्पादन नीचे दिया गया है:

3.3.5.4 वर्ष 2018–19 से 2020–2021 के दौरान कयर उत्पादों के उत्पादन में बढ़ोत्तरी

मद	2018–19 (मात्रा मीट्रिक टन में)	2019–20 (मात्रा मीट्रिक टन में)	2020–21 (मात्रा मीट्रिक टन में) (दिसंबर 2020 की स्थिति अनुसार)	2020–21 (मात्रा मीट्रिक टन में) (दिसंबर 2020 तक प्रत्याशित)
कयर फाईबर	7,49,600	7,41,000	5,19,000	7,10,000
कयर यार्न	4,49,800	446000	3,12,400	4,27,300
कयर उत्पाद	2,96,800	294200	2,06,100	281900
कयर रस्सी	90,000	89200	62,500	85,500
कर्लड कयर	89,900	88800	62,200	85,100
रबड़युक्त कयर	89,100	89500	1,19,900	90,700

3.3.6 स्वच्छ भारत अभियान

कयर बोर्ड ने केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान देकर स्वच्छ भारत अभियान में भाग लिया। बोर्ड वर्ष 2020–21 के लिए अनुमोदित किए गए बहुत से बिंदुओं पर अपनी कार्ययोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

3.3.7 कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित स्कीमें

3.3.7.1 कयर विकास योजना (सीवीवाई)

कयर बोर्ड देश में कयर उद्योग के समग्र विकास और वृद्धि के लिए विभिन्न स्कीमें/ कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अम्ब्रेला स्कीम, कयर विकास योजना के अंतर्गत कार्यान्वित घटक स्कीमें/ कार्यक्रम निम्नलिखित हैं:

(i) विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस और टी)

कयर बोर्ड के अंतर्गत कयर पर नवप्रवर्तन अनुसंधान और विकास कार्यकलाप दो अनुसंधान संस्थान नामतः केंद्रीय कयर अनुसंधान संस्थान (सीसीआरआई), कलावूर और केंद्रीय कयर प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईसीटी), बैंगलुरू कर्नाटक द्वारा निम्नवत क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जाता है–

I. कयर क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण

II. मशीनरी और उपकरणों का विकास

III. उत्पादन विकास और विविधता

IV. पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का विकास

V. प्रौद्योगिकी अंतरण, इन्क्यूबेशन, परीक्षण और सेवा सुविधाएं

रिपोर्ट वर्ष के दौरान, संस्थानों के अंतर्गत निम्नवत उपलब्धियां अर्जित की गई हैं :

- एनआरआईडीए ने नवीन सामग्री/ नवीन प्रौद्योगिकी श्रेणी के अंतर्गत कयर भू–वस्त्र के उपयोग के लिए आदेश ज़ारी किए हैं और सात राज्यों में पीएमजीएसवाई–III के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई का 5% आबंटित किया है।
- लकड़ी की झाड़ू पर पीवीसी के कटे हुए बेकार टुकड़ों/ रबड़ टफ्ड कयर मैंटों के उपयोग से एक ब्रुश बनाया गया जिसके अंतिम सिरे के ब्रुश वाला भाग प्रतिस्थापनीय है। इस प्रकार के ब्रश कालीनों, चटाइयों और पायदानों की सफाई के लिए उपयोगी हो सकते हैं और इनका उपयोग इस महामारी की परिस्थियों के दौरान किफायती लागत पर विभिन्न प्रकार के सफाई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

- कोविड–19 महामारी के दौरान एक पहल के रूप में, जैविक पदार्थों के उपयोग से नरम किए गए कयर रेशों के उपयोग से कोविड चटाइयां बनाई गई जो प्राकृतिक, सस्ती और शत प्रतिशत जैव–क्षरणीय (बायोडिग्रेडेबल) हैं।
- कयर बोर्ड ने दिनांक 27.04.2020 को आईआईटी मद्रास के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य ''अन्य प्राकृतिक रेशों (फाइबर) के साथ संयोजन अथवा विशेष रूप से कयर के उपयोग '' पर एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना है।
- कयर बोर्ड ने दिनांक 03.08.2020 को भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), बैंगलुरू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसका उद्देश्य विभिन्न अंतिम उपयोग के उद्देश्यों के लिए उच्च मूल्य वर्धित कयर कंपोज़िटों (सीईसीसी) में कयर रेशों की उपयोगिता का कायांतरण करने हेतु एक उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करना है।
- दिनांक 19.08.2020 को ग्रामीण सड़क निर्माण में कयर भूवस्त्रों के प्रौद्योगिकीय प्रसार के लिए ''कयर जियोरोड 2020'' का आयोजन किया गया। इस वेबीनार के लक्षित प्रतिभागी सात राज्यों के पीएमजीएसवाई इंजीनियर और आरआरडी, इंजीनियर थे जिनका उद्देश्य पीएमजीएसवाई–III ग्रामीण सड़कों के निर्माण में कयर भूवस्त्रों को विस्तार देना है। इस वेबीनार में लगभग 440 व्यक्तियों ने भाग लिया जिनमें पीएमजीएसवाई राज्य ग्रामीण विभागों और तकनीकी एजेंसियों आदि के कार्यरत इंजीनियर शामिल हुए थे।
- भारतीय मानक ब्यूरों ने कयर और कयर उत्पादों पर प्रकाशन हेतु 6 नवीन मानदंडों को अंतिम रूप दिया।
- सीआईसीटी कैंपस में कयर वुड के लिए एक अनुभव केंद्र का निर्माण किया गया है जिसका क्षेत्रफल 340 वर्ग फीट है और प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए इसे कयर कंपोज़िट के साथ पूर्णतः कवर और पैनलीकृत किया गया है।

मार्च, 2021 तक संचालित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रम

- सीसीआरआई की परीक्षण प्रयोगशालाओं का एनएबीएल प्रत्यायन।
- सॉफ्टवेयर आधारित ऑनलाईन परीक्षण सेवाओं का कार्यान्वयन।
- कयर रेल व्हील एक्सिलों के लिए कयर आधारित पर्यावरण–अनुकूल पैकेजिंग सामग्रियों का विकास।
- रेलवे में कुशनिंग उपयोगों (ऐप्लिकेशन) के लिए अग्निरोधी रबरयुक्त कयर का विकास।

- भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआईआरटीआई), बैंगलुरू के माध्यम से किफायती कयर कंपोज़िट के विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास।
- विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं में कयर भूवस्त्रों का अनुप्रयोग।
- बुनाई के लिए शटरहित पावर लूम का विकास।

(ii) कौशल उन्नयन और महिला कयर योजना (एमसीवाई)

पीएमईजीपी स्कीम और स्फूर्ति स्कीम आदि के अंतर्गत लाभ प्राप्त करके और उद्यमिता विकास कार्यक्रमों, वेबीनारों, जागरुकता कार्यक्रम आदि का आयोजन करके कयर इकाइयों की स्थापना करने के लिए भावी उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से कयर उद्योग में कुशल जनशक्ति का विकास करने और अपनी स्कीमों और कयर क्षेत्र में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकियों पर सूचना का प्रसार करने का कार्य इस स्कीम के अंतर्गत शुरू किया जा रहा है।

कोविड–19 महामारी की वजह से, बोर्ड ने प्रशिक्षण को ऑनलाईन मोड में अंतरित (स्विचओवर) करने के उपाय किए हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कारीगरों और उद्योगों के उपयोग के लिए ऑनलाईन प्रशिक्षण कक्षाओं के संचालन हेतु विभिन्न कयर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों और ई–ट्यूटॉरियलों पर 100 लघु विडियों कयर बोर्ड की वेबसाईट पर तैयार कर अपलोड किए गए हैं। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम विडियो कक्षाओं के माध्यम से प्रारंभ किए गए हैं और साथ ही वास्तविक तौर पर कक्षाओं का आयोजन हो रहा है। सेमीनारों का स्थान वेबीनारों ने ले लिया है। रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान, दिनांक 31.12.2020 तक, बोर्ड ने विभिन्न विषयों पर 4 वेबीनारों का आयोजन पहले ही कर लिया है जिनमें पीएमईजीपी, स्फूर्ति, एमएसई–सीडीपी आदि सहित कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों समेत कयर और कयर उद्योग से संबंधित विभिन्न विषय शामिल हैं। इनमें 20000 से अधिक भागीदारों ने भाग लिया। ये वेबीनार वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की गई और इन्हें ट्वीटर, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया माध्यमों से साझा किया गया।

आशा है कि बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से मार्च, 2021 तक शेष अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण के अंतर्गत 7000 से अधिक प्रशिक्षुओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर सकता है नामतः **मूल्य संवर्धन कार्यक्रम (वीएपी) और महिला कयर योजना (एमसीवाई)** एवं एनएसक्यूएफ अलाईंड नियमित पाठ्यक्रम और 24 उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), 25 जागरुकता कार्यक्रम, 22 कार्यशालाएं औंर 10 वेबीनार शामिल हैं।

iii. निर्यात बाज़ार संवर्धन

निर्यात बाज़ार संवर्धन के क्षेत्र में बोर्ड के कार्यकलापों में कयर निर्यातकों का पंजीकरण, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों और क्रेता–विक्रेता बैठकों में कयर क्षेत्र में एमएसएमई इकाइयों की भागीदारी सुनिश्चित करना, अंतराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत एमएसएमई इकाइयों को सहायता उपलब्ध कराना, विदेशों में कार्यालयों की स्थापना, कयर उद्योग अवार्ड आदि शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत, बोर्ड मौजूदा और नए बाज़ारों में भारतीय कयर उत्पादों का शेयर बढ़ाने, विदेश में पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक रेशे के रूप में कयर का प्रचार आदि के लिए प्रयास करेगा। बोर्ड विदेश में अंतर्राष्ट्रीय मेलों में राष्ट्रीय भागीदारी, भारत और विदेश में कयर के लिए विशेष अंतर्राष्ट्रीय मेलों, कयर के लिए विदेश में क्रेता विक्रेता बैठकें, भारत में रिवर्स क्रेता–विक्रेता बैठकें, सेमीनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं आदि में भागीदारी का आयोजन सुनिश्चित करेगा। इस स्कीम के अंतर्गत, पात्र उद्यमी पात्रता की शर्तों और निर्धारित मात्रा के

अनुसार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/ क्रेता–विक्रेता बैठकों में भागीदारी के लिए सहायता के रूप में स्थान किराया (स्पेस रेंट), वायुयान किराया, भाड़ा प्रभार आदि की प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान उपलब्धियां (दिनांक 31.12.2020):

1. 80 इकाइयों का कयर निर्यातकों के रूप में पंजीकरण किया गया है और उन्हें पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाण पत्र ज़ारी किए गए हैं।
2. बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत विदेशी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता के रूप में भारतीय कयर क्षेत्र में 80 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को 1,67,47,114–/ रु. की प्रतिपूर्ति की है।
3. कोविड–19 महामारी फैलने के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के निरस्तीकरण / स्थगन के कारण, कयर बोर्ड उन सभी विदेशी कार्यक्रमों में भारतीय कयर क्षेत्र की भागीदारी का आयोजन नहीं कर पाया जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत मंत्रालय ने सिद्धांतः अनुमोदन दे रखा था। तथापि बोर्ड ने 29 अक्टूबर से 30 नवंबर, 2020 के दौरान आयोजित की गई नमस्ते भारत वर्चुअल प्रदर्शनी में भागीदारी की है।

   22 से 25 फरवरी वर्ष 2021 के दौरान आयोजित किए जाने वाले आईईसीए वर्चुअल वार्षिक सम्मेलन और एक्सपो में भारतीय कयर क्षेत्र की भागीदारी के आयोजन के लिए कार्रवाई पहले से ही शुरू कर दी है।

   साथ ही बोर्ड ने विशेष रूप से कयर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल मेले के आयोजन के लिए भी कार्रवाई पहले ही शुरु कर दी है।

iv. घरेलू बाज़ार संवर्धन

कयर उत्पादों के लिए घरेलू बाजार विकास के लिए, बोर्ड प्रचार और प्रसार, मुख्य घरेलू प्रदर्शनी में भागीदारी, सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों इत्यादि के माध्यम से बिक्री को बढ़ाने के लिए कार्यनिष्पादन से संबंधित बाजार विकास सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न कार्यकलाप करता है। बोर्ड कयर उत्पादों के वार्षिक टर्नओवर के 10% की दर से बाज़ार विकास सहायता के रूप में कयर उत्पादक राज्यों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। व्यय को 1:1 आधार पर केंद्र एवं संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच साझा किया जाता है। बोर्ड प्रिंट, इलैक्ट्रोनिक मीडिया आदि के माध्यम से व्यापक प्रचार के माध्यम से कयर एवं कयर उत्पादों के उपयोग को लोकप्रिय भी बना रहा है।

घरेलू बाज़ार संवर्धन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां निम्नानुसार हैः

- बाज़ार विकास सहायता (एमडीए)– एमडीए के केंद्रांश के रूप में राज्य सरकारों को 783.27 लाख रु. ज़ारी किए गए हैं।
- ऑनलाईन मार्केट पोर्टल– ऑनलाईन मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से बोर्ड के शोरूम और बिक्री डिपो ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।
- शोरूम में सुधार– शोरूमों के कार्यनिष्पादन की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है और आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं।
- फ्रेंचाईज़ी प्रणाली– बोर्ड ऑनलाईन मार्केटिंग पोर्टल के माध्यम से आपूर्तिकर्ता आधार से जुड़े संपूर्ण भारत से फ्रेंचाईज़ियों का नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव कर रहा है।

- वर्चुअल प्रदर्शनी– कोविड–19 महामारी के बदले हुए परिदृश्य में, बोर्ड ने वर्चुअल प्रदर्शनियों में भागीदारी शुरु कर दी है।

(v) व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएं

किसी उद्योग के विकास में सूचना प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अंतर्गत कयर बोर्ड को सौपें गए कार्यों में कयर उद्योग से संबंधित सांखिकीय आँकड़ों का प्रसार और विश्लेषण, संकलन, संग्रह करना हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड कयर उद्योग का बाजार विश्लेषण अध्ययन, टैक्नों–इकॉनोमिक संभाव्यता अध्ययन, संकलन और कयर से संबंधित सूचना का प्रसार, बोर्ड कार्यालय में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन, मानव संसाधन विकास कार्यक्रम इत्यादि का सर्वेक्षण संचालित करता है।

इस स्कीम के अंतर्गत, बोर्ड द्वारा निम्नवत गतिविधियां शुरु की गईः –

- रिपोर्ट के अंतर्गत शामिल अवधि में, बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से एक भर्ती पोर्टल और एक ई–मॉर्केटिंग पोर्टल का विकास किया है जिनका परीक्षण किया जा रहा है।
- बोर्ड के सभी उपकार्यालयों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन किया गया है।
- वर्ष 2020–21 को पहली छमाही के दौरान अब तक 28 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान, 122 अधिकारियों को इन–हाऊस प्रशिक्षण प्रदान किया था और 17 अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए बाहर प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया। 900 कयर कामगारों को एचआरडी ओरिएंटेशन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड ने कयर विकास योजना स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन का दायित्व बाह्य एजेंसी को सौंप दिया है और यह कार्य प्रगति पर है। क्षेत्रीय कार्यालयों/ उप–क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से कयर उद्योगों पर वास्तविक समय आधार सर्वेक्षण (रियल टाईम सर्वे) का कार्य भी प्रगति पर है।

(vi) कल्याणकारी उपाय

बोर्ड देश में कयर कामगारों के लाभ के लिए कयर बोर्ड कयर कामगार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा स्कीम नामक एक बीमा स्कीम कार्यान्वित कर रहा था। दिनांक 01.06.2016 से आगे स्कीम को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) में सम्मिलित कर दिया गया। कयर बोर्ड कयर कामगारों की ओर से प्रीमियम का भुगतान करके स्कीम के अंतर्गत नामांकन करने हेतु देश में कयर कामगारों की सहायता करता आ रहा है। अब तक कयर बोर्ड द्वारा पीएमएसबीवाई स्कीम के अंतर्गत 46,584 कयर कामगारों का नामांकन किया गया है। अब तक 7.6 लाख रु. का व्यय हुआ।

3.3.8 कयर उद्योग के समक्ष चुनौतियाः

भारत का कयर उद्योग निम्नवत चुनौतियों का सामना कर रहा हैः

- सिंथेटिक रेशों समेत अन्य प्राकृतिक रेशों से प्रतिस्पर्धा।
- श्रीलंका, वियतनाम आदि जैसे अन्य नारियल उत्पादक देशों से प्रतिस्पर्धा।
- चीन द्वारा रेशों के आयात में बढ़ोत्तरी के कारण कच्चे माल की कमी।

- अन्य सेक्टरों की ओर परंपरागत और हथकरघा सेक्टर के श्रमिकों का पलायन।

अन्य आंतरिक चुनौतियां

- संग्रह प्रणाली में कमी के कारण, हस्क की उपलब्धता एक कमज़ोर कड़ी बनती जा रही है।
- निर्माण उद्योग में तकनीकविदों की संकीर्ण मानसिकता के कारण कयर वुड जैसे नवप्रवर्तकारी उत्पादों की पूर्ण क्षमता की सराहना नहीं हो सकी है और इससे बहुत से अन्य परंपरागत विकल्पों की संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं।
- इस उत्पाद के बहु–आयामी अनुप्रयोगों के लिए जागरुकता और विज्ञापन तथा विपपन सहायता का अभाव रहा है।

3.3.9 प्रधान मंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) :

बोर्ड वर्ष 2018–19 से कयर क्षेत्र में पीएमईजीपी स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। वर्ष 2020–21 के लिए पीएमईजीपी के अंतर्गत, विभिन्न श्रेणियों हेतु यथा लागू, 15% से 35% की दर पर मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ 25 लाख रु. की अधिकतम परियोजना लागत पर 1,100 कयर इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान वर्ष के दौरान, प्राप्त कुल 818 पीएमईजीपी आवेदनों में से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और तेलंगाना राज्यों में 355.96 लाख रु. की मार्जिन मनी राशि ज़ारी करने के लिए केवल 90 आवेदनों पर विचार किया गया।

3.3.10 परपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)

परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादक, प्रतिस्पर्धी और उनके सतत् विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने "**परपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)**" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम की घोषणा की थी।

कयर बोर्ड इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्मय उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत एक नोडल एजेंसी है। अब तक 142.47 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत के साथ 41 कयर क्लस्टरों को स्वीकृत किया गया है जिसमें से 118.17 करोड़ रु. भारत सरकार ने अनुदान के रूप में दिए हैं, जिसका ब्यौरा निम्नवत है:–

रु. लाख में

राज्य	क्लस्टरों की संख्या	कुल निवेश	भारत सरकार का अनुदान	क्लस्टरों की स्थिति	लाभान्वित कयर कामगारों की संख्या
कर्नाटक	8	3422.47	2905.03	2 कार्यात्मक 6 निर्माण कार्य प्रगति पर	6113
केरल	4	835.15	696.19	4 कार्यात्मक	19807
गुजरात	2	472.73	410.44	1 कार्यात्मक 1 निर्माण कार्य प्रगति पर	597
महराष्ट्र	2	361.86	298.68	1 कार्यात्मक 1 निर्माण कार्य प्रगति पर	1118

राज्य	क्लस्टरों की संख्या	कुल निवेश	भारत सरकार का अनुदान	क्लस्टरों की स्थिति	लाभान्वित कयर कामगारों की संख्या
तमिलनाडु	14	6294.75	4930.15	9 कार्यात्मक 5 निर्माण कार्य प्रगति पर	17483
अंडमान यूटी	1	271.72	249.28	निर्माण कार्य प्रगति पर	220
आंध्रप्रदेश	4	1216.75	1067.56	1 कार्यात्मक 3 निर्माण कार्य प्रगति पर	3062
ओडिशा	5	1049.43	962.85	निर्माण कार्य प्रगति पर	3691
प.बंगाल	1	322.56	296.86	निर्माण कार्य प्रगति पर	600
कुल	**41**	**14247.44**	**11817.06**		**52691**

कुल 41 कयर क्लस्टरों में से 18 क्लस्टर कार्यरत हैं और उन्होंने उत्पादन शुरु कर दिया है। शेष क्लस्टरों का कार्यान्वयन तेज़ गति से प्रगति पर है और आशा है कि पांच अन्य क्लस्टरों को 31 मार्च, 2021 तक अथवा इससे पूर्व पुरा कर लिया जाएगा।

3.3.11 कयर बोर्ड को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा बजटीय सहायता

भारत सरकार योजना और गैर–योजना शीर्षों के अंतर्गत अपने विभिन्न कार्यकलाप शुरू करने के लिए कयर बोर्ड को निधियां प्रदान करती है। विगत पांच वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान कयर बोर्ड को प्रदत्त बजटीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

कयर बोर्ड को बजटीय सहायता				
वर्ष	आबंटन (संशोधित अनुमान) (रु. करोड़ में)		ज़ारी निधियां (रु. करोड़ में)	
	योजना	गैर–योजना	योजना	गैर–योजना
2015-16	34.90	23.95	31.55	23.73
2016-17	37.00	35.85	35.04	35.70
2017-18	70.50		58.89	
2018-19	86.23		82.03	
2019-20	75.70		70.89	
2020-21	80.70		66.62*	

दिनांक 31.12.2020 की स्थिति अनुसार ज़ारी

नोट; वित्तीय वर्ष 2017–18 से, गैर–योजना के लिए अलग से कोई आबंटन नहीं किया गया है।

3.3.12 पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त कयर इकाइयां:

1. प्रोपराईटर श्रीमती पीनीसेट्टी सोमा सत्या मंगादेवी, मैंसर्स वीरभद्र कयर रोप इंडस्ट्री, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्रप्रदेश:

2. प्रोपराईटर बैनी के. चाको, मैसर्स कोरमकटटा कयर मिल्स, केरल:

3. प्रोपराईटर भास्कर चंद्र परिदा, मैसर्स साई लोटस कयर, पुरी, ओडिसा:

सीआईसीटी, बैंगलुरू में स्थापित कयर वुड अनुभव केंद्र

कयर भूवस्त्र सड़कें

3.4 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

3.4.1 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) एक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय के अधीन भारत सरकार का एक उद्यम है। एनएसआईसी देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्धन, सहायता तथा विकास के काम में लगा हुआ है।

3.4.2 उद्देश्य

एनएसआईसी का उद्देश्य ''विपणन, वित्त प्रौद्योगिकी और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता और संवर्धन करना हैं।

एनएसआईसी का विजन देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास को पोषित करने वाला प्रमुख संगठन बनाना है।''

3.4.3 संगठन

कम्पनी के निदेशक मंडल के लिए स्वीकृत पदों में एक अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक; दो कार्यकारी निदेशक; दो सरकार द्वारा नामित निदेशक और तीन गैर–सरकारी अंश–कालिक निदेशक शामिल होते हैं।

एनएसआईसी देश में 8 (आठ) तकनीकी केंद्रों सहित कार्यालयों के देश व्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित करता है। एनएसआईसी ने प्रशिक्षण–सह–इंक्यूबेशन केंद्र की स्थापना की है और यह एमएसएमई सेक्टर की जरुरतों के अनुसार सेवाओं का पैकेज भी उपलब्ध कराता है।

3.4.4 प्रचालन कार्यनिष्पादन

(क) कच्चे माल का वितरण–

i. एनएसआईसी कच्चा माल अपेक्षित मात्र में किफायती और प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर समय पर वितरण और उनकी धीमी अपेक्षाओं को पूर्ण करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय के विकास में प्रमुख प्रेरक की भूमिका निभाता है। यह न केवल एमएसएमई की सक्षमता को बढ़ाता है बल्कि उनकी व्यवसाय बढ़ाने में योगदान देता है।

ii. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, एनएसआईसी ने मैसर्स स्टील अथार्टी ऑफ इंडिया (सेल) एवं मैसर्स राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) से स्टील, मैसर्स राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को से एल्युमिनियम, मैसर्स चेन्नै पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (सीपीसीएल) से पैराफिन वेक्स, मैसर्स कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) से कोयला, मैसर्स इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड (आईओसीएल) से पीपी, एचडीपीई एवं एलएलडीपीई जैसै पॉलीमर उत्पादों, मैसर्स भारतीय सीमेंट निगम लि. (सीसीआई) और मैसर्स एसीसी सीमेंट से सीमेंट की आपूर्ति के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कच्चे माल की जरूरतों के लिए सेवा प्रदान की है। एमएसएमई को और सुविधा देने और इनकी कच्चे माल की बाध्यताओं को दूर करने के लिए एनएसआईसी ने एमएसएमई को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए क्षेत्रिय उत्पादकों स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के साथ व्यवस्थाओं/ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। निगम अपनी "एजेंसी बिक्री स्कीम" के अंतर्गत गुवाहाटी और विजयवाड़ा में बिटूमिन और इमल्शन सामग्री के प्रमुख उत्पादक अर्थात मैसर्स हिंदुस्तान पैट्रोलियम कॉरपोरेशन

लिमिटेड (एचपीसीएल) को देख रहा है। एनएसआईसी ने अपनी एजेंसी बिक्री भी स्कीम के अंतर्गत विजयवाडा में हिनकोल की बिटूमिन और इमल्शन सामग्री की देखरेख शुरू कर दी है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, आरएमडी अंतर्गत कच्चे माल का वितरण मूल्य 1235.49 करोड़ रू. है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान (30 दिसम्बर, 2020 तक) वितरित कच्चे माल का मूल्य क्रय–विक्रय के अंतर्गत 1070 करोड़ रू. था।

वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक) की शेष अवधि के लिए प्रत्याशित उपलब्धि लगभग 380 करोड़ रू. होने की संभावना है।

(ख) कन्सोर्टिया और निविदा विपणन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) बड़े आर्डर प्राप्त करने में बाधाओं का सामना कर रहे हैं जब वे बड़े उद्यमों के सामने अपनी क्षमता पर निविदा हेतु बोली लगाते हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए एनएसआईसी ऐसे उत्पादों की लघु विनिर्माण इकाई को भागादारी बनाता है जिससे उनकी क्षमता में पूलिंग होती है जो आपूर्तिकर्ताओं और विक्रेताओं को भी आराम प्रदान करता है। निगम एमएसई की भागीदारी की ओर से निविदाओं के लिए आवेदन करता है और यह अत्यधिक मात्रा के लिए आर्डर भी प्राप्त करता है। इन आर्डरों को उनकी उत्पादन क्षमता के अनुसार एमएसई में वितरित किया जाता है।

निविदा विपणन स्कीम के अंतर्गत, एनएसआईसी निविदा में भागीदारी से लेकर निविदा निष्पादित होने तक निविदा कार्यकलाप के प्रत्येक स्तर पर सुविधा प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, इस कम्पनी ने 454.20 करोड़ रु. मूल्य के 869 टेंडरों में भाग लिया और 208.64 करोड़ रु. मूल्य के टेंडर निष्पादित किए।

वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान (31 दिसंबर, 2020 तक) कम्पनी ने 230.06 करोड़ रु. मूल्य के 444 टेंडरों में भाग लिया और 74.91 करोड़ रू. मूल्य के टेंडर निष्पादित किए।

वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक) की शेष अवधि के लिए प्रत्याशित उपलब्धि 170 करोड़ रू. मूल्य के टेंडर निष्पादित होने की संभावना है।

(ग) क्रेडिट सहायता:

एनएसआईसी बैंक गारंटी के समक्ष कच्चा माल सहायता स्कीम में आपूर्तिकर्ता को भुगतान करके कच्चा माल प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) में क्रेडिट सहायता प्रदान करता है। एनएसआईसी निविदा विपणन स्कीम, जैसी स्कीमों के अंतर्गत एमएसएमई को सहायता प्रदान करके वित्तपोषण की सुविधा भी देता है।

इसके अलावा, एनएसआईसी ने एमएसएमई इकाइयों की क्रेडिट अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत और निजी क्षेत्र के बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन किया है। हालांकि इन बैंकों के साथ समूहन से एनएसआईसी बैंकों से (निधि अथवा गैर निधि आधारित सीमा) क्रेडिट सहायता का प्रबंध करता है। इसके अतिरिक्त, एनएसआईसी ने ऑनलाइन वित्त सुविधा केंद्र शुरू किया है जिसके तहत एनएसआईसी पोर्टल और बैंक पोर्टल के बीच वेब लिंकेज के माध्यम से एमएसएमई को क्रेडिट सुविधा प्रदान की जा रही है। एमएसएमई इकाई या तो सीधे www.nsicffconline.in लॉग इन कर सकती है अथवा ऋण प्रस्ताव सहित अपने नजदीकी एनएसआईसी वित्त सुविधा केन्द्र से भी सम्पर्क कर सकती है। वित्त सुविधा केन्द्र के अधिकारी एमएसएमई

इकाई द्वारा विकल्प चुने गए किसी तीन अधिमानित बैंकों को ऋण प्रस्ताव ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेजीकरण में इकाई की सहायता करके पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करते हैं जोकि एनएसआईसी के साथ समझौता ज्ञापन के अधीन है। पथप्रदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए एनएसआईसी इकाई से कोई शुल्क नहीं लेता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान 5,276.78 करोड़ रु. की ऋण सुविधा प्रदान की गई।

वर्ष 2020–21 के दौरान (31 दिसंबर, 2020 तक) 2630.93 करोड़ रू. की ऋण सुविधा इकाइयों को प्रदान की गई।

वर्तमान वित्त वर्ष (अर्थात् जनवरी से 31 मार्च, 2021 तक) शेष अवधि के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि 1500 लाख रू. होने की संभावना है।

(घ) एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)

एनएसआईसी सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए एमएसई की क्षमता निर्माण के लिए सरकारी खरीद हेतु एकल बिन्दु पंजीकरण संचालित करता है और यह सरकारी लोक प्रापण प्रक्रिया में योगदान करता है। एनएसआईसी की एकल बिंदु पंजीकरण स्कीम के अंतर्गत पंजीकृत इकाइयों सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई), आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीदी नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने की पात्रता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, 4234 नई इकाइयां जोड़ी गईं और 7641 इकाइयों का नवीकरण किया गया है।

वित्त वर्ष 2020–21 (31 दिसंबर, 2020 तक) के दौरान, स्कीम के अंतर्गत 2100 नई इकाइयां जुड़ी और 5141 इकाइयों का नवीकरण किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2021तक) की शेष अवधि के लिए अनुमानित उपलब्धि 3803 नई इकाइयों का पंजीकरण और इस स्कीम के अंतर्गत 5395 इकाइयों का नवीनीकरण है।

(ड़) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केंद्र

एनएसआईसी अपने 8 एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्र ओखला (नई दिल्ली), हैदराबाद (तेलंगाना), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), राजकोट (गुजरात), चेन्नै (तमिलनाडु), राजपुरा (पंजाब), अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) एवं नीमका (हरियाणा) के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्नलिखित प्रौद्योगिकी सहायता सेवाएं प्रदान करता है और उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल विकास की सुविधा प्रदान करता है।

i) कौशल विकास (क्षमता विकास)

एनएसआईसी प्रौद्योगिकी सेवा केन्द्र वर्तमान में उद्योगों की जरूरतों के अनुसार विभिन्न विषयों में रोजगार उन्मुख कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। ये केन्द्र उन्नत टूल रूम, सीएनसी मिलिंग एवं टर्निंग मशीन, ईडीएम, रोबोटिक्स लैब, सौर ऊर्जा अनुप्रयोग प्रयोगशालाएं, एससीएडीए और प्रक्रिया नियंत्रण प्रयोगशालाएं, एसएपी, मल्टीमीडिया, यांत्रिकी एवं इलैक्ट्रिक्स डिजाइन सॉफ्टवेयर, एआर/वीआर इत्यादि जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सॉफ्टवेयर प्रयोगशालाओं के रूप में परंपरागत हाईटेक मशीनरी और उपकरणों से सुसज्जित हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान, विभिन्न तकनीकी केन्द्रों के माध्यम से कुल 52,548 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया।

वर्ष 2020–21 (30 दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान, तकनीकी केन्द्रों में 14547 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया। तकनीकी केन्द्र द्वारा 31 दिसम्बर, 2020 तक सृजित राजस्व 11.29 करोड़ रू. है।

वर्तमान वित्त वर्ष (31 मार्च, 2021) की शेष अवधि के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि 15,453 प्रशिक्षकों की है। 6.52 करोड़ रू. का राजस्व सृजित हुआ।

केन्द्रों में चल रहे प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्ननुसार है:

(क) डिजाइन: एसटीएएडी प्रो और रेविट के माध्यम से सीएडी/सीएएम, कम्प्यूटर ऐडिट इंजीनियरिंग (सीएई), सीएनसी प्रोग्रामिंग और कार्यान्वयन, कम्प्यूटेशनल फल्यूड डाईनेमिक्स (सीएफडी), माउल्ड डिजाइन, सोलिड वर्क, 3डी प्रिन्टिग, इंटीरियर डिजाइन और प्रशिक्षण।

(ख) यांत्रिक: टूल डिजाइन और एडवान्स विनिर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण एवं जांच, एचवीएसी डिजाइन, मेकेनिस्ट एंड वेल्डिग इत्यादि।

(ग) इलैक्ट्रिकल एवं इलैक्ट्रॉनिक्स: रोबोटिक्स, पीएलसी–एससीएडीए के साथ ऑटोमेशन, इम्बेडिड सिस्टम, सोलर ऊर्जा, इलैक्ट्रिक सर्किट और उप–स्टेशन रखरखाव, मोडर वाईडिंग एवं रिपेयर, मेकाट्रॉनिक्स इत्यादि।

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी: एडवांस सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग ओ लेवल, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज, वेबसाईट डिजाइन एवं विकास, बिग डेटा एवं हाडूप, पायथन, एसक्यूएल सर्वर, कोर जावा, एमसीपी–सीसीएनए, एनड्रायड ऐप्लीकेशन, एडवान्सड जावा, क्लाउड कम्प्यूटिंग, सी++एवं ओओपीएस, कम्प्यूटरीकृत अकांटिंग एवं टेली ईआरपी इत्यादि।

(ड़) पॉलीटेकनिक डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एनसीवीटी पाठ्यक्रम: एनटीएससी नीमका में एआईसीटीई अनुमोदित पांच विभिन्न विषयों में डिप्लोमा इंजीनियंरिंग पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं। जबकि विद्यार्थियों को व्यवसायिक/शैक्षणिक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एनटीएससी ओखला, राजपुरा और हावड़ा में एनसीवीटी संबद्ध आईटीआई स्तरीय पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

(च) एनएसआईसी तकनीकी सेवा केन्द्रों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण: वर्ष 2019–20 के दौरान अलीगढ़, राजपुरा, चेन्नै, नीमका और ओखला में तकनीकी सेवा केन्द्रों के उन्नयन हेतु एमएसएमई मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(छ) सामान्य सुविधा सेवाएं

तकनीकी केन्द्र, केन्द्र में रखी गई एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है। उद्योग को फेरस और नॉन–फेरस सामग्रियां, पाईप्स, स्टील वायर, निर्माण सामग्री, लकड़ी एवं मिट्टी और बिटुमिन परीक्षण, डीजल इंजन परीक्षण, पम्प परीक्षण, प्लास्टिक परीक्षण, सामग्री परीक्षण, इलैक्ट्रिकल कन्डकटर, वायर और केबल्स्, इन्सूलेटरस, विद्युत उपकरणों का परीक्षण, केलीब्रेशन प्रयोगशाला इत्यादि जैसे उत्पादों की परीक्षण सेवाएं प्रदान की गई।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत कुल 9,438 इकाइयों को सुविधा प्रदान की गई है।

वर्ष 2020–21 (31 दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत 5,921 इकाइयों को सुविधा प्रदान की गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (31 मार्च, 2021) की शेष अवधि के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि सामान्य सुविधा सेवाओं के अंतर्गत 1579 इकाइयों को सुविधा दी जा रही है।

एनएसआईसी ने तीव्र इनक्यूवेशन केन्द्रों के माध्यम से उत्पादन विनिर्माण आरंभ करने के लिए भावी उद्यमियों और स्टार्टअप कम्पनियों को सहायता प्रदान की है। ये इनक्यूवेशन केन्द्र विपणन, व्यवसाय विकास, परियोजना रिपोर्ट तैयार करने इत्यादि जैसे व्यवसायों सैद्धांतिक को भी कवर करके तथा कार्यशील परियोजनाओं पर व्यवहारिक प्रशिक्षण सुविधायें भी प्रदान करते हैं। एनएसआईसी ने इस मंत्रलय की ''नवोन्मेष, उद्यमिता एवं कृषि उद्योग के संवर्धन हेतु स्कीम (एस्पायर) के अंतर्गत देवरिया (उ. प्र.), राजकोट (गुजरात), काशीपुर (उत्तराखंड) नैनी (उ. प्र.), नवादा (बिहार) और चेन्नै (तमिलनाडु) में छः आजीविका व्यवसाय इनक्यूवेटर स्थापित किए हैं।

(ज) एमएसएमई हेतु ई–मार्केटिंग/डिजिटल सेवाएं सुविधाऐं

एनएसआईसी एमएसएमई वैश्विक मार्ट वेब पोर्टल (www.msmemart.com) के माध्यम से ई–मार्केटिंग सेवा की सुविधा भी प्रदान करता है। एनएसआईसी का विपणन पोर्टल देश भर में एमएसएमई को उनका व्यवसाय बनाने के लिए ई–मार्केटिंग मंच प्रदान करता है। सह पोर्टल उन पंजीकृत सदस्यों के भारी आंकड़ों की मेजबानी है जो कि व्यवसाय अवसरों में सतत् भागीदारी, उप–अनुबंध और लोक प्रापण में भागीदारी को तलाश रहे हैं।

वर्ष 2019–20 की अवधि के दौरान, बी2बी पोर्टल के अंतर्गत 25,157 इकाइयों को पंजीकृत किया गया। वर्ष 2020–21 के लिए, 31 दिसम्बर, 2020 तक 38,070 सदस्यों को नामित किया गया। 31 दिसम्बर, 2020 तक बी2बी पोर्टल के माध्यम से वर्ष के दौरान 5.97 करोड़ रू. का राजस्व सृजित किया गया।

वर्तमान वित्तीय वर्ष (अर्थात् 31 मार्च, 2021 तक) की शेष अवधि के दौरान प्रत्याशित उपलब्धि बी2बी पोर्टल के अंतर्गत वर्ष के दौरान 1930 सदस्यों को नामित किया गया एवं बी2बी पोर्टल के माध्यम से वर्ष के दौरान सृजित राजस्व 1.93 करोड़ रू. है।

(झ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब

एनएसआईसी, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल के रूप में राष्ट्रीय एससी–एसटी हब (एनएसएसएच) के वर्ष 2016 में इसके आरंभ से कार्यान्वित करता आ रहा है। इस स्कीम का उद्देश्य लोक प्रापण नीति के अनुसार सीपीएसई से 4 प्रतिशत प्रापण के अधिदेश को पूरा करने के लिए एससी–एसटी उद्यमियों को व्यवासायिक सहायता प्रदान करना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एमएसएमई मंत्रलय के द्वारा एनएसएसएच के अंतर्गत विभिन्न नए हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं। शुरू किए गए कार्यकलापों का सरांश निम्नानुसार है:

(क) विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस)

(ख) विशेष क्रेडिट संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस)

(ग) एकल बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस)

(ख) बी2बी पोर्टल की सदस्या शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु स्कीम (एमएसएमई मार्ट)

3.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी)

3.5.1 जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (जेबीसीआरआई), वर्धा का पुनरुद्धार, अक्टूबर, 2008 में एमएसएमई मंत्रालय के अधीन एक राष्ट्र स्तरीय संस्थान के रूप में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के सहयोग से किया गया जिसे महात्मा गांधी औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) कहा गया।

3.5.2 उद्देश्य

इसके संगम ज्ञापन में यथा वर्णित इस संस्थान के मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. स्थायी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण औद्योगीकरण की गति बढ़ाना ताकि केवीआई क्षेत्र मुख्य धारा के साथ सह–अस्तित्व में रहे।

ii. व्यावसायियों और विशेषज्ञों को ग्राम स्वराज की ओर आकर्षित करना।

iii. परंपरागत कारीगरों को सशक्त बनाना।

iv. पायलट अध्ययन/ क्षेत्रीय परीक्षणों के जरिए नवप्रवर्तन।

v. स्थानीय संसाधनों का इस्तेमाल करके वैकल्पिक प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान एवं विकास।

3.5.3 कार्य

एमगिरी के कार्यकलाप, इसके 6 प्रभागों द्वारा पूरे किए जा रहे हैं, जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख एक वरिष्ठ वैज्ञानिक/ प्रौद्योगिकीविद है।

i. **रसायन उद्योग प्रभाग:** इस प्रभाग का मुख्य फोकस, खाद्य प्रसंस्करण, जैविक खाद्यों और ग्रामीण रसायन उद्योगों के अन्य उत्पादों के क्षेत्र में गुणवत्ता सचेतनता और स्थायित्व को बढ़ावा देना है। यह एक व्यापक गुणवत्ता परीक्षण सहायता भी उपलब्ध कराता है और इस क्षेत्र के कुटीर और लघु स्तरीय इकाइयों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय योग्य किट्स, तकनीकें और प्रौद्योगिकियां विकसित करने के प्रति कार्य कर रहा है।

ii. **खादी और वस्त्र प्रभाग:** इस प्रभाग द्वारा किए गए मुख्य कार्यकलाप, नई प्रौद्योगिकियां आरंभ करके और गुणवत्ता आश्वासन सहायता उपलब्ध कराकर खादी संस्थाओं में विनिर्मित उत्पादों की उत्पादकता, मूल्य वर्धन और गुणवत्ता में सुधार करना है। यह पर्यावरण अनुकूल उत्पाद और पद्धति की सुविधा के लिए भी कार्य करता है।

iii. **बायो प्रोसेसिंग और हर्बल प्रभाग:** एमगिरी के प्रभाग द्वारा ग्रामीण उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए जैविक खादों, जैव–उर्वरकों और जैव–पेस्टीसाइडस कृमि नाशियों का उत्पादन और उपयोग सुसाध्य बनाने के लिए प्रौद्योगिकी पैकेज और सरल गुणवत्ता आश्वासन पद्धतियां तैयार की गई हैं। यह अनुभाग 'पंचगव्य' और उनकी गुणवत्ता आश्वासन के प्रक्रिया तथा सुविधा के उपभोग हेतु नए सूत्र विकसित करने के लिए भी प्रयास कर रहा है।

iv. **ग्रामीण ऊर्जा और अवसंरचना प्रभाग:** इस प्रभाग के लिए ग्रामीण उद्योगों की सुविधा के लिए ऊर्जा के सामान्यतः उपलब्ध नवीकरणयोग्य संसाधनों का उपयोग करके उपयोग से पर्यावरण अनुकूल और लागत

प्रभावी प्रौद्योगिकियां विकसित करना अनिवार्य किया है और परंपरागत उद्योगों की लेखा परीक्षा भी करता है ताकि ऊर्जा दक्ष बनाया जा सके।

v. **ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरिंग प्रभागः** यह प्रभाग ग्रामीण कारीगरों के कौशलों, सृजनात्मकता और उत्पादकता को उन्नत करने में सहायता करने और उनके उत्पादों का मूल्य वर्धन तथा गुणवत्ता सुधार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु है।

vi. **प्रबंधन एवं पद्धति प्रभागः** यह प्रभाग उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण उद्योगों के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित समाधान उपलब्ध कराता है।

3.5.4 संगठन

एमगिरी में एक जनरल काउन्सिल (जीसी) है, जिसमें अधिकतम 35 सदस्य हैं और जीसी के अध्यक्ष माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, भारत सरकार है और एक कार्यकारी परिषद (ईसी) है जिसमें अधिक से अधिक 15 सदस्य होते हैं और सचिव, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार अध्यक्ष होते हैं। इस संस्थान के निदेशक, जीसी तथा ईसी दोनों के सदस्य सचिव हैं।

3.5.5. वर्ष 2020–21 के मुख्य कार्यकलाप और उपलब्धियां

3.5.5.1 संस्थान के कर्मचारियों ने वेबीनारों और वर्चुअल मोड से वैज्ञानिक समुदाय और खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर के बीच अनुसंधान कार्य, प्रौद्योगिकी प्रसार, प्रौद्योगिकी जागरुकता तथा ज्ञान साझा करने की प्रस्तुतियों के लिए 24 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों में भागीदारी की है।

3.5.5.2 तीन (3) अनुसंधान पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में समीक्षा के अंतर्गत शामिल किए गए हैं।

3.4.5.3 दो पैटेंट नामतः 1) नोवल फ्लोर क्लीनिंग फॉर्मुलेशन और इनकी पद्धतियां (पेटेंट संख्या 221369) और 2) प्राकृतिक पेंट (पेटेंट संख्या 336188) तैयार करने की प्रक्रिया की संस्थान को अनुमति प्रदान की गई।

3.5.5.4 वर्ष 2020–2021 के दौरान, एमगिरी ने बहुत सी तकनीकों को अपनाया है जिनमें नामतः उन्नत निम्न लागत पग मिल, आयरन क्रॉफ्ट के लिए न्यूमेटिक हैमर, पैडल चलित बलंगर, इम्प्रवाइज़्ड हैंक डाइंग मशीन, हनी बी पॉलन सोलर ड्रायर, डाउन साईज़्ड कॉटन गिनिंग मशीन और मोरिंगा लीवस सेपरेटर शामिल हैं।

3.5.5.5 ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए मशीनों/ उत्पादों/ प्रक्रियाओं/ सेवाओं पर कार्य जिनमें नामतः उन्नत चरखा मॉडिफाईड चारौली डिकॉर्टीकेटिंग मशीन, बलंगर (हाईब्रिड मॉडल), अन्नाटो बीज के निष्कर्षण के साथ कॉटन खादी वस्त्रों की डाईंग की उन्नत पद्धति, खादी वस्त्रों के लिए जीवाणु रहित स्मार्ट फिनिशिंग, डेट पाम आधारित प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाला चॉकलेट, मदिरा रहित सैनिटाईज़र और सैनिटाईज़िंग स्प्रे और उच्च गुणवत्ता के लॉड्री सोप पर प्रगति शामिल है।

3.5.5.6 एमएसएमई की आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेशन स्कीम के अंतर्गत एमगिरी, वर्धा के ग्रामीण उद्यमियों के लिए फल, सब्जी, मसाला प्रसंस्करण की स्थापना और पंचगया और कृषि इनपुट समेत मूल्य संवर्धन पर कार्य प्रगति पर है।

3.5.5.7 आईआईटी दिल्ली, एनआईटी राउरकेला और अन्य विभिन्न स्थानों पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय से वित्तीय सहायता के साथ खादी और ग्रामोद्योग सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए अनुसंधान और विकास को सशक्त बनाने के लिए देश के आईआईटी/ एनआईटी/ प्रतिष्ठित विश्विद्यालयों अथवा संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

3.5.5.8 एमगिरी ने देश भर के विभिन्न उम्मीदवारों और मौजूदा उद्यमियों, एनजीओ प्रतिनिधियों, क्षेत्रीय एजेंसियों, कारीगरों, छात्रों, किसानों और स्व–सहायता समूहों आदि के 27 प्रशिक्षुओं को 9 सत्रों में कौशल विकास और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान किया है ताकि उद्यम विकास और कौशल उन्नयन के लिए प्रौद्योगिकी, उत्पाद, प्रक्रिया और डिज़ाइन आदि का प्रसार किया जा सके, साथ ही दो उद्यमियों को सैनिटाईज़र और हैंड वॉश के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया गया है।

कंप्यूटर ऐडेड फैशन डिज़ाइनिंग में प्रशिक्षण

3.5.5.9 चयनित प्राकृतिक डाईजों के शेड कार्ड तैयार किया गया है और देश भर के सभी खादी संस्थानों में वितरित किया गया है। खादी की कताई के लिए गुणवत्ता मार्गदर्शनों पर नियमावलियां विभिन्न राज्यों में स्थित 550 खादी संस्थानों के बीच वितरित की गई हैं। एमगिरी ने 7 विभिन्न एजेंसियों को गुणवत्ता परीक्षण और मार्गदर्शन सेवाएं मुहैया कराई हैं, इनमें खादी और ग्रामोद्योग संस्थाएं, उद्यमी, छात्र और किसान आदि शामिल हैं और साथ ही विभिन्न उत्पादों के 20 सैंपलों का परीक्षण किया गया है।

3.5.5.10 एस एवं टी केवीआईसी से प्राप्त दो बाह्य परियोजनाओं तथा यूरोपीयन संघ से प्राप्त महिला सशक्तिकरण से संबंधित 1 अंतर्राष्ट्रीय परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

3.5.5.11 कोविड–19 महामारी की परिस्थितियों के दौरान, एमगिरी रेडियो 90.4 एफएम द्वारा बहुत से जागरुकता कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन, एमगिरी 90.4 एफएम, यूनीसेफ और सामाजिक व्यवहार परिवर्तन (एसबीसी3) ने संयुक्त रूप से "कोरोना और जीवन" विषय पर चित्रकला और कविता प्रतियोगिता का आयोजन किया।

3.5.5.12 कलैक्टोरेट कार्यालय, वर्धा के सहयोग से 5 अक्टूबर, 2020 को "एमगिरी प्रौद्योगिकियों पर उद्यमिता विकास पर आधारित संभावनाओं पर एक दिवसीय जागरुकता कार्यशाला" का आयोजन किया गया। श्री नितिन गडकरी, माननीय कैबीनेट एवं एमसएमई मंत्री, भारत सरकार ने ऑनलाईन कार्यशाला का उद्घाटन किया और इस अवसर पर श्री सुनील जी केदार, माननीय डेयरी और पशुपालन, खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार एवं सांसद तथा विधायक वर्धा सहित अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। वर्धा जिले के पॉलिटेक्निक और आईटीआई कॉलेजों के छात्रों सहित डीआईसी, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा बीवाईएसटी (एनजीओ) ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

3.5.5.13 एमगिरी ने अपने परिसर में कोरोना और स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित सुरक्षा उपायों के मद्देनज़र स्वच्छता कायम रखने सहित सैनिटाईज़रों, फेस मॉस्कों के उपयोग, शारीरिक तापमान की जांच तथा सामाजिक दूरी बनाए रखने के उपाय किए हैं।

3.5.6 एमगिरी को बजटीय सहायता

3.5.6.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के माध्यम से संघ सरकार अपने विभिन्न कार्यकलापों की शुरुआत के लिए एमगिरी को निधियां उपलब्ध कराती है। एमगिरी को विगत चार वर्ष और वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान प्रदत्त निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	बजट आबंटन (संशोधित अनुमान)	ज़ारी निधियां
2016-17	10.15	9.42
2017-18	10.00	7.80
2018-19	10.00	8.89
2019-20	10.00	10.0
2020-21	7.28	5.06*

**31.12.2020 तक ज़ारी निधियां*

3.6 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे)

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) मूलतः तत्कालीन उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन 1960 में नई दिल्ली में केन्द्रीय औद्योगिक विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (सीआईईटीआई) के रूप में स्थापित किया गया था। यह संस्थान, लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (एसआईईटी) के नाम से एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में 1962 में हैदराबाद में स्थानांतरित किया गया था। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अधिनियम के पश्चात, संस्थान ने अपने उद्देश्यों पर फोकस किया और अपनी संगठन संरचना का पुनः डिजाइन किया। नये अधिनियम के अनुरूप, इस संस्थान को राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे) के रूप में नया नाम दिया गया। वर्तमान में यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (पूर्व में एसएसआई एवं एआरआई मंत्रालय), भारत सरकार के तत्वावधान में एक संगठन है।

3.6.1 उद्देश्यः

3.6.1.1 निम्समे का मुख्य उद्देश्य, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षक बनना था। आज, प्रौद्योगिकीय विकास और सदैव बदलते बाजार परिदृश्य के साथ इस संगठन की भागीदारी में भी परिवर्तन हुआ है। केवल प्रशिक्षक होने से निम्समे ने अपने कार्याकलापों का दायरा बढ़ाकर परामर्श, अनुसंधान, विस्तार और सूचना सेवाएं कर दी है।

3.6.1.2 औद्योगीकरण के जरिए आर्थिक विकास के राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप और उपलब्ध विशेषज्ञता के आधार पर इस संस्थान ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिन पर बल दिए जाने और जिनका अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है।

इसके उद्यमिता विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं अंतरण, नीतिगत मुद्दे, गैर–सरकारी संगठन नेटवर्किंग, पर्यावरण सरोकार, क्लस्टर विकास, प्रबंधन परामर्श, गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और सूचना सेवाएं क्षेत्र हैं।

3.6.1.3 निम्समे का दीर्घकालीन मिशन निम्नलिखित को अग्रणीय बनाना है:

- सूचना प्रौद्योगिकी में नये आयाम में प्रशिक्षण।
- सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि के जरिए विषयगत मुद्दों को प्रमुखता से दर्शाना।
- आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान देना।
- ग्राहक संचालित दृष्टिकोण और नवप्रवर्तनकारी हस्तक्षेपों की ओर जाना।
- कार्यक्रम मूल्यांकन।
- अनुसंधान प्रकाशनों पर जोर देना।

3.6.2 कार्य

- निम्समे के कार्यों का केंद्रीय बिंदु उद्यम संवर्धन और उद्यमिता विकास होने की वजह से इस संस्थान की कवरेज निम्नलिखित पहलुओं की ओर अभिमुख है:–
- उद्यम सृजन के लिए समर्थवान बनाना;
- उद्यमिता विकास और स्थायित्व के लिए क्षमता निर्माण;
- उद्यम जानकारी का सृजन, विकास और प्रसार;
- नीति निर्माण के लिए नैदानिक और विकास अध्ययन; और
- उद्यम सृजन के जरिए वंचितों को सशक्त बनाना।

3.6.3 संगठन

3.6.3.1 संस्थान के शीर्ष निकाय का भारत सरकार द्वारा गठित शाषी परिषद के माध्यम से प्रबंधन, प्रशासन, निदेशन और नियंत्रण किया जाता है। माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार निम्समे की शाषी परिषद के चेयरमैन और सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रलय, भारत सरकार सोसाइटी के उपाध्यक्ष और शासी परिषद के वायस–चेयरमैन तथा कार्यकारी समिति के अध्यक्ष हैं। नैमी कार्य और गतिविधियों को संस्थान के महानिदेशक द्वारा प्रशासित किया जाता है।

3.6.3.2 इस संस्थान के कार्यकलाप को उत्कृष्टता के चार स्कूलों (उद्यम विकास; उद्यम प्रबंधन; उद्यमिता और विस्तार तथा उद्यम सूचना एवं संचार) के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं और प्रत्येक स्कूल में विषय संबंधी ध्यान केंद्रित और सैल है। अकादमिक परिषद न्यूक्लियस समन्वय निकाय है जो प्रसंगाधीन मूल्यांकन और मूल्यांकन समाधान के लिए एक ढांचा उपलब्ध करा कर मात्रात्मक और गुणात्मक बैंचमार्क के साथ अकादमिक कार्यकलाप और कार्यक्रम तैयार करता है।

3.6.4 मुख्य कार्यकलाप एवं उपलब्धियां

वर्ष 2020–21 (नवंबर, 2020 के अंतिम समय की स्थिति अनुसार) के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित राष्ट्रीय और अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन नीचे तालिका में दिया गया है:–

वर्ष 2020–21 के दौरान निम्समे का कार्य–निष्पादन (30.11.2020 की स्थिति अनुसार)

कार्यक्रम	वर्ष 2020–21 (1 अप्रैल, 2020 से 30 नवंबर, 2020 तक)		वर्ष 2020–21 उपलब्धियां/ प्रगति (जनवरी 22021 से मार्च 2021 तक)	
	कार्यक्रम	प्रशिक्षु	कार्यक्रम	प्रशिक्षु
उद्यमिता विकास कार्यक्रम				
एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रयोजित प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता अंतर्गत कार्यक्रम				
एटीआई कार्यक्रम				
पूर्ण	3	90		
शुरू किए गए/ ज़ारी	40	1200	34	1020
अन्य कार्यक्रमः	0	0	0	0
राष्ट्रीय कार्यक्रम	15	173	30	300
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	3	118	2	50
सेमीनार और कार्यशालाएं	1	15	2	100
वेबीनार	41	5840	10	500
कुल	**103**	**7436**	**78**	**1970**

निम्समे कैंपस, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

निम्समे कैंपस, हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

3.6.5 एटीआई स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षित लाभार्थियों का स्वरोज़गार और मज़दूरी रोजगार

3.6.5.1 वर्ष 2013–14 से 2020–21 तक आयोजित कार्यक्रमों की संख्या, प्रशिक्षित भागीदारों की संख्या और प्रशिक्षुओं की संख्या जिन्होंने स्व–रोज़गार प्राप्त किया अथवा मज़दूरी–रोजगार प्राप्त करने की व्यवस्था की, उनका ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

वर्ष 2013 से 2021 तक वेतन रोज़गार/ स्व–रोज़गार के साथ प्रशिक्षुओं का प्रतिशत

वर्ष	कार्यक्रम (संख्या)	प्रशिक्षु (संख्या)	उपलब्धि (सफलता दर)				
			वेतन वेरोजगार		स्वरोजगार		समग्र
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	
2013-14	1045	30910	8843	51.34	5905	41.36	47.54
2014-15	1599	47092	15419	32.74	9236	19.42	52.16
2015-16	1075	31874	14130	44.30	6313	19.18	64.10
2016-17	135	4050	2159	53.00	615	15.00	68.00
2017-18	87	2610	328	12.56	498	19.08	31.64
2018-19	25	750	54	7.00	53	7.00	14.00
2019-20	89	2290	67	3.00	88	3.84	6.84
2020-21	-	-	-	-	-	-	-

3.6.5.2 निम्समे ने विभिन्न विषयों पर प्रकाशन भी किए हैं। प्रकाशनों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.स.	सामग्री/ प्रकाशन का नाम	लेखक	प्रकाशन का वर्ष	भाषा	टिप्पणियां
1	*कोविड–19 महामारी के बाद के काल में एमएसएमई का पुनरुद्धार (निम्समे वेबीनार कार्रवाई)*	एस. ग्लोरी स्वरुपा, देबेंदू चौधरी	2020	अंग्रेजी	निम्समे और येस बैंक
2	भारत में कौशल विकास में तेज़ी लाने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व: एक अन्वेषण अध्ययन	एस. ग्लोरी स्वरुपा, एस. जी. गोयल, आर.के. एवं राठी आर.बी.	2020	अंग्रेजी	उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, खंड 29, संख्या–11 (2020) पीपी 625–633
3	आंध्रप्रदेश के कुरनूल जिले में कपास की खेती के विकास और स्थिरता के संबंध में अध्ययन	के. विश्वेश्वर रेड्डी और ई. लोकानंदा रेड्डी	2020	अंग्रेजी	विंगर प्रकाशन आईएसबीएन 978–81–941934 –0–1

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके संबद्ध कार्यालयों की प्रमुख स्कीमें

4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय लक्षित कई स्कीम संचालित करता है:

(क) ऋण एवं वित्तीय सहायता प्रदान

(ख) कौशल विकास प्रशिक्षण,

(ग) अवसंरचना विकास

(घ) विपणन सहायता,

(ङ) प्रौद्योगिकीय और गुणता उन्नयन एवं

(च) देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य सेवाएं

सभी मुख्य स्कीमों का संक्षिप्त ब्योरा नीचे दिया गया है:

क. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण एवं वित्तीय सहायता

क. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

I. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य नए स्व रोजगार के उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना है। इसका दूसरा उद्देश्य देश के पारंपरिक तथा भावी कारीगरों और ग्रामीण तथा शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े भाग को सतत और निरंतर रोजगार प्रदान करना है ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके। इसका तीसरा उद्देश्य कारीगरों की मजदूरी अर्जन क्षमता को बढ़ाना और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार के वृद्धि दर को बढ़ाने में योगदान देना है। यह स्कीम राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जाती है। राज्य स्तर पर इस स्कीम का कार्यान्वयन राज्य केवीआईसी निदेशालयों, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों (केवीआईबी) और जिला उद्योग केंद्रों (डीआईसी) तथा बैंकों के माध्यम से किया जाता है। *विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकार्य परियोजना/इकाई की अधिकतम लागत 25 लाख रुपये और व्यवसाय/सेवा क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख रुपये है।*

<table>
<tr><td>अभिप्रेत लाभार्थी</td><td>पीएमईजीपी के अंतर्गत स्वीकृति के लिए केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। स्वयं सहायता समूह (गरीबी रेखा के नीचे मौजूद लोगों सहित बशर्ते उन्होंने किसी अन्य स्कीम के अंतर्गत लाभ हासिल न किया हो), सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत संस्थान, उत्पादन सहकारी सोसाइटीज और चैरिटेबल ट्रस्ट भी इसके लिए पात्र हैं।
वर्ष 2008–09 में इसके आरंभ से और 31.12.2020 तक, अनुमानित 53 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करते हुए 14,982.28 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी से लगभग 6.44 लाख सूक्ष्म उद्यमों की सहायता की गई है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित कुल इकाइयों में से, 80% ग्रामीण क्षेत्र में हैं और 20% शहरी क्षेत्र में हैं। 50% से अधिक इकाइयां महिला, एससी और एसटी से संबंधित हैं।</td></tr>
<tr><td>हाल की उपलब्धियां</td><td>स्कोर कार्ड मॉडल पर पीएमईजीपी के अंतर्गत इकाइयों को स्थापित करने और चयन को गतिमान बनाने के लिए आवेदनों के चयन में जिला स्तरीय कार्यबल समिति (डीएलटीएफसी) की भूमिका को समाप्त करके स्कीम प्रक्रिया को सरल किया गया है।

पीएमईजीपी लाभार्थियों के मार्गदर्शन और पथप्रदर्शन प्रदान करने के लिए सभी राज्यों में विपणन और तकनीकी विशेज्ञ लगाने के लिए प्रावधान बनाए किए गए हैं।

मौजूदा कोविड–19 परिस्थितियों में ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण के लिए लाभार्थियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण पोर्टल को आरंभ किया गया है। एमएसएमई–डीआई, एनएसआईसी, निम्समे, एनएससी एफडीसी, एनएसटीएफडीसी इत्यादि प्रशिक्षण केन्द्रों को ईडीपी प्रशिक्षणों के लिए ऑनलाइन क्लासरूम हेतु भी नामित किया गया है।

बाजार की जरूरतों और मौजूदा कोविड–19 परिस्थितियों के अनुरूप इकाइयों की आर्थिक व्यवहार्यता को बढ़ाने के लिए पीएमईजीपी इकाइयों के उत्पादों की विविधता को अनुमति प्रदान की गई है।

एक जियो–टैगिंग पोर्टल नामतः www.geotag.kvic.gov.in तैयार किया गया है और उसे प्रचालित किया जा रहा है। पीएमईजीपी के अंतर्गत स्थापित सभी सूक्ष्म–उद्यमों को जियो–मैप्ड किया जाएगा, स्थानों को आसान सुविधा और इकाइयों की मॉनीटर की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पीएमईजीपी का कार्यनिष्पादन</td><td>
<table>
<tr><th>वर्ष</th><th>संवितरित मार्जिन मनी (करोड़ रुपये में)</th><th>सहायता प्राप्त सूक्ष्म इकाइया (संख्या)</th><th>सृजित अनुमनित रोजगार (संख्या)</th></tr>
<tr><td>2017-18</td><td>1312.4</td><td>48,398</td><td>3,87,182</td></tr>
<tr><td>2018-19</td><td>2070</td><td>73,427</td><td>5,87,416</td></tr>
<tr><td>2019-20</td><td>1950.82</td><td>66,653</td><td>5,33,224</td></tr>
<tr><td>2020-21*</td><td>1000.73</td><td>31,923</td><td>255384</td></tr>
</table>
*30.12.2020
विगत तीन वर्षों के दौरान वर्षों से मार्जिन मनी सब्सिडी का संवितरण बढ़ रहा था। तथापि, वर्ष 2019–20 के दौरान कोविड–19 महामारी और परिणामस्वरूप बाधाओं और लॉकडाउन के कारण कुछ कमी हुई। मार्जिन मनी का औसत वार्षिक संवितरण वर्ष 2008–09 से 2015–16 के 950 करोड़ रू. की तुलना में वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान बढ़कर 1650 करोड़ रू. हुआ है।</td></tr>
<tr><td>कार्यान्वयन</td><td>एआरआई अनुभाग</td></tr>
</table>

वित्त वर्ष 2020–21के दौरान आबंटित निधियां	1650.00 करोड़ रू.
हुआ व्यय (31.12.2020 तक)	1018.50 करोड़ रू.
II. ऋण सम्बद्ध पूँजीगत सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस)	
विवरण	सीएलसी – टीयूएस के सीएलसीएस घटकों का उद्देश्य स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत विशिष्ट उप–क्षेत्र/उत्पादों में सुव्यवस्थित और प्रमाणित प्रौद्योगिकी समावेशन के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना है: (क) चिन्हित क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए 1.0 करोड़ रु. (अर्थात् 15.00 लाख रु. की उच्चतम सब्सिडी सीमा) तक के संस्थागत क्रेडिट पर 15% की सब्सिडी क्षमता। (ख) चिन्हित प्रौद्योगिकियों/उप–क्षेत्रों की समीक्षा के लिए लचीलापन भी मौजूद है। (ग) संशोधित प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन और ट्रैकिंग प्रणाली पहले से मौजूद है। (घ) वर्तमान में स्कीम को 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, तथापि, इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसियों (सिडबी, नाबार्ड, एसबीआई, आंध्रा बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एवं टीआईआईसीएल) के माध्यम से लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, निजी बैंक एवं आरआरबी पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। (ङ) एससी/एसटी वर्ग, महिला उद्यमी और पूर्वोत्तर राज्यो, पहाड़ी राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) द्वीप क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप) और चिन्हित आकांक्षी जिलों/एलडब्ल्यूई जिलों से उद्यमियों का निष्पक्ष समावेश सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, किसी भी प्रकार के अधिग्रहण/संयंत्र और मशीनरी/उपकरण के प्रतिस्थापन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन में निवेश के लिए भी सब्सिडी स्वीकार्य है। 2. पिछले दिशानिर्देशों (परिशिष्ट–1,पूरक 1–6) में अनुमोदित क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों और निर्धारित मशीनरी के विवरण की सूची अपरिवर्तित रहेगी। तथापि, क्षेत्रों/उप–क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों और मशीनरी के विवरण के आमेलन/विलोपन पर, पूरक स्कीम के दिशानिर्देश के अनुसार विशेषज्ञों की समिति के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी। विस्तृत प्रचालन दिशानिर्देश इस कार्यालय की सरकारी वेबसाइट अर्थात् आइकॉन टेक–अप के अंतर्गत www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध हैं। स्कीम को 31 मार्च, 2020 तक अनुमोदित किया गया।
अभिप्रेत लाभार्थी	यह स्कीम नये एवं मौजूदा एमएसई पर लागू है।
यह स्कीम नये एवं मौजूदा एमएसई पर लागू है।	बजट अनुमान 503.28 करोड़ रु.
हुआ व्यय (नवम्बर, 2020 तक)	438.59 करोड़ रु.

III.	एमएसई के लिए ऋण गारंटी न्यास निधि (सीजीटीएमएसई)–एमएसएमई के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण का प्रावधान
विवरण	बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी सहित) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को संपार्श्विक मुक्त ऋण देने के लिए गारंटी दी जाती हैं। इस स्कीम में प्रति उधारी इकाई 200 लाख रु. तक नये एवं मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को पात्र उधारदाता संस्थाओं द्वारा दी गई संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा (मियादी ऋण और/या कार्यशील पूँजी) में कवर होती है। प्रदत्त गारंटी कवर 50 लाख रु. से अधिक तथा 200 लाख रु. ऋण एक्सपोजर के 75% पर एक समान गारंटी से 50 लाख रु. तक (सूक्ष्म, उद्यमों को प्रदत्त 5 लाख रु. तक ऋणों का 85%, महिलाओं के स्वामित्व वाली/उनके द्वारा चालित एमएसई के लिए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी ऋणों के लिए 80%) ऋण सुविधा के 75% तक है। न्यूनतम 1% गारंटी शुल्क के साथ स्वीकृत ऋण सुविधा का प्रतिवर्ष 1.80% तक मिश्रित वार्षिक गारंटी शुल्क लिया जाता है। स्थितिः 30 दिसम्बर, 2020 की स्थिति के अनुसार 2.46 लाख करोड़ रू. की गारंटी कवर के लिए संचयी 48.28 लाख प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है।
हाल की उपलब्धियां	यह अपने प्रकार की गारंटी स्कीम है जिसने विगत 20 वर्षों में 48 लाख लाभार्थियों को कवर किया है। लाभार्थियों ने सीजीटीएमएसई वित्त पोषण के आगामी अनुमोदन वर्षों में अपने कारोबार तथा रोजगार सृजन की वृद्धि का अनुभव किया। सीजीटीएमएसई वित्तपोषण ने एमएसई क्षेत्र – प्रौद्योगिकी उन्नयन, कौशल उन्नयन, बाजार विकास, स्कीम की निरंतरता, आर्थिक प्रभाव तथा सामाजिक प्रभाव के छह मुख्य क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। यह स्कीम पूर्वोत्तर में विशेष ध्यान देने से देश भर में भौगोलिक दृष्टि से स्वयं को फैलाने में सफल रही है। स्कीम के लाभ 100 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों तक भी पहुँच गए हैं जिनमें एमएसई प्रचालन हो रहे हैं। लाभार्थी टियर तीन (3) शहरों तक फैले हुए हैं न कि बड़े औद्योगिक केन्द्रों तक सीमित है। सीजीटीएमएसई दावे निपटाने में बड़ी प्रभावी रही है जिनमें पहली किस्त के अधिकांश मामलों में तीन सप्ताहों के भीतर निपटाए गए। अद्यतन परिपत्रों के साथ–साथ स्कीमों का ब्योरा सीजीटीएमएसई की वेबसाइटः www.cgtmse.in पर उपलब्ध है।
अभिप्रेत लाभार्थी	यह स्कीम नये एवं मौजूदा एमएसई पर लागू है।
आबंटित निधियां (2020–21)	शून्य
हुआ व्यय (दिसंबर, 2020 तक)	7500 करोड़ रु. का अनुमोदित संग्रह पहले ही पूरा हुआ।
IV.	**एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम**
विवरण	एमएसएमई के लिए सहयोग और आउटरीच पर पहल के भाग के रूप में दिनांक 2 नवम्बर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री ने ''एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम 2018'' की घोषणा की। स्कीम में 100 लाख रु. तक की सीमा तक के नए अथवा वृद्धिशील ऋण पर सभी उद्योग आधार संख्या (यूएएन) और जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई को 2% ब्याज आर्थिक सहायता दी जाती है।

	975 करोड़ रु. के आबंटन के साथ इस स्कीम की दो वित्तीय वर्षों वित्तीय वर्ष 2018–19 और वित्तीय वर्ष 2019–20 की अवधि के लिए घोषणा की गई थी। स्कीम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई पंजीकृत व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण नॉन–बैंकिंग वित्त कंपनियां (एनबीएफसी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों शहरी सहकारी बैंक (अनुसूचित और गैर अनुसूचित) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए मियादी ऋण (टर्म लोन) अथवा कार्यशील पूँजी को इस स्कीम के अंतर्गत कवर किया जाता है। वाणिज्य विभाग के तहत शिपमेंट से पूर्व अथवा शिपमेंट के बाद क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता का लाभ लेने वाले एमएसएमई निर्यातक एमएसएमई को वृद्धिशील क्रेडिट के लिए ब्याज आर्थिक सहायता स्कीम 2018 के तहत सहायता के लिए पात्र नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, एमएसएमई जो पहले से राज्य/केंद्रीय सरकार की किसी भी स्कीम के तहत ब्याज आर्थिक सहायता का लाभ ले रहे हैं वे भी स्कीम के तहत पात्र नहीं है। **स्थिति:** दिसम्बर, 2020 के अंत तक 18.05 लाख एमएसएमई के लाभ के लिए पात्र संस्थाओं को 825 करोड़ रू. संवितरित किए।
हाल की उपलब्धियां	यह एक नई स्कीम है जिसका शुभारंभ 2 नवम्बर, 2018 को हुआ।
अभिप्रेत लाभार्थी	यह स्कीम नए एवं मौजूदा एमएसएमई पर लागू है।
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान – 200.00 करोड़ रु.
हुआ व्यय	200.00 करोड़ रु.

(ख) कौशल विकास एवं प्रशिक्षण स्कीम

I. नवप्रवर्तन, ग्रामोद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम (एस्पायर)	
विवरण	**इस स्कीम के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:** (i) नए रोजगार का सृजन और बेरोजगारी कम करना, (ii) भारत में उद्यमिता संस्कृति को बढ़ावा देना, (iii) बुनियादी आर्थिक विकास (iv) अधूरी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए नवप्रवर्तन व्यवसाय समाधान के लिए सुविधा देना, और (v) एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए नवप्रवर्तन को बढ़ावा देना। **स्कीम के निम्न घटक हैं** (i) विभिन्न सरकारी/निजी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का एक डाटाबेस सृजित करना और बेहतरीन पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित करना। (ii) इंक्यूबेट्स की मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग के लिए जरूरी अपेक्षित कुशल मानव संसाधन विकसित करना। (iii) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), केवीआईसी या कॅयर बोर्ड या भारत सरकार/राज्य सरकार का कोई किसी अन्य संस्था/एजेंसी के अंतर्गत आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर (एलबीआई) स्थापित करना। (iv) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा संस्थाओं पात्र निजी संस्थाओं के अंतर्गत वर्तमान में संचालित इंक्यूबेटर द्वारा प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटरों की स्थापना करना।

	(v) तकनीकी/अनुसंधान संस्थान, भारत सरकार के मंत्रालयों और निजी इंक्यूबेटरों के माध्यम से व्यवसाय आइडिया कार्यक्रम का इंक्यूबेशन और वाणिज्यीकरण। (vi) उन्नयन के लिए बिजनेस एक्सीलरेटर प्रोग्राम (vii) विचारों/इनोवेशन को सक्षम बनाने और इन्हें वाणिज्यिक उद्यमों में बदलने के लिए इनोवेटिव वित्त साधनों का प्रयोग कर भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से स्टार्ट अप संवर्धन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाना। **एलबीआई के उद्देश्य हैं:** (क) बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित करना ताकि पात्र युवाओं को विभिन्न कौशलों में पर्याप्त रूप से इंक्यूबेट किया जा सके और उन्हें अपना व्यवसाय उद्यम स्थापित करने का अवसर दिया जा सके। (ख) युवाओं को उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना। (ग) अपने व्यवसाय उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाने के उद्देश्य से वित्त पोषण के साथ मेंटरिंग और हैंडहोल्डिंग प्रदान करना। (घ) नए निचले स्तर की प्रौद्योगिकी/आजीविका आधारित उद्यमों को बढ़ावा देना। **टीबीआई के उद्देश्य हैं:** (क) नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी ऐप्लिकेशन के माध्यम से विकास का संवर्धन करना, (ख) लघु व्यवसाय विकास के लिए आर्थिक विकास रणनीतियों का समर्थन करना, (ग) स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास को प्रोत्साहित करना जबकि प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए भी तंत्र प्रदान कर रही है। **स्कीम में निम्नलिखित कार्यकलाप कवर किए जाते हैं:** **(क) आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर** एनएसआईसी, केवीआईसी, कयर बोर्ड या कोई अन्य संस्था या भारत/राज्य सरकार की अन्य संस्था या एजेंसी द्वारा आजीविका व्यवसाय इंक्यूबेटर मात्र संयंत्र एवं मशीनरी के लिए एलबीआई स्थापित करने हेतु सहायता (एनएसआईसी तथा अन्य के लिए 100 लाख रु. तथा पीपीपी के अंतर्गत पात्र एजेंसियों के लिए 50 लाख रु.) **(ख) प्रौद्योगिकी व्यवसाय इंक्यूबेटर** • मौजूदा इंक्यूबेटर के लिए सहायता (संयत्र और मशीनरी के लिए 30 लाख रुपये) • नए इंक्यूबेटर की स्थापना (संयत्र और मशीनरी के लिए 100 लाख रुपये) **आइडिया का इंक्यूबेशन (4 लाख रुपये प्रति आइडिया)** • इनोवेटिव आइडिया से उद्यम का निर्माण (परियोजना लागत के 50% या 20 लाख रुपए प्रति सफल आइडिया, जो भी कम हो, की दर पर उद्यम निर्माण के लिए प्रति इंक्यूबेटर 1 करोड़ रुपये पर सीड कैपिटल निधि) • एक्सीलरेटर वर्कशॉप **(ग) स्थिति:** **31.12.2020 तक, 86 एलबीआई और 18 टीबीआई को अनुमोदित किया गया जिसमें से 49 एलबीआई और 8 टीबीआई पहले ही कार्यात्मक है।** • दिनांक 30.09.2020 की स्थिति के अनुसार 34,251 व्यक्तियों को एलबीआई में प्रशिक्षित किया गया है जिनमें से 10,383 व्यक्तियों के पास स्व–रोजगार है और 5,813 व्यक्तियों को अन्य इकाइयों में नियोजित किया गया है।

अभिप्रेत लाभार्थी	(क) भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अंतर्गत कार्यरत मौजूदा इंक्यूबेशन केंद्र या भारत सरकार/राज्य सरकारों के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर के संस्थान (ख) नए इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना के लिए, उद्योग संघों सहित पात्र निजी संस्थान, शैक्षिक संस्थान, अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाएं, विश्वविद्यालय, सरकारी उद्यमों और टेक्नोलॉजी पार्क, कृषि–ग्रामीण परिदृश्य में नवप्रवर्तन/प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमिता के संवर्धन में प्रमाणित ट्रैक रिकार्ड के साथ तकनीकी संस्थान।
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान– 30.00 करोड़ रू. संशोधित अनुमान– 15 करोड़ रू.
हुआ व्यय 2020–21 (31.12.2020 तक)	5.88 करोड़ रू.
II. उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी)	
विवरण	**स्कीम के बारे मेः–** उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी), एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है जो अपने कैरियर के निर्माण के लिए आकांक्षी युवाओं के मध्य उद्यमिता के बारे में जागरूकता पैदा करने और अपने लघु व्यवसाय उद्यमों के निर्माण के लिए उनको पथ प्रदर्शन प्रदान करने के लिए अभिप्रेत है। स्कीम में उत्पादकता और उत्पाद गुणवत्ता इत्यादि सुधारने के लिए अपनी इकाइयों में बेहतर प्रबंधन प्रथाओं का कार्यान्वयन करने हेतु मौजूदा एमएसएमई के क्षमता निर्माण की भी परिकल्पना की गई है। **स्कीम की गतिविधियां:** ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत गतिविधियों/कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल शामिल हैं: 1. एक/दो दिवसीय औद्योगिक प्रेरक अभियान (आईएमसी) 2. दो सप्ताह का उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम (ईएपी) 3. छः सप्ताह का उद्यमिता–सह–कौशल विकास कार्यक्रम (ई–एसडीपी) 4. एक सप्ताह का प्रबंधन विकास कार्यक्रम (एमडीपी) ईएसडीपी स्कीम की बेहतर आउटरीच के लिए, 21.11.2019 से नए अप–स्केल दिशानिर्देश कार्यान्वित किए गए हैं जिनके माध्यम से स्कीम की गतिविधियां/कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्र/राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों/कार्पोरेशन/पीएसयू/एजेंसी के माध्यम से भी आयोजित किए जा रहे हैं। **उद्यम सुविधा केन्द्र (ईएफसी):** नई वर्धित ईएसडीपी स्कीम के अंतर्गत, दिशानिर्देशों में एक घटक के रूप में ईएफसी को शामिल किया जाता है। इस मंत्रालय ने देश भर में आज तक 102 ईएफसीएस स्थापित किए हैं। जिसे एमएसएमई–डीआई एमएसएमई–टीसी (पीपीडीसी) सहित) तथा एनएसआईसी के अंतर्गत स्थापित किया गया है। ये ईएफसी विचार, मेनटॉरिंग और इनक्यूवेशन, क्रेडिट सुविधा एवं बाजार पहुँच और उद्यम क्लिनिक, बीमारी की स्थिति में निदानकारी अध्ययन परामर्श तथा अन्य सुविधाओं पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित करेंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्व–रोजगार की आकांक्षा करने वाले युवाओं को पथप्रदर्शन सहायता के रूप में पूर्णतः निवारण किया जाता है तथा जो युवा स्व–रोजगार और व्यवसाय उद्यम सृजित करने के आकांक्षी और रोजगार पाने का विचार रखते हैं उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

<table>
<tr><td>कार्यक्रम/
लाभार्थी
(2018–2019)</td><td>
<table>
<tr><th>कार्यक्रम का नाम</th><th>पूरा किये कार्यक्रमों की संख्या</th><th>लाभार्थियों की संख्या</th></tr>
<tr><td>आईएमसी</td><td>1</td><td>50</td></tr>
</table>
कोविड–19 महामारी की स्थिति के फलस्वरूप पूर्णतः व्यक्ति और मशीनरी की गतिविधि को रोकने में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन किया गया। ईएसडीपी के अंतर्गत सभी आबंटित कार्यक्रमों को रोक दिया गया। अभी तक 20,000 रू. की राशि से एक आईएमसी कार्यक्रम को पूरा किया गया।
</td></tr>
<tr><td>आबंटित निधियां (2020–21)</td><td>बजट अनुमान – 136.96 करोड़ रु.
संशोधित अनुमान – 10.00 करोड़ रु.</td></tr>
<tr><td>हुआ व्यय
(31.12.2020 तक)</td><td>0.63 करोड़ रु.</td></tr>
</table>

ग अवसंरचना विकास स्कीम–क्लस्टर अप्रोच के माध्यम से सहायता

I. I. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति)	
विवरण	इस स्कीम का उद्देश्य परंपरागत उद्योगों और कारीगरों को क्लस्टरों में संगठित करना है ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके और उन्हें दीर्घकालीन बनाए रखने, सतत् रोजगार, ऐसे क्लस्टरों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाने, संबंधित क्लस्टरों के पारंपरिक कारीगरों को बेहतर कौशल से सज्जित करने, कारीगरों के लिए सामान्य सुविधाओं और बेहतर टूल्स तथा इक्विपमेंट का प्रावधान करने, स्टेकहोल्डरों की सक्रिय भागीदारी के साथ क्लस्टर शासन व्यवस्था को मजबूत बनाना और इनोवेटिव उत्पादों, बेहतर प्रौद्योगिकी, उन्नत प्रक्रियाओं, बाजार आसूचना तथा सार्वजनिक–निजी भागीदारी के नए मॉडल बनाने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस स्कीम में तीन प्रकार के हस्तक्षेप शामिल हैं: i. **सॉफ्ट इंटरवेंशन**– सामान्य जागरूकता बनाने, परामर्श, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए कार्यकलाप, एक्सपोजर दौरे, बाजार विकास पहलें, डिजाइन और उत्पाद विकास, आदि। ii. **हार्ड इंटरवेंशन**– सामान्य सुविधा केंद्रों, कच्चे माल के भंडारों, उत्पादन अवसंरचना का उन्नयन, भंडारण सुविधा, टूल्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन, आदि। iii. **थिमैटिक इंटरबेंशन**– ब्रांड निर्माण, नई मीडिया मार्केटिंग, ई–कॉमर्स पहलें, अनुसंधान व विकास, आदि के लिए एक क्रॉस कटिंग बेसिस पर इंटरबेशन। किसी भी विशेष परियोजना के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता सॉफ्ट, हार्ड और थिमैटिक इंटरवेशन की सहायता करने के लिए अधिकतम 5 (पांच) करोड़ रुपये के अधीन होगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने एक शीर्ष समन्वयन तथा मॉनीटरिंग निकाय के रूप में गठित की है। केवीआईसी, कयर बोर्ड, निम्समे (हैदराबाद), आईईडी (उड़ीसा), आईआईई (गुवाहाटी), आईएमईडी (नई दिल्ली), जम्मू और कश्मीर केवीआईबी और निसबड (नोएडा), हस्तशिल्प विकास निगम परिषद (कोहेण्ड), नई दिल्ली तथा विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के अंतर्गत 18 टूल रूम/प्रौद्योगिकी केन्द्रों का स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसियां नामोदिष्ट किया है। नोडल एजेंसियां नामतः

	ट्राइफेड, नई दिल्ली यूपी केवीआईबी,लखनऊ और हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली को वर्ष 2020–21 के दौरान स्कीम के अंतर्गत नोडल एजेंसियों के रूप नामोदिष्ट किया गया है। **स्थिति:** वर्ष 2015–16 से 2020–21 (31.12.2020 तक) क्लस्टरों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने अनुदान के रूप में 784.85 करोड़ रू. की राशि अनुमोदित की और लगभग 1.98 लाख कारीगरों को लाभ प्रदान करते हुए स्कीम के अंतर्गत क्लस्टरों को स्थापित करने के लिए 335 प्रस्तावों को एमएसएमई मंत्रालय ने अनुमोदित किया है। वर्ष 2020–21 में, 21,226 कारीगरों की सहायता करते हुए दिनांक 31.12.2020 तक 37 क्लस्टरों को अनुमोदित किया गया है। सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) स्थापित करके मशीनरियों का प्रापण, विपणन पहलें, जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन कार्यकलापों को संचालित करते हुए ऐसे डीपीआर में निर्धारित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए (31.12.2020 तक) वर्ष 2020–21 के दौरान 127.41 करोड़ रू. की राशि मंत्रालय ने जारी की है। 31.12.2020 तक 79 क्लस्टर कार्यात्मक हो चुके है। ये खादी, कयर, हस्तकला हथकरघा, खाद्य प्रसंस्करण, शहद क्षेत्र इत्यादि के क्लस्टर है।
अभिप्रेत लाभार्थी	गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ), केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों और अर्ध–सरकारी संस्थानों, राज्य और केंद्र सरकार के क्षेत्रीय कार्यालयों, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई), क्लस्टर विशिष्ट एसपीवी गठित करते हुए निजी क्षेत्र, क्लस्टर विकास करने में विशेषज्ञता वाले कारपोरेट और कारपोरेट रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) फाउंडेशन
आबंटित निधियां (2020–21)	464.85 करोड़ रु. 201.46 करोड़ रु.
हुआ व्यय (2020–21) (31.12.2020 तक)	127.41 करोड़ रु.
II. सूक्ष्म और लघु उद्यम कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी) स्कीम	
उद्देश्य–	i. 'सामान्य मुद्दो के समाधान के माध्यम से एमएसएमई की सतत् सहायता। ii. सामान्य सहायतार्थ कार्य के लिए एमएसएमई का क्षमता निर्माण iii. औद्योगिक एस्टेट क्लस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन।

	iv. सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना। v. उन्नत और सतत् विनिर्माण प्रौद्योगिकियों का संवर्धन i. **सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी):** सामान्य उत्पादन/प्रसंस्करण केन्द्र/ उत्पाद क्षेत्र में (संतुलन/ सुधार/संशोधन के लिए जिन्हें व्यक्तिगत इकाइयों द्वारा संचालित नहीं किया जा सकता है। डिजाइन केन्द्रों, परीक्षण सुविधाओं, प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों, प्रवाहयुक्त उपचार संयंत्र, विपणन प्रदर्शन/बिक्री केन्द्र, सामान्य लॉजिस्टिक्स केन्द्र, सामान्य कच्चा माल बैंक/बिक्री डिपो इत्यादि जैसे सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) के रूप में वास्तविक ''संपत्तियों'' का सृजन करना। भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 20.00 करोड़ रू. की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत तक प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार का अनुदान पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, आकांक्षी जिलो/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों, (क) सूक्ष्म/गांवों (ख) महिला स्वामित्व (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों के 50 प्रतिशत से अधिक क्लस्टरों सहित में सीएफसी हेतु 90 प्रतिशत होगा। परियोजना लागत में भूमि की लागत (परियेाजना लागत की अधिकतम 25 प्रतिशत के अध्याधीन), निर्माण पूर्ववर्ती खर्चों, प्रारंभिक खर्चों, मशीनरी एवं उपकरण, विविध निर्धारित संपत्तियों, अवसंरचना सहायता जैसे जल आपूर्ति, बिजली और कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन मनी शामिल है। ii. **अवसंरचना विकासः** नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों में एमएसई के लिए प्रौद्योगिकीय बैकअप सेवाओं और सामान्य सेवा सुविधाओं, कच्चा माल, भण्डारण और विपणन आउटलेटों, बैंकों, सड़कों, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, दूरसंचार, जल, विद्युत वितरण नेटवर्क जैसी अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए परियोजना शामिल है। भारत सरकार की अनुदान (फ्लैटिड फैक्ट्री परिसर के लिए 15.00 करोड़ रू. एवं औद्योगिक संपदा के लिए 10.00 करोड़ रू.) परियोजना लागत का 60% तक प्रतिबंधित होगा। भारत सरकार का पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, भावी जिलो/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों औद्योगिक क्षेत्रों/संपदाओं (क) सूक्ष्म/गांवों (ख) महिला स्वामित्व, (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति इकाइयों/फ्लैटिड फैक्ट्री परिसरों सहित 50% से अधिक में परियोजना हेतु 80% अनुदान होगा। iii. **संघों द्वारा विपणन हब्स/ प्रदर्शनी केन्द्रः** सूक्ष्म और लघु उद्यमों के उत्पादों की बिक्री और प्रदर्शन हेतु केन्द्रीय स्थानों पर विपणन हब्स/प्रदर्शनी केन्द्र स्थापित करने के लिए संघों को भारत सरकार की सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार का अनुदान महिला उद्यमियों के संघों हेतु 80% और एनएबीईटी (क्यूसीआई) से अधिक तथा स्वर्ण श्रेणी की बीएमओ रेटिंग सहित उत्पाद विशिष्ट संघों के लिए अधिकतम 10.00 करोड़ रू. की परियोजना लागत के 60% तक प्रतिबंधित होगा। iv. **विषयगत हस्तक्षेपः** इस घटक में निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अनुमोदित/पूर्ण सीएफसी में विषयगत हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार की वित्तीय सहायता शामिल होगीः (क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (ख) प्रदर्शन दौरे (ग) सेवा प्रदाताओं के एक पेनल के माध्यम से व्यवसाय विकास सेवा (बीडीएस) प्रावधान का सुदृढीकरण। (ग) क्लस्टर मोड में व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करने से संबंधित कोई अन्य कार्यकलाप।

	भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 5 कार्यकलापों की कुल लागत प्रत्येक गतिविधि के लिए 2.00 लाख रू. से अधिक नहीं, का 50% तक प्रतिबंधित होगा। प्रत्येक सीएफसी के लिए इस घटक के अंतर्गत कुल भारत सरकार का अधिकतम अनुदान 10.00 लाख रू. होगा। शेष लागत एसपीवी/राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। **v. राज्य नवप्रवर्तनकारी क्लस्टर विकास कार्यक्रम को सहायता:** यह घटक मैचिंग शेयर आधार पर राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम की सीएफसी परियोजनाओं को सह–वित्त पोषण प्रदान करेगा। भारत सरकार की निधि राज्य सरकार के शेयर अथवा 5.00 करोड़ रू. जो भी कम हो, के लिए सीमित होगी। भारत सरकार की सहायता पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों, द्वीप प्रदेशों, भावी जिलों/एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलो में राज्य क्लस्टर विकास कार्यक्रम के स्कीम दिशानिदेशों के अनुरूप जहां लाभार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला स्वामित्व के उद्यमों की परियोजनाओं के लिए भी सीएफसी परियोजनाओं के संबंध में 5.00 करोड़ रू. से अधिक नहीं, परियोजना लागत में भारत सरकार की सहायता 90% होगी।

उपलब्धिः वित्त वर्ष 2015–16 से 2020–21 के दौरान वर्षवार डाटा

वर्ष	अनुमोदित परियोजनाएं			पूर्ण परियोजनाएं			प्रयुक्त बजट (करोड़ रु. में)		
	सामान्य सुविधा केन्द्र–अंतिम अनुमोदन	अवसंरचना विकास केन्द्र–अंतिम अनुमोदन	कुल (अंतिम अनुमोदन)	सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)	अवसंरचना विकास केन्द्र (आईडी)	कुल	व.अ.	सं. अ.	व्यय
2015-16	9	6	15	0	4	4	100.00	102.95	81.36
2016-17	6	3	9	5	5	10	135.00	123.00	121.68
2017-18	9	12	21	13	11	24	184.00	157.65	157.11
2018-19	10	26	36	17	11	28	279.00	173.40	172.73
2019-20	39	35	74	11	11	22	227.90	227.90	226.339
(2020-21 08.01.21 की स्थिति के अनुसार)	14	18	32	2	-	2	390.69	156.50	68.80
कुल	**87**	**100**	**187**	**48**	**42**	**90**	**1316.59**	**941.40**	**828.019**

वर्ष 2020–21 के दौरान परियोजना उपलब्धि

	अंतिम अनुमोदन	परियोजना लागत	प्रस्तावित भारत सरकार का अनुदान
सामान्य सुविधा केन्द्र (सीएफसी)	14	17799.16	12834.70
अवसंरचना विकास (आईडी) परियोजनाएं	18	12607.70	7685.68
कुल	**32**	**30406.86**	**20520.38**

घ. विपणन सहायता स्कीम

<table>
<tr><th colspan="2">I. एमपीडीए के अंतर्गत खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीम</th></tr>
<tr><td>विवरण</td><td>सरकार ने पूर्ववर्ती छूट प्रणाली के बदले 01.04.2010 से एक लचीली, विकास प्रेरित और कारीगर उन्मुख बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम शुरू की है। कारीगर जैसे कि खादी के उत्पादन में लगे कत्तिनों (स्पिनर) और बुनकरों जैसे कारीगर को वर्तमान में एमएमडीए के अंतर्गत 30% की दर से दी जाने वाली और खादी उत्पादन में लगे अन्य कारीगरों को 10% दर से वित्तीय सहायता का भुगतान जारी रहेगा। तथापि, खादी संस्थाओं को वित्तीय सहायता मौजूदा 60% (उत्पादक संस्थाओं के लिए 40% और विक्रय संस्थाओं के लिए 210%) से कम करके 30% (उत्पादक संस्थाओं के लिए 20% और विक्रय संस्थानों के लिए 10%) कर दी जाएगी। शेष 30% घटक को प्रतिस्पर्धा शुरू करने, उद्यमिता प्रयास को प्रोत्साहित करने और बाजार संचालित सिद्धांत को आरंभ करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन संरचना के आधार पर संस्थाओं के बीच वितरित की जाएगी। मौजूदा संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) को निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसार वितरित की जाएगी:
<table>
<tr><th>शेयर/प्रोत्साहन के अनुसार की प्रकृति</th><th>एमएमडीए के बीच मौजूदा शेयर</th><th>एमएमडीए के बीच संशोधित शेयर</th></tr>
<tr><td>कारीगरों का हिस्सा</td><td>40%</td><td>40%</td></tr>
<tr><td>उत्पादक संस्था का हिस्सा</td><td>40%</td><td>20%</td></tr>
<tr><td>विक्रय संस्था का हिस्सा</td><td>20%</td><td>10%</td></tr>
<tr><td>संस्था को प्रोत्साहन</td><td>0</td><td>30%</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>
एमडीए ग्राहकों आदि को प्रोत्साहन देने के अलावा बिक्री केंद्रों, उत्पादों और उत्पादन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए सहायता के प्रयोग हेतु संस्था का लचीलापन प्रदान करता है। उत्पादन पर बाजार विकास सहायता (खादी व पॉली) की मौजूदा स्कीम और ग्रामोद्योग अनुदान के प्रचार, विपणन और बाजार संवर्धन (निर्यात संवर्धन सहित) और अवसंरचना (विपणन परिसर/खादी प्लाजा के नए घटक सहित) के अतिरिक्त घटकों को मिलाकर इस स्कीम को एमपीडीए के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित एमडीए (एमएमडीए) के अंतर्गत, मूल्य–निर्धारण को लागत चार्ट से पूरी तरह अलग किया जाएगा और उत्पादों को उत्पादन के सभी चरणों पर बाजार मूल्यों पर बेचा जा सकता है। कारीगरों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।</td></tr>
<tr><td>अभिप्रेत लाभार्थी</td><td>वैध खादी प्रमाणपत्र वाले और ए+, ए, बी और सी के रूप में वर्गीकृत खादी संस्थान ही केवीआईसी से एमडीए अनुदान के लिए पात्र हैं।</td></tr>
<tr><td>आबंटित निधियां (2020–21)</td><td>150.00 करोड़ रु.(संशोधित अनुमान)</td></tr>
<tr><td>हुआ व्यय (31.12. 2020 तक)</td><td>191.56 करोड़ रु.</td></tr>
</table>

(ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा प्रतिस्पर्धात्मकता स्कीम

I.	जेड प्रमाणन में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए वित्तीय सहायता
विवरण	स्कीम में एमएसएमई के मध्य जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट (जेड) विनिर्माण के संवर्धन और निम्न के साथ उनके प्रमाणन के लिए जेड मूल्यांकन की परिकल्पना की गई है: • अद्यतन प्रौद्योगिकी टूलों के उपयोग द्वारा गुणवत्तायुक्त उत्पादों के विनिर्माण के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहन प्रदान करना और इन्हें सक्षम बनाना और पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव के साथ उच्च उत्पादकता और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को निरंतर उन्नत करना। • प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और निर्यात सक्षमता के लिए एमएसएमई में ''जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट'' विनिर्माण हेतु इकोसिस्टम विकसित करना। • सफल एमएसएमई के प्रयासों को मान्यता और गुणवत्ता संवर्धित करना।
स्थिति	आरंभ में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई), भारत सरकार ने 18.10.2016 को जेड स्कीम का शुभारंभ किया है और साथ ही 2018–19 में इसका आकार बढ़ाया गया। स्कीम के आरंभ से अब तक जेड स्कीम के अंतर्गत 23,493 एमएसएमई पंजीकृत है। 13000 से अधिक एमएसएमई ने ओएसए शुरू कर दिया है जिसमें से 3685 अभी तक पूरे हो गए हैं। 1053 डेस्कटॉप मूल्यांकन पूरा कर लिया है और 546 एमएसएमई ने स्थल मूल्यांकन के लिए शुल्क का भुगतान कर दिया है जिसमें से 503 पूरे हो गए हैं। 503 में मामले रेटिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए। ब्रोन्जः 131, सिलवरः 132, गोल्डः 62, डाइमंडः 4, रेटिंग नहीः 174
अभिप्रेत लाभार्थी	विनिर्माण करने वाले एमएसएमई
कार्यान्वयन	विकास आयुक्त कार्यालय के माध्यम से
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान –51.75 करोड़ रु.
हुआ व्यय 2020–21 (11 जनवरी, 2021 तक)	286.33 करोड़ रु.
II.	**इंक्यूबेटर के माध्यम से एसएमई को उद्यमिता और प्रबंधकीय विकास के लिए सहायता**
विवरण	स्कीम का मुख्य उद्देश्य ज्ञान आधारित नवप्रवर्तनकारी एमएसएमई (उद्यमों) और विनिर्माण में नवीनतम प्रौद्योगिकी को अपनाने को बढ़ावा देना और व्यक्तिगत अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ाना और सहायता देना जो अवधारणा स्तर के प्रमाण पर उनके विचारों के सत्यापन की मांग है। **गतिविधियां:** • व्यवसाय इंक्यूबेटर (बीआई) की स्थापना के लिए मेजबान संस्था (एचआई) के रूप में पात्र संस्थाओं को मान्यता। • मेजबान संस्था के इंक्यूबेटी के विचारों को अनुमोदन। • मेजबान संस्थान को आइडिया के पोषण के लिए सहायता। • संयंत्र और मशीन के लिए एचआई को पूंजीगत सहायता के लिए सहायता। • योग्य आइडिया को सीड पूँजी सहायता के रूप में सहायता। • जागरूकता और कार्यशाला कार्यक्रम।

सहायता की प्रकृति	• किसी विचार के विकास और पोषण के लिए 15 लाख रु. तक की वित्तीय सहायता। • बीआई की प्रौद्योगिकी संबंधी आरएंडडी गतिविधियों को मजबूत करने के उद्देश्य से बीआई में संयंत्र और मशीन के प्रापण और संस्थापना के लिए 1.00 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता। • होस्ट संस्था (एचआई) व्यवसाय इन्क्यूबेटर (बीआई) की सहायता हेतु सीड पूँजी सहायता के लिए सहायता अनुदान के रूप में 1.00 करोड़ रु. तक की वित्तीय सहायता।
स्थिति	अभी तक संपूर्ण देश में मेजवान संस्था (एचआई) की 42 सं. इन युक्तियों के पोषण और विकास के लिए अनुमोदित आइडिया की 62 सं. है।
आवेदन कौन कर सकता है	संस्थानों के विद्यार्थी/उद्यमी जैसे कि तकनीकी कॉलेज, विश्वविद्यालय, अन्य व्यवसायिक कॉलेज/संस्थान, अनुसंधान और विकास संस्थान, प्रासंगिक गतिविधियों में शामिल एनजीओ, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के ईडीसी, एमएसएमई–डीआई/प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी), डीआईसी अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार के कोई संस्थान/ संगठन।
आवेदन कैसे करें	एचआई स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए एमआईएस पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के माध्यम से राष्ट्रीय मॉनीटरिंग एवं कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) को आवेदन करेंगे।
	(i) स्कीम मई, 2019 में ही आरंभ की हुई हैं। (ii) 29.05.2019 को ऑनलाइन एमआईएस को प्रचालित किया गया है। (iii) **डीबीटी:** ऑनलाइन एमआईएस के माध्यम से प्राप्त सभी प्रस्तावों को 3 स्तरों से गुजरना होगा अर्थात्, एमएसएमई डीआई स्तर पर, राष्ट्रीय मॉनीटरिंग और कार्यान्वयन इकाई (एनएमआईयू) स्तर, परियोजना मॉनिटरिंग और सलाहकार समिति (पीएमएसी) स्तर से। स्टेप 1– आरंभ में एचआई को अनुमोदित किया जाएगा। स्टेप 2– अनुमोदित एचआई के विचारों को अनुमोदित किया जाएगा। स्टेप 3– अनुमोदित विचार/पूंजी सहायता के संबंध में निधि जारी करने के लिए एचआई के अनुरोध के बाद ही विचार किया जाएगा और एचआई को निधि जारी की जाएगी।
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान– 50.09 करोड़ रु.
हुआ व्यय 2020–21 (31.12.2021 तक)	शून्य

(च) देश भर में एमएसएमई के लिए अन्य स्कीमें

I. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हब	
विवरण	सूक्ष्म और लघु उद्यम आदेश, 2012 के लिए केंद्रीय सरकार लोक प्रापण (प्रोक्यूरमेंट) नीति के अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने, लागू व्यवसाय पृथाओं अपनाने तथा स्टैण्ड अप इंडिया पहलों का लाभ उठाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। यह स्कीम राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हब के निम्नलिखित कार्य हैं:

	i. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम और उद्यमियों के संबंध में सूचना एकत्रित करना, मिलान करना तथा प्रसार करना। ii. कौशल प्रशिक्षण तथा ईडीपी के माध्यम से भावी एवं मौजूदा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के मध्य क्षमता निर्माण। iii. डीआईसीसीआई सहित उद्योग संघों तथा सीपीएसई, एनएसआईसी, एमएसएमई–डीआई सहित विक्रेता विकास। iv. प्रदर्शनियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों की भागीदारी को बढ़ावा देना। v. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए परामर्श और पथ प्रदर्शन सहायता देना। vi. अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए राज्य तथा अन्य संगठनों के साथ कार्य करना ताकि इन उद्यमों को इनसे लाभ प्राप्त हो सके। vii. लोक प्रापण (प्रोक्यूअरमेंट) में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों को सुविधा प्रदान करना, डीजीएसएंडडी को ई–प्लेटफार्म प्रदान करना तथा प्रगति की मॉनीटरिंग करना। viii. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए ऋण प्रदान करना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब स्कीम के दिशा–निर्देश मंत्रालय (की वेबसाइट अर्थात् www.msme.gov.in. पर उपलब्ध हैं।
सहायता की प्रकृति	निम्नलिखित उप–स्कीमों इंटरवेंशन के अंतर्गत एनएसएसएच के अधीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: • एक बिन्दु पंजीकरण स्कीम (एसपीआरएस) • विशेष विपणन सहायता स्कीम (एसएमएएस) • विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (एससीएलसीएसएस) मौजूदा उद्यमियों की क्षमता निर्माण के लिए एससी/एसटी उद्यमियों को शीर्ष 50 एनआईआरएफ दर्जा प्राप्त प्रबंधन संस्थानों का लघु अवधि पाठ्यक्रम शुल्क • सफलतापूर्वक प्रशिक्षित एससी/एसटी उद्यमियों को प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा टूलकिटों का वितरण। • एससी/एसटी एमएसई के लिए एनएबीएल और बीआईएस मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं से लिया गया परीक्षण शुल्क। • सरकारी निविदाओं में भागीदारी के लिए एससी/एसटी एमएसई द्वारा प्राप्त बैंक गारंटी निष्पादन के लिए बैंक शुल्क • बैंक ऋण प्रसंस्करण शुल्क • एससी/एसटी एमएसई के लिए विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) द्वारा लिया गया।
आवेदन प्रक्रिया	कौन आवेदन कर सकता है: दिशानिर्देशों के अनुसार सहायता प्राप्त करने के लिए एससी/एसटी उद्यमी पात्र हैं। कैसे आवेदन करें: इच्छुक एससी/एसटी उद्यमी निर्धारित आवेदन प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार निकटतम एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। किससे संपर्क करें: एनएसआईसी शाखा कार्यालय/एनएसएसएच कार्यालय/एनएसआईसी लि. एनएसएसएच प्रकोष्ठ एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। (संपर्क विवरण www.nsic.co.in पर उपलब्ध है।)

अभिप्रेत लाभार्थी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी
आबंटित निधियां (2020–21)	150.00 करोड़ रु.(बजट अनुमान) 120.00 करोड़ रु.(संशोधित अनुमान)
हुआ व्यय (2020–21)	103.00 करोड़ रु. (30.11.2020 की स्थिति के अनुसार)
II. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम में एमएसएमई संवर्धन के लिए स्कीम।	
विवरण	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम के घटक के निम्नलिखित उप–घटक हैं: **1. नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण।** **उद्देश्यः** स्कीम में नए मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा मिनी प्रौद्योगिकी केंद्रो के आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता की परिकल्पना है। **वित्तीय सहायताः** वित्तीय सहायता की मात्र मशीनरी/संयंत्र/भवनों की लागत के 90% के बराबर होगी जो 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। भारत सरकार का निधि पोषण भूमि की लागत के प्रति स्वीकार्य नहीं होगी और भवन लागत की अधिकतम सीमा 20% तक होगी। **2. नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा का विकास।** **उद्देश्यः** नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए वित्तीय सहायता।
	वित्तीय सहायताः नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाओं की लागत का 80% स्वीकृत किया जाएगा जो 8.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगा। अवसंरचना सुविधाओं में बिजली वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, रोड, बैंक, भंडारण और विपणन आउटलेट इत्यादि शामिल होंगी। **3. अधिकारियों का क्षमता निर्माण** **उद्देश्यः** निम्समे, हैदराबाद एवं एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों और राष्ट्रीय स्तर पर अन्य प्रतिष्ठित संगठनों जैसे एमएसएमई संस्थानों में विभिन्न टेक्नों प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति द्वारा एमएसएमई के संवर्धन और विकास में लगे अधिकारियों का क्षमता निर्माण। **वित्तीय सहायताः** स्कीम के अंतर्गत अधिकारियों के प्रशिक्षण शुल्क व्यय और बोर्डिंग/लाजिंग का खर्च भारत सरकार दवारा वहन किया जाएगा और सीधे प्रशिक्षण संस्थानो को (अधिकतम 77 दिन) भुगतान किया जाएगा। घरेलू प्रशिक्षण के लिए टीए/डीए का व्यय संबंधित विभागों/राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में पाठ्यक्रम शुल्क के अलावा विदेश यात्रा (इकॉनोमी क्लास सबसे छोटा मार्ग) के दौरान किया गया टीए/डीए का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा (दोनों पर 1.5 लाख रु. प्रति भागीदार व्यय सीमा)। घरेलू क्षेत्र से संबंधित व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

	4. अन्य गतिविधियां: **उद्देश्य:** अनुसंधान अध्ययन (मूल्यांकन अध्ययन सहित), संस्थानों को सुदृढ़ करने (केवल सॉफ्ट इंटरवेंशन) इत्यादि जैसी विभिन्न गतिविधियों के लिए भी स्कीम फंड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ज्ञान और मानव पूँजी विकास, व्यापार विकास एवं वित्त, प्रौद्योगिकी, बुनियादी संरचना, बाजार और व्यापार नेटवर्क, इत्यादि परिचालन सेवाओं की पहुँच जैसी मांग आधारित सेवाओं को भी शामिल किया जाएगा। ये हनी, बांस, जैविक उत्पाद इत्यादि के क्षेत्रों में उद्यमों के विकास और संवर्धन के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई परियोजनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम में कार्य कर रहे सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए आईटी मॉड्यूल भी विकसित किए जा सकते हैं। **वित्तीय सहायता:** डीपीआर में प्रत्येक घटक पर विस्तृत औचित्य के साथ प्रत्येक इस प्रकार का इंटरवेंशन 1.00 करोड़ रु. तक हो सकता है।
अभिप्रेत लाभार्थी	सभी एमएसएमई
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान 75.00 करोड़ रु. संशोधित अनुमान – 20.00 करोड़ रु.
हुआ व्यय (31.12.2020)	8.194 करोड़ रु.
III. एमएसएमई के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता निर्माण	
विवरण	एमएसएमई क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए एक स्कीम ''बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पर जागरूकता निर्माण'' निम्नलिखित उद्देश्य के साथ एमएसएमई के लिए प्रबंधित है: • बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के बारे में एमएसएमई की जागरूकता को बढ़ाना। • उनके विचारों और व्यवसाय रणनीति के संरक्षण के लिए उपाय करना। • एमएसएमई द्वारा आईपीआर टूल का प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने और प्रभावी उपयोग में एसएमई की सहायता करना। • देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों, संगोष्ठी कार्यशाला, आईपी पंजीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं आईपी सुविधा केंद्रों की स्थापना जैसी स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। भारत सरकार की वित्तीय सहायता के साथ विस्तृत गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

	<table><tr><th>क्र. स.</th><th>गतिविधियां</th><th>वित्तीय सहायता</th></tr><tr><td>1.</td><td>वस्तुओं/ट्रेडमार्क के भौगोलिक संकेतों के तहत पेटेंट पंजीकरण के अनुदान पर वित्तीय सहायता विदेशी पेटेंट राष्ट्रीय पेटेंट ट्रेडमार्क भौगोलिक संकेत</td><td> 5.00 लाख रु. तक 1.00 लाख रु. तक 0.10 लाख रु. तक 2.00 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>2.</td><td>आईपी सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए सहायता</td><td>5 वर्ष की अवधि के लिए 1.00 करोड़ रु. तक</td></tr><tr><td>3.</td><td>आईपीआर पर जागरूकता और संवेदीकरण कार्यक्रम</td><td>प्रति कार्यक्रम 0.70 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>4.</td><td>चयनित विषयों/क्लस्टर/उद्योगों के समूह के लिए प्रायोगिक अध्ययन/अन्य अध्ययन</td><td>5.00 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>5.</td><td>राष्ट्रीय स्तरीय इन्टरऐक्विट सेमिनार/कार्यशालाएं/कॉन्क्लेव/सम्मेलन/प्रदर्शनियां</td><td>5.00 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>6.</td><td>क्षेत्रीय स्तरीय इंटरैक्टिव सेमिनार/कार्यशालाएं/कॉनक्लेव/सम्मेलन/प्रदर्शनियां</td><td>3.00 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>7.</td><td>एमएसएमई अधिकारियों एवं आईपीएफसी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम</td><td>प्रति कार्यक्रम 20.00 लाख रु. तक</td></tr><tr><td>8.</td><td>अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ पारस्परिक विचार–विमर्श</td><td>प्रति कार्यक्रम 15.00 लाख रु. तक</td></tr></table>
2020–21 के दौरान उपलब्धियां	• देश भर में विभिन्न एमएसएमई–डीआई क्लस्टरों के लिए स्वीकृत 193 आईपीआर पर वर्चुअल जागरूकता कार्यक्रम वेबीनार की स्वीकृति। • नए 28 आईपी सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता। • पेटेंट/ट्रेडमार्क के 105 की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता
आबंटित निधियां (2020–21)	बजट अनुमान– 39.35 करोड़ रु.
हुआ व्यय (11 जनवरी, 2021)	6.71 करोड़ रु.

पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिलाओं, दिव्यांग जनों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए लक्षित गतिविधियां

5.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए गतिविधियां

5.1.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया बजट परिव्यय

5.1.1.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए कुल निधियों के 10% निर्धारित करने की सरकार की नीति के अनुपालन में वर्ष 2020–21 के बजट अनुमान (बीई) में 566.42 करोड़ रु. का परिव्यय विशेष रूप से असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों के लिए रखा गया था।

5.1.1.2 मंत्रालय द्वारा और पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए एआरआई प्रभाग के लिए निर्धारित निधियों और जारी निधियों का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

तालिका 5–1: वर्ष 2016–17 से 2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु एआरआई प्रभाग को जारी निधियां

(रु. करोड़ में)

वर्ष	एआरआई प्रभाग के लिए बजट आवंटन (आरई)	पूर्वोत्तर क्षेत्र को 10% बजट आवंटन	व्यय पूर्वोत्तर
2016-17	1717.55	171.76	143.25
2017-18	2517.71	252.21	248.21
2018-19	3488.40	409.90	419.30*
2019-20	3714.43	349.90	355.48
2020-21	2570.98	257.10	152.22 (31-12-2020 तक)

** संशोधित अनुमान के अतिरिक्त व्यय की बढ़ोत्तरी प्रसंगाधीन वर्ष में प्राप्त अनुपूरक की वजह से है।*

5.1.2. 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन'

(प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधन केंद्र का एक घटक–टीईआरसी)

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 'पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन' स्कीम घटक में निम्नलिखित उप–घटक हैं: –

5.1.2.1 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और मौजूदा लघु (मिनी) प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण

उद्देश्यः इस स्कीम में नए लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना करने और मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों का आधुनिकीकरण करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है।

वित्तीय सहायताः वित्तीय अनुदान की मात्रा मशीनरी/ उपकरण/ भवन की लागत के 90% के बराबर होगी जो 10.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं हो सकती है। भारत सरकार की निधि भूमि की लागत के लिए स्वीकार्य नहीं होगी और भवन की लागत अधिकतम 20% तक ही होगी।

5.1.2.2 नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों का विकास

उद्देश्यः नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों का विकास

नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों के विकास के लिए वित्तीय सहायता है। वित्तीय सहायताः नई और मौजूदा औद्योगिक संपत्तियों के विकास के लिए अवसंरचना सुविधाओं की 80% लागत स्वीकृत की जाएगी जो 8.00 करोड़ रु. से अधिक नहीं होगी। अवसंरचना सुविधाओं में विद्युत वितरण प्रणाली, जल, दूरसंचार, जल निकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़क, बैंक, भंडारण और विपणन आउटलेट आदि शामिल हैं।

5.1.2.3 अधिकारियों में क्षमता निर्माण

उद्देश्यः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का संवर्धन करने और इनके विकास में लगे अधिकारियों के क्षमता निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निम्समे, हैदराबाद और एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्रों जैसे एमएसएमई संस्थानों में अन्य प्रतिष्ठित संगठनों और विभिन्न प्रौद्योगिकी–प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों हेतु इनकी प्रतिनियुक्ति की जाती है।

वित्तीय सहायताः अधिकारियों का प्रशिक्षण शुल्क और भोजन तथा आवास व्यय इस स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और भुगतान प्रशिक्षण संस्थानों (अधिकतम 7 दिन) को सीधे किया जाएगा। घरेलु प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते का व्यय संबंधित विभागों/ राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मामले में, भारत सरकार द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क (दोनों पर व्यय सीमा प्रति भागीदार 1.5 लाख रु.) के अलावा केवल विदेश यात्रा (इकॉनमी श्रेणी के लघुतम मार्ग द्वारा) के दौरान हुए यात्रा भत्ते/ महंगाई भत्ते को वहन किया जाएगा। घरेलू क्षेत्र संबंधी व्यय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

5.1.2.4 अन्य गतिविधियांः

उद्देश्यः इस स्कीम की निधियों को अनुसंधान अध्ययन (मूल्यांकन अध्ययन सहित), संस्थानों के सुदृढ़ीकरण आदि (केवल सॉफ्ट इंटरवेंशन) जैसी विभिन्न गतिविधियों के शुभारंभ के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। इसमें मांग आधारित सेवाएं जैसे ज्ञान और मानव पूंजी विकास, व्यवसाय विकास और प्रचालनात्मक सेवाओं तक पहुंच, वित्त, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, बाज़ार और व्यवसाय नेटवर्क आदि– भी शामिल है।

ये शहद, बांस, जैविक उत्पादों आदि के क्षेत्र में उद्यमों का विकास और संवर्धन करने के लिए राज्य सरकारों अथवा अन्य संगठनों द्वारा तैयार विशेष रूप से डिजाइन की गई परियोजनाएं हो सकती हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए व्यवसाय करने में आसानी के लिए आईटी मॉड्यूलों का भी विकास किया जा सकता है।

वित्तीय सहायता इस प्रकार का प्रत्येक इंटवेशन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के प्रत्येक घटक पर ब्यौरे–वार औचित्य के साथ 1.00 करोड़ रु. तक की राशि हो सकती है।

5.1.2.5 स्कीम के घटक के अंतर्गत वास्तविक उपलब्धियां:

- माननीय मुख्यमंत्री नागालैंड द्वारा दिनांक 08.12.2018 को सचिव (एमएसएमई) की उपस्थिति में नागालैंड टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (एनटीटीसी), दीमापुर और नागालैंड के पहले चरण का उद्घाटन किया गया है। परियोजना को पूरा करने के लिए भारत सरकार के अनुदान की 5.50 करोड़ रु. की पूर्ण एवं अंतिम किश्त मार्च, 2019 में भी ज़ारी की गई है।

- टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी), अगरतला, त्रिपुरा की स्थापना की गई है और माननीय मुख्यमंत्री, त्रिपुरा ने दिनांक 29.12.2018 को माननीय एमएसएमई मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और सचिव (एमएसएमई) की उपस्थिति में राष्ट्र को समर्पित किया। यह परियोजना पूर्ण हो गई है।.

- टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (टीआरटीसी) तिनसुकिया, असम इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो गया है। अंतिम भारत सरकार अनुदान मार्च, 2020 में ज़ारी किया गया है। मशीनरी और उपकरणों की संस्थापना की प्रक्रिया ज़ारी है और यह परियोजना कार्यान्वयाधीन है।

- स्किलपीडिया फांऊडेशन संसाधन विकास केंद्र, गंगटोक, सिक्किम की स्थापना और सुदृढ़ीकरण का कार्य पूरा हो गया है।

- वर्ष 2019–20 के दौरान "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन" स्कीम घटक की 5वीं और 6वीं पीएएमसी बैठक में कुल 17 नई परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया। इन परियोजनाओं में औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाएं, लघु प्रौद्योगिकी केंद्र और अन्य गतिविधियां शामिल हैं। सभी परियोजनओं के लिए भारत सरकार के अनुदान की पहली किश्त ज़ारी की गई है और परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

- सिक्किम में बांस उत्पाद उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

- एनटीटीसी दीमापुर, नागालैंड में "कृषि आधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी और इन्क्यूबेशन केंद्र" की स्थापना का कार्य पूर्ण हो गया है।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम में एमएसएमई के संवर्धन में लगे अधिकारियों कर क्षमता निर्माण के उप–घटक के अंतर्गत कुल 18 परियोजनाओं (14–अंतर्राष्ट्रीय और 04– घरेलू) को अनुमोदित किया गया जिनमें से दो अंतर्राष्ट्रीय प्रक्षिक्षण कार्यक्रम अर्थात बैंकॉक, थाईलैंड और सिंगापुर पूरे हो गए हैं और अन्य अनुमोदित शेष प्रशिक्षण कार्यक्रम कोविड–19 महामारी की वजह से उत्पन्न स्थितियों के समान्य हो जाने पर पूरे किए जाएंगे।

- वर्ष 2020–21 के दौरान, "पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्कम में एमएसएमई का संवर्धन" स्कीम घटक की 7वीं और 8वीं पीएएमसी बैठक में कुल 12 नई परियोजना अनुमोदित की गयी। इन प्रस्तावों में अन्य गतिविधियों के अंतर्गत औद्योगिक अवसंरचना विकास परियोजनाएं, लघु प्रौद्योगिकी केंद्र और परियोजनाएं शामिल हैं और पूर्व परियोजना गतिविधियां शुरू की गई हैं और भारत सरकार का अनुदान करने की प्रक्रिया ज़ारी है।

5.1.2.6 कोविड–19 महामारी के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत उपलब्धियां:

- नागालैंड टूल रूम और प्रशिक्षण केंद्र (एनटीटीसी), दीमापुर, नागालैंड ने दो प्रकार के मशीनकृत वैंटिलेटरों (हॉरिज़ोनटल और वर्टिकल) का विकास किया है। मशीनकृत वैंटिलेटर के लिए ईडन अस्पताल दीमापुर द्वारा हॉस्पीटल बेड और बॉडी सैनिटाइज़र का परीक्षण ज़ारी है।
- कृषि आधारित इन्क्यूबेशन केंद्र के अंतर्गत एनटीटीसी दीमापुर द्वारा हॉस्पीटल बेड जैसे चिकित्सकीय उपकरण और हैंड्स फ्री वॉश बेसिन जैसे अन्य संबंधित उपकरण तैयार किए गए।
- सिक्किम में बैंबू उत्पाद उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र के माध्यम से वर्ष 2019–20 के दौरान बैंबू क्राफ्ट पर ईएसडीपी का आयोजन।
- एमएसएमई–डीआई, गंगटोक ने उद्यमियों के लिए आय कोविड–19 आपात क्रेडिट लाईन और अन्य राहत स्कीमों का प्रचार–प्रसार किया है।

श्रव्य–दृश्य सामग्री (ऑडियो–विजुअल सामग्री) –इस स्कीम के अंतर्गत सृर्जनात्मक उद्यमिता उत्कृष्टता, टेमी, दक्षिण सिक्किम द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की समझ बेहतर बनाने के लिए स्थानीय नेपाली भाषा में कोविड–19 महामारी पर एक लघु ऐनीमेटेड फिल्म का निर्माण किया है।

https://m-facebook-com/story-php?story_fbid=k14826107319056 67&id=k100004702629687?sfnsn=kwiwspwa&extid=kiFV3K952f5hUzN3Y&d=kw&vh=ki

31.12.2020 तक वित्तीय उपलब्धि:

बजट अनुमान 2020–21	75.00 रु. करोड
आज की तारीख तक व्यय	8.194 रु. करोड
व्यय मार्च, 2021 तक समर्पित किया जा सकता है	20.00 रु. करोड

मशीन प्रचालन और सूचना प्रौद्योगिकी पर प्रायोगिक सत्र
(एनटीटीसी, दीमापुर, नागालैंड के अंतर्गत संचालित गतिविधियां)

एनटीटीसी, दीमापुर भवन का सामने का दृश्य

बांस प्रसंस्करण के लिए बांस उत्पाद उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, टेमी टी एस्टेट, सिक्कम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

बांस प्रसंस्करण के लिए बांस उत्पाद उद्योग प्रौद्योगिकी केंद्र, टेमी टी एस्टेट, सिक्कम के अंतर्गत संचालित गतिविधियां

धुआं रहित मीट ड्रायर

कार्न शेलर

बनाना फाईबर एक्सट्रेक्टर

एनटीटीसी, दीमापुर, नागालैंड स्थित कृषि आधारित ग्रामीण प्रौद्योगिकी और इंक्यूबेंशन केंद्र परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी डिजाइन और विकास

बैंकॉक, थाईलैंड में प्रशिक्षण कार्यक्रम

कोलकत्ता में प्रशिक्षण कार्यक्रम

सिंगापुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम

5.1.3 पूर्वोत्तर में खादी और ग्रामोद्योग आयोग

5.1.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में खादी और ग्रामोद्योग (केवीआई) कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) का गुवाहाटी में एक अंचल कार्यालय और पूर्वोत्तर राज्यों में अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, पंजीकृत संस्थाओं, सहकारी समितियों और उद्यमियों के माध्यम से इस क्षेत्र में खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं

5.1.3.2 इन पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे ग्रामोद्योगों में फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, मिट्टी के बर्तनों, मधुमक्खी पालन, अनाज और दाल प्रसंस्करण, फाइबर, साबुन, कैन और बनाना, बढ़ईगीरी और लोहारी खादी और पॉलीवस्त्र गतिविधियाँ शामिल हैं।

5.1.3.3 पूर्वोत्तर में खादी और ग्रामोद्योग

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान खादी का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचित रोजगार रु.(संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	9.90	8.31	31
2	असम	666.31	819.48	5118
3	मणिपुर	6.97	6.57	166
4	मेघालय	17.55	20.34	59
5	मिजोरम	1.69	2.07	14
6	नागालैंड	4.00	24.63	295
7	सिक्किम	0.00	0.00	0
8	त्रिपुरा	0.40	7.65	25
	कुल	**706.82**	**889.05**	**5708**

 # पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र सहित

5.1.3.4 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2020–21 (31.03.2021 तक प्रत्याशित) के दौरान खादी का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र.सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचित रोजगार रु.(संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	15.76	45.25	32
2	असम	1113.45	1369.89	5130
3	मणिपुर	17.65	43.62	170
4	मेघालय	15.76	23.89	59
5	मिजोरम	1.76	5.23	14
6	नागालैंड	41.42	75.20	296
7	सिक्किम	0.00	8.30	0
8	त्रिपुरा	0.63	46.20	25
	कुल	**1206.43**	**1617.58**	**5726**

 # पॉलीवस्त्र और सोलर वस्त्र सहित

5.1.3.5 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2020–21 (31.12.2020 तक) के दौरान ग्रामोद्योग का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचित रोजगार रु.(संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	286.59	433.30	22128
2	असम	8500.43	12608.74	582240
3	मणिपुर	13405.11	19979.70	126440
4	मेघालय	913.69	1316.49	65652
5	मिजोरम	3230.91	4881.99	135853
6	नागालैंड	3908.30	5709.89	107679
7	सिक्किम	220.08	325.49	28047
8	त्रिपुरा	4070.85	6049.47	127868
	कुल	**34535.96**	**51305.07**	**1195907**

5.1.3.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र में वर्ष 2020–21 (31.03.2021 तक प्रत्याशित) के दौरान ग्रामोद्योग का राज्य–वार वास्तविक कार्यनिष्पादन

क्र. सं.	राज्य	उत्पादन (लाख रु. में)	बिक्री (लाख रु. में)	संचित रोजगार रु.(संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	2551.67	3813.67	45474
2	असम	73691.16	109821.13	1199336
3	मणिपुर	25943.88	38668.16	265212
4	मेघालय	19216.62	28602.33	142420
5	मिजोरम	15066.44	22554.30	277674
6	नागालैंड	22102.91	32808.23	227064
7	सिक्किम	1094.23	1628.37	56326
8	त्रिपुरा	15811.84	23552.54	262282
	कुल	**175478.75**	**261448.73**	**2475788**

5.1.4 पीएमईजीपी–पीएमईजीपी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए केवीआईसी द्वारा विशेष प्रयास किए गए हैं।

5.1.4.1 वर्ष 2019–20 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 123.00 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी के उपयोग के माध्यम से कुल 7,259 पीएमईजीपी परियोजनाओं (नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी डोज़) की सहायता की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान (नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी डोज़) पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य	आबंटित मार्जिन मनी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (रु.))	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	500.00	363.79	211	1688
2	असम	11207.80	3557.78	2587	20696
3	मणिपुर	2815.73	2036.30	1173	9384
4	मेघालय	2971.70	569.17	377	3016
5	मिजोरम	2101.59	1083.78	760	6080
6	नागालैंड	3412.08	2650.24	1109	8872
7	सिक्किम	200.00	174.56	79	632
8	त्रिपुरा	2517.10	1835.39	963	7704
	कुल	**25726.00**	**12271.01**	**7259**	**58072**

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

5.1.4.2 वर्ष 2020–21 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में 62.71 करोड़ रु. की मार्जिन मनी सब्सिडी सहित कुल 2,437 पीएमईजीपी परियोजनाएं (नई इकाइयों और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी डोज) स्वीकृत की गईं। वर्ष 2020–21 के दौरान (31.12.2020) पूर्वोत्तर राज्यों में पीएमईजीपी कार्यनिष्पादन निम्नलिखित है:

क्र. सं.	राज्य	आबंटित मार्जिन मनी (रु. लाख में)	प्रयुक्त मार्जिन मनी (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त इकाइयां (रु.))	अनुमनित सृजित रोजगार (संख्या)
1	अरुणाचल प्रदेश	191.63	35.23	13	104
2	असम	479.08	46.97	17	136
3	मणिपुर	4296.52	844.28	181	1448
4	मेघालय	5156.79	2456.38	533	4264
5	मिजोरम	2893.48	479.45	291	2328
6	नागालैंड	3072.38	779.09	351	2808
7	सिक्किम	3837.48	126.28	85	680
8	त्रिपुरा	14589.04	1503.91	966	7728
	कुल	**34516.4**	**6271.59**	**2437**	**19496**

 # पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष निधियों सहित

5.1.4.3 **पूर्वोत्तर में पीएमईजीपी के अंतर्गत राज्य–वार सहायता प्राप्त सूक्ष्म उद्यम (परियोजानाएं)**

(पीएमईजीपी की नई इकाइयों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों के लिए दूसरी डोज)

राज्य	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31-12-20 तक)
अरुणाचल प्रदेश	657	652	35	301	209	280	211	17
असम	8255	5015	3483	6028	2282	3737	2587	966
मणिपुर	733	747	685	1265	600	1291	1173	533
मेघालय	397	555	603	329	75	390	377	85
मिजोरम	777	817	1134	425	249	1123	760	291
नागालैण्ड	421	416	623	1018	930	1208	1109	181
सिक्किम	66	16	110	27	37	55	79	13
त्रिपुरा	1307	787	642	2297	1116	1179	963	351
कुल	**12613**	**9005**	**7315**	**11690**	**5498**	**9263**	**7259**	**2437**

5.1.5 पूर्वोत्तर राज्यों में स्फूर्ति परियोजाएं

वर्ष 2019–20 में 97.41 करोड़ रु. की भारत सरकार की सहायता से 19,111 कारीगरों को लाभांवित करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 41 क्लस्टर अनुमोदित किए गए हैं। ये क्लस्टर हस्तशिल्प, हथकरघा, बांस, कृषि–प्रसंस्करण, शहद और चाय आदि में हैं।

कुल 15 क्लस्टर पूर्वोत्तर राज्यों में पहले ही कार्यात्मक हो गए हैं।

5.1.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में एनएसआईसी

5.1.6.1 एनएसआईसी का शाखा कार्यालय गुवाहटी में स्थित है और उप–कार्यालय इंफाल, मणिपुर, में है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में एनएसआईसी द्वारा शुरु की गई गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

- दिनांक 25 मई, 2020 को पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पॉस्को, के साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में कुल 14 अ.जा/ अ.ज.जा. इकाइयों की भागीदारी रही।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने दिनांक 24 जून, 2020 को आईओसीएल के साथ एसवीडीपी का संचालन किया। इसमें कुल 24 इकाइयों ने भाग लिया जिनमें 14 अ.जा./ अ.ज.जा. इकाइयां थी।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने दिनांक 12 अगस्त, 2020 को ब्रहमपुत्र क्रेकर और पॉलीमर लिमिटेड के सहयोग से एसवीडीपी का संचालन किया। इस कार्यक्रम में अ.जा/ अ.ज. के 30 उद्यमियों ने भागीदारी में भाग लिया।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिनांक 11.09.2020 को पूर्वोत्तर विद्युत

कॉरपोरेशन लिमिटेड (एनईईपीसीओ), मुख्यालय के साथ विशिष्ट वैंडर विकास कार्यक्रम का संचालन किया। इस एसवीडीपी में अ.जा/ अ.ज.जा. स्वामित्व वाली 27 इकाइयों ने भागीदारी की थी।

- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने दिनांक 29.09.2020 को आईओसीएल, नूनामटी, गुवाहटी असम के साथ विशिष्ट वैंडर विकास कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान कुल 30 एमएसएमई ने भागीदारी की और इनमें से 14 इकाइयां अ.जा/ अ.ज.जा. स्वामित्व वाली थी।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने मजौली जिला असम की अ.जा/ अ.ज. इकाइयों के लिए दिनांक 18.08.2020 को विशेष जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय अ.जा/ अ.ज.जा. हब स्कीमों के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में अ.जा/ अ.ज. के स्वामित्व वाली 12 इकाइयों ने भागीदारी की।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 20.08.2020 को कामरूप जिले और कामरूप मैट्रो जिला असम की अ.जा./ अ.ज. इकाइयों के लिए विशेष जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया। इस कार्यक्रम में कुल 18 इकाइयों ने भागीदारी की।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने दिनांक 21.10.2020 को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी, असम के साथ वर्चुअल विशेष विक्रेता कार्यक्रम संचालित किया। इस कार्यक्रम में अ.जा/ अ.ज. के स्वामित्व वाली 36 इकाइयों ने भागीदारी की।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने दिनांक 25.11.2020 उत्तर–पूर्व फ्रटियर रेलवे (एनएफ रेलवे), आंचलिक कार्यालय, मालिगांव, गुवाहटी, असम के साथ वर्चुअल विशेष विक्रेता कार्यक्रम संचालित किया। इस कार्यक्रम में अ.जा/ अ.ज. के स्वामित्व वाली 33 इकाइयों ने भागीदारी की।
- एनएसएसएचओ, गुवाहटी ने वर्चुअल प्लेटफार्म के माध्यम से दिनांक 21.10.2020 को ईडीआईआई, असम के अ.जा/ अ.ज.जा के प्रशिक्षाओं के लिए वर्चुअल विशेष विक्रेता कार्यक्रम संचालित किया। इस कार्यक्रम में अ.जा/ अ.ज. के स्वामित्व वाली 33 इकाइयों ने भागीदारी की।
- वर्तमान वित्त वर्ष (उदाहरणार्थ 31, मार्च, 2021 तक) की शेष अवधि के दौरान अनुमानित उपलब्धि और एनएसएसएच के अंतर्गत अ.जा./ अ.ज उद्यमियों के लिए विशिष्ट वैंडर विकास कार्यक्रमों की 5 गतिविधियां और विशेष जागरुकता कार्यक्रम में 2 गतिविधियां शामिल थी।

5.2 महिलाओं के कल्याणर्थ गतिविधियां

5.2.1 एनएसएसओ के एनएसएस 73वें दौर के अनुसार देश में अनुमानित कुल 1,23,90,523 महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मौजूद हैं। चित्र 5–3 देश में पुरुष स्वामित्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वितरण के प्रतिशत को दर्शाता है। 20% से अधिक सूक्ष्म, लघु आर मध्यम उद्यमों का स्वामित्व महिलाओं के पास है।

5.2.2 मंत्रालय के संगठनों द्वारा संचालित स्कीमों/कार्यक्रमों का मुख्य लक्ष्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास में तेजी लाने के लिए आवश्यक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला/सुविधा प्रदान करना है। तथापि, कुछ स्कीम/कार्यक्रम व्यक्तिगत लाभार्थी उन्मुखी हैं। कई स्कीम ऐसी हैं जिसमें महिलाओं को अतिरिक्त लाभ/रियायत/सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं के लिए रियायत संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट www.msme.gov.in में उपलब्ध संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों में देखा जा सकता है।

स्वामियों के जेंडर अनुसार द्वारा एमएसएमई स्वामित्व का राज्य–वार वितरण (एनएसएस 73वां दौर)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
1	पश्चिम बंगाल	5583138	2901324	8484462	11.52	23.42
2	तमिलनाडु	3441489	1285263	4726752	7.10	10.37
3	तेलंगाना	1459622	972424	2432046	3.01	7.85
4	कर्नाटक	2684469	936905	3621374	5.54	7.56
5	उत्तर प्रदेश	8010932	862796	8873728	16.53	6.96
6	आंध्र प्रदेश	2160318	838033	2998351	4.46	6.76
7	गुजरात	2375858	826640	3202499	4.90	6.67
8	महाराष्ट्र	3798339	801197	4599536	7.84	6.47
9	केरल	1647853	495962	2143816	3.40	4.00
10	राजस्थान	2261127	380007	2641134	4.67	3.07
11	मध्य प्रदेश	2275251	370427	2645678	4.70	2.99
12	झारखंड	1250953	310388	1561341	2.58	2.51
13	ओडिशा	1567395	295460	1862856	3.24	2.38
14	पंजाब	1183871	224185	1408056	2.44	1.81
15	बिहार	3239698	168347	3408044	6.69	1.36
16	हरियाणा	831645	98309	929953	1.72	0.79
17	दिल्ली	827234	86742	913977	1.71	0.70
18	मणिपुर	86383	86604	172987	0.18	0.70
19	जम्मू और कश्मीर	624056	74785	698841	1.29	0.60
20	छत्तीसगढ़	727203	71201	798403	1.50	0.57
21	असम	1128411	66665	1195076	2.33	0.54
22	हिमाचल प्रदेश	329595	50368	379963	0.68	0.41
23	मेघालय	72191	39462	111653	0.15	0.32

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)	महिला स्वामित्व वाले सभी एमएसएमई में राज्य का हिस्सा (%)
24	त्रिपुरा	179169	28042	207212	0.37	0.23
25	पुडुचेरी	65350	27072	92422	0.13	0.22
26	उत्तराखंड	380000	20964	400964	0.78	0.17
27	नागालैंड	65778	20865	86643	0.14	0.17
28	मिजोरम	20439	13698	34137	0.04	0.11
29	गोवा	57133	10815	67948	0.12	0.09
30	अरुणाचल प्रदेश	16153	6274	22427	0.03	0.05
31	चंडीगढ़	44321	5560	49881	0.09	0.04
32	सिक्किम	20880	5036	25916	0.04	0.04
33	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	14302	4026	18328	0.03	0.03
34	दादार और नगर हवेली	12900	2629	15529	0.03	0.02
35	दमण और दीव	5880	1560	7441	0.01	0.01
36	लक्षद्वीप	1384	488	1872	0.00	0.00
	कुल	**48450722**	**12390523**	**60841245**	**100.00**	**100.00**

महिला स्वामित्व वाली एमएसएमई में राज्यों का प्रतिशतता हिस्सा

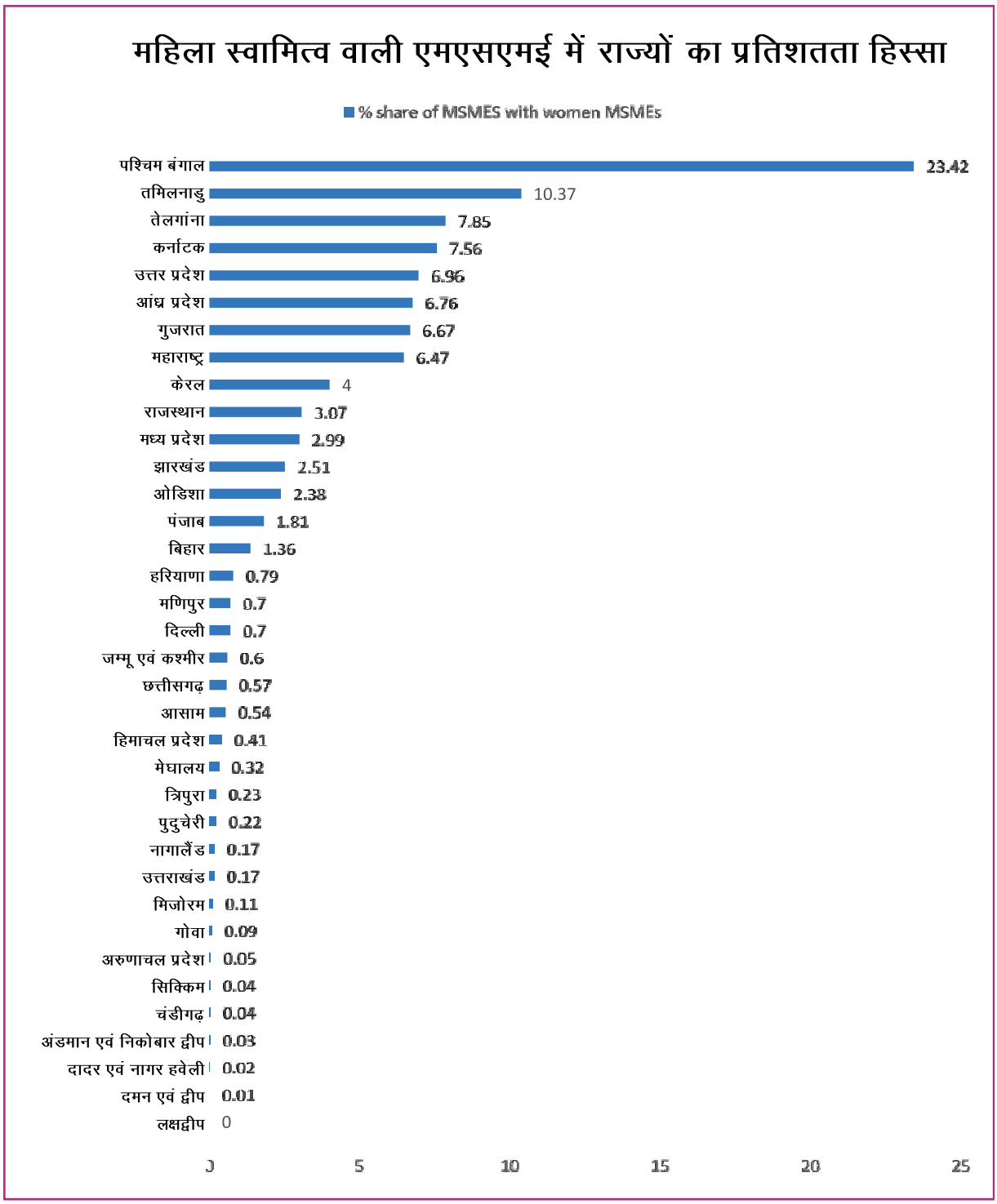

5.2.3 पीएमईजीपी–प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को अधिक सब्सिडी दी जाती है। आरंभ से (अर्थात् 2008–09 से 31.12.2020 तक) कुल 1,86,370 परियोजनाओं को पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमियों को सहायता दी गई है। विगत वर्षों के दौरान महिला लाभार्थियों की संख्या के आंकड़े निम्नलिखित हैं:

आरंभ से पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला लाभार्थी (अर्थात् 2008–09 – 31.12.2020)

(सूक्ष्म उद्यम/परियोजनाएः संख्या में)

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत महिला उद्यमी (लाभार्थी)
2008-09	4930
2009-10	10845
2010-11	12072
2011-12	14299
2012-13	13612
2013-14	13448
2014-15	13394
2015-16	11356
2016-17	14768
2017-18	15669
2018-19	25434
2019-20	24720
2020-21 (31-12-2020 तक)	11823
आरंभ से कुल (31.12.2020 तक)	**186370**

5.3 दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

5.3.1 यह मंत्रालय उक्त विषय पर अनुदेशों के अनुसार 'आरक्षण रोस्टर' का अनुरक्षण कर रहा है। मंत्रालय और इसके सम्बद्ध कार्यालय विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के 100 पॉइन्ट रोस्टर से सृजित रिक्तियों को भरने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को नियमित रूप से सूचित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधाएं (जैसे वाहन भत्ता) भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

5.3.2 एनएसआईसी और निम्समे उद्यमिता विकास के विभिन्न क्षेत्रों और संबंधित प्रशिक्षण मॉड्यूल में प्रशिक्षण के लिए आवश्यक आरक्षण/वरीयता प्रदान कर रहे हैं।

5.3.3 पीएमईजीपी– पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग लाभार्थियों को विशेष दर्जा दिया गया है और ये सब्सिडी की ऊंची दर तथा कम व्यक्तिगत अंशदान के लिए पात्रता रखते हैं। इसके प्रारंभ से (अर्थात् वर्ष 2008–09 से 31.12.2020 तक), पीएमईजीपी के अंतर्गत कुल 3315 परियोजनाओं के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई है। विगत वर्षों के दौरान दिव्यांग लाभार्थियों की संख्या का डाटा निम्नानुसार हैः

पीएमईजीपी की शुरुआत से 31.12.2020 तक दिव्यांग लाभार्थी (अर्थात् वर्ष 2008–09 से 2020–21 तक)

वर्ष	पीएमईजीपी के अंतर्गत दिव्यांग उद्यमी (लाभार्थी)
2008-09	0
2009-10	0
2010-11	349
2011-12	399
2012-13	396
2013-14	292
2014-15	267
2015-16	290
2016-17	184
2017-18	44
2018-19	495
2019-20	414
2020-21 (31-12-2020 तक)	185
कुल	**3315**

5.4 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

5.4.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के साम्यिक विकास के संवर्धन के लिए आर्थिक वृद्धि के इंजन के रूप में विश्व–भर में स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, भारत में भी, एमएसएमई ने देश में निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तथापि, वर्ष 2020 की शुरुआत से संपूर्ण विश्व में कोविड–19 महामारी के प्रसार की वजह से व्यापार और अर्थव्यवस्था के बहुत से अन्य क्षेत्रों में बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हुईं। अंतराष्ट्रीय और वैश्विक बाज़ार में अपनी साख बनाए रखने के लिए एमएसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाए रखने की जरुरत है और उन्हें निरंतर अद्यतन बनाए रखना होगा ताकि ये प्रौद्योगिकी में बदलाव, मांग में उतार–चढ़ाव, नए बाज़ारों के उभरने की चुनौतियां आदि का सामना कर सकें।

5.4.2 दक्षता और गतिशीलता से इस क्षेत्र ने हालिया आर्थिक मंदी के दौर में भी प्रशंसनीय नवप्रवर्तन और समायोजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है। तथापि, एमएसएमई राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की वजह से जिसे वायरस की रोकथाम के लिए लगाया गया, बड़ी चुनौती का सामना कर रहीं हैं। वायरस की रोकथाम के लिए भारत में किए जा रहे निरंतर उपाय और आर्थिक वातावरण बनाए रखने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा देने की भावी संभावनाएं आशाजनक प्रतीत होती हैं। एमएसएमई मंत्रालय और उसके संगठन अपनी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अद्यतन प्रौद्योगिकी, अनुभवों का साझा और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बेहतरीन प्रबंधन परम्पराओं का एक्सपोज देकर भारतीय एमएसएमई क्षेत्र को सहायता उपलब्ध करा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय ने 19 देशों के साथ दीर्घ अवधि समझौता, समझौता ज्ञापन, संयुक्त कार्य–योजना की व्यवस्था की है। इन देशों में ट्यूनिसिया, रोमानिया, रवांडा, मेक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई वरी, मिश्र, दक्षिण कोरिया गणराज्य, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, इंडोनेशिया, वियतनाम, मारीशस, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।

5.4.3 विदेशी उच्चाधिकारियों और प्रतिनिधिमंडलों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके अधीनस्थ संगठनों जैसे विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय और एनएसआईसी नियमित रूप से दोनों देशों के एमएसएमई के पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठकों का आयोजन करते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के संबंध में इस प्रकार की बैठकों/ चर्चाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

- श्री न्युयेन ची डुंग, माननीय योजना एवं निवेश मंत्री, वियतनाम ने श्री नितिन गडकरी, माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार ने दिनांक 12.02.2020 को नई दिल्ली में, दोनों देशों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की स्थिति और पारस्परिक सहयोग के क्षेत्र तलाशने पर विचारों के आदान–प्रदान के लिए मुलाकात की।

- महामहीम श्री सातोशी सुजूकी, भारत में जापान के राजदूत ने श्री नितिन जयराम गडकरी, माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार ने दिनाँक 13.02.2020 को नई दिल्ली में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की।

- सुश्री अलका अरोड़ा, संयुक्त सचिव (एसएमई), एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 14 जुलाई, 2020 को आयोजित ब्रिक्स देशों में लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता और विकास पर वर्चुअल राउण्ड टेबल बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया। इस राउण्ड टेबल सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा एसएमई के विकास और संवर्धन के लिए डिजिटलीकरण अवसरों पर अनुभव और सूचनाओं का आदान–प्रदान किया गया।

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने दिनांक 20.10.2020 को वर्चुअली आयोजित –सूक्ष्म और मध्यम आकार उद्यमों के विकास में डिजिटल अर्थव्यवस्था और इसकी भूमिका पर ऑनलाईन राउण्ड टेबल सम्मेलन एशिया में संवाद और विश्वास बहाली के उपायों पर सम्मेलन (सीआईसीए) में भाग लिया।

- भारतीय नीति आयोग और रशियन फेडरेशन के आर्थिक विकास मंत्रालय (एमईडी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गठित लघु और मध्यम व्यावसाय सहायता संबंधी भारत–रशिया समन्वय समिति की वर्चुअल बैठक दिनांक 12.11.2020 को आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय पक्ष का नेतृत्व सुश्री अलका नागिया अरोड़ा, संयुक्त सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने किया जबकि रशियन पक्ष का नेतृत्व श्री ओलेग सुतिनखो, उप–प्रमुख, बाह्य आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय संधि, मास्को शहर, भारत के साथ सहयोग के लिए व्यवसाय परिषद के उप प्रमुख ने किया। इस बैठक के दौरान, दोनो पक्षों ने एसएमई के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर अपने विचार साझा किए।

- एसएमई क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करने के लिए विडियों–कॉफ्रेंसिंग मोड के माध्यम से दिनांक 18.11.2020 को भारत और साउदी अरब के बीच बैठक का आयोजन किया गया।

- सितंबर–नबम्बर, 2020 के दौरान एमएसएमई मंत्रालय के अधिकारियों और सिंगापुर–भारत साझेदारी कार्यालय, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एमटीआई), सिंगापुर के अधिकारियों के बीच तीन राउण्ड की कार्य–स्तरीय वर्चुअल बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रौद्योगिकी केंद्रों, कयर उत्पादों और क्लस्टर विकास तक विस्तृत एमएसएमई क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों चर्चा की गई।

सामान्य सांविधिक उत्तरदायित्व

6.1 राजभाषा

6.1.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति का पालन करना हम सबका सांविधानिक दायित्व है। सरकार की नीति का उद्देश्य सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाना है। मंत्रालय में वर्ष के दौरान संघ सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन, वार्षिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन और संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए हैं।

6.1.2 सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग में प्रगति हुई है। मंत्रालय की एक पूर्ण कार्यशील वेबसाइट http://msme.gov.in हिंदी भाषा में है।

6.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति, संविदा, करार, निविदा फॉर्म एवं सूचना, संकल्प, नियम, ज्ञापन/कार्यालय ज्ञापन, प्रशासनिक रिपोर्ट और संसद के एक या दोनों सदनों में प्रस्तुत किये जाने वाले सरकारी कागजात द्विभाषी अर्थात् हिंदी और अंग्रेजी में जारी किए गए। विभागीय प्रयोग के लिए सामान्य आदेश हिंदी में जारी किए गए। हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में ही दिए गए।

6.1.4 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समीति की बैठक का आयोजन किया गया और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की संयुक्त सचिव (प्रभारी–हिंदी) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पहले से ही गठित है। इस समिति की तिमाही बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं तथा सरकारी काम–काज में हिंदी के प्रयोग के विषय में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम भी उठाए गए हैं।

6.1.5 हिंदी में पत्राचारः जहां तक हो सकता है, 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में स्थित राज्य सरकारों, केन्द्र राज्य प्रदेशों तथा केन्द्र सरकार के कार्यालयों को पत्र हिंदी में ही जारी किए गए। इसी प्रकार, वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी में पत्र भेजे गए। सितम्बर, 2020 में समाप्त अवधि की तिमाही में 'क' क्षेत्र में लगभग 85 प्रतिशत, 'ख' क्षेत्र में 82 प्रतिशत और 'ग' क्षेत्र में 72 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया गया।

6.1.6 **निगरानी तथा निरीक्षणः** राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है। वर्ष के दौरान सरकारी कार्य में हिंदी का प्रयोग और राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के 05 अनुभागों के साथ–साथ एमएसएमई मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों यथाः केवीआईसी मुख्यालय, मुंबई, एनएसआईसी क्षेत्रीय कार्यालय और एनएसआईसी जोनल कार्यालय, कयर बोर्ड शोरूम और बिक्री डिपो, मुंबई, एनएसआईसी मुख्यालय, दिल्ली, निम्समे, हैदराबाद, एनएसआईसी जोनल कार्यालय, हैदराबाद, केवीआईसी राज्य कार्यालय और कयर बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलुरू, कयर बोर्ड मुख्यालय, कोच्चि, एनएसआईसी शाखा कार्यालय, कोच्चि इत्यादि का निरीक्षण किया गया।

6.1.7 **हिंदी माहः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में 14 सितंबर 2020 से 13 अक्तूबर, 2020 तक हिंदी माह मनाया गया। सरकारी कार्य हिंदी में करने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित तथा प्रेरित करने के उद्देश्य से हिंदी टंकण, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन, सामान्य हिन्दी, श्रुतलेख, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिंदी भाषण, कविता पाठ और अनुभागों में हिंदी कार्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इस अवधि के दौरान हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इन प्रतियोगिताओं में बहुत से अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 14 सितम्बर को हिंदी दिवस, 2020 के अवसर पर माननीय मंत्री एमएसएमई के संदेश अनुपालन हेतु मंत्रालय सहित सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में परिचालित किए गए।

6.1.8 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग

6.1.8.1 **खादी और ग्रामोद्योग आयोगः** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (मुख्यालय), मुम्बई में एक पूर्णकालीन हिंदी विभाग है जो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय की राजभाषा नीति एवं उसके अनुपालन के लिए समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार है। 14 सितम्बर, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक हिंदी माह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजेताओं को सम्मानित किया गया। आयोग के अधीनस्थ कार्यालयों और निदेशालय मुख्यालयों का निरीक्षण किया गया। आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। आयोग की वेबसाइट द्विभाषिक है। आयोग में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है।

6.1.8.2 **कयर बोर्डः** कयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का हिस्सा होने के नाते अपने सभी प्रतिष्ठानों में संघ की राजभाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रयास जारी रखे हुए है। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान उपलब्धियांः–

- धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेजों को द्विभाषी जारी किया गया और नियम (5) के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया गया।
- त्रैमासिक राजभाषा कार्यान्वयन समिति बैठकें आयोजित की गई।
- त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट को ऑनलाइन भेजा गया।
- दिनांक 30.06.2020 और 13.08.2020 को पूरे भारत में कयर बोर्ड के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा पर दो आभासीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।
- 14.09.2020 से 14.10.2020 के दौरान कयर बोर्ड में आभासी हिंदी चेतनामास 2020 मनाया गया। कयर बोर्ड के सभी प्रतिष्ठानों ने भाग लिया।
- रिपोर्टिंग वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रस्तावः–
- कयर व्यापार और उद्योग में पदाधिकारियों के लिए 12 नवंबर 2020 को राष्ट्रीय वेबीनार।
- संविधान दिवस के पालन के रूप में 26 नवंबर, 2020 और 13 फरवरी, 2021 को अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए अखिल भारतीय आभासी हिंदी कार्यशालाएं।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की दो त्रैमासिक बैठकें।
- कयर व्यापार और उद्योग में कार्यकर्ताओं के लिए बिजनेस हिंदी विषय पर 12 नवम्बर, 2020 को राष्ट्रीय वेबीनार का आयोजन किया गया।

- संविधान दिवस दिवस के लिए, दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को पूरे भारत में कयर बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए राजभाषा पर एक संविधान दिवस विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यशाला के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया।
- राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) की तीन त्रैमासिक बैठकों का आयोजन किया गया और बाकी एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन चौथी तिमाही में किया जाएगा।
- राजभाषा गतिविधियों की स्थिति समीक्षा के लिए कयर बोर्ड के सभी अधीनस्थ कार्यालयों/शोरूम और बिक्री डिपो में ई–निरीक्षण।

6.1.8.3 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी): राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें और हिंदी कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की गई। वर्ष के दौरान 07 सितम्बर, 2020 से 21 सितम्बर, 2020 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें 04 हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

6.1.8.4 राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्सme)

हिंदी दिवस 2020 के अवसर पर संस्थान में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक आयोजित की गई। संस्थान में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गई।

6.1.8.5 महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमगिरि)

कार्यालय गतिविधियों में हिंदी (राजभाषा) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए संस्थान में नियमित रूप से कार्यशालाओं, बैठकों, हिंदी दिवस और 13 सितम्बर, 2020 से 28 सितम्बर, 2020 पखवाड़ा आयोजित किया गया। सभी प्रशिक्षण मैनुअल को द्विभाषी तैयार किया गया है और टिप्पणी, क्षेत्रीय पत्राचार, विज्ञापन आदि को भी हिंदी अथवा द्विभाषी किया गया है।

6.1.8.6 विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)

उपयुक्त अवधि के दौरान विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के हिंदी अनुभाग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम, नियमों तथा माननीय राष्ट्रपति के आदेशों का न केवल मुख्यालय में अपितु अधीनस्थ 88 कार्यालयों में सतत एवं सुचारु अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्रवाई की गई हैं सभी तरह के प्रपत्रों, रिपोर्टों, संसदीय प्रश्नोत्तरी एवं धारा 3(3) के तहत निहित कागजतों का कोविड–19 महावारी के दौरान भी समय से अनुवाद किया गया। इस क्रम में हिंदी अनुभाग द्वारा दो संस्थानों अर्थात् एसएसएमई वि.सं., नई दिल्ली, ओखला तथा एमएसएमई–टीडीसी, मेरठ के संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान तत्परता के साथ निरीक्षण संबंधी सभी जरूरी कार्य पूर्ण किए गए जिससे दोनों निरीक्षण सफल रहे।

विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी सभी रिपोर्टें मंत्रालय को प्रेषित की गई तथा विभागीय राजभाषा बैठकों का भी सुचारू रूप से आयोजन किया गया। इसके साथ ही हिंदी दिवस पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशाला के अलावा वी.सी. द्वारा एक स्वरचित कविता पाठ की प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया जिसमें भाग लेने वाले 6 अव्वल प्रतिभागियों को नगद पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र दिए गए। प्रकाशन एवं विज्ञापन संबंधी अनुवाद में विशेष सहयोग किया गया। कोविड महामारी में आईटी टूल का काफी प्रचलन रहा, अतः यूनिकोड, ई–महाकोश,

कंठस्ट तथा मंत्रा आदि जैसे आईटी टूलों के माध्यम से मुख्यालय के अनुभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों को सहायता प्रदान की गई।

6.2 सतर्कता

6.2.1 मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग के प्रमुख संयुक्त सचिव स्तर के अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं जो केन्द्रीय सतर्कता आयोग एवं अन्वेषण एजेंसियों के परामर्श से सभी सतर्कता मामलों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।

6.2.2 मंत्रालय सेवारत अधिकारियों में व्यापक सतर्कता जागरूकता सृजित करने में कार्मिक और विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों/अनुदेशों का कार्यान्वयन कर रहा है। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय/संगठनों में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त संदर्भों/सतर्कता शिकायतों का उत्तर दिया गया/निपटाया गया।

6.2.3 27 अक्तूबर, 2020 से 2 नवम्बर, 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

6.2.4 सतर्कता प्रभाग मंत्रालय के अधीन कार्यरत संगठनों के कर्मचारियों द्वारा भेजी गई अपीलों के साथ–साथ इन संगठनों के कर्मियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों और मंत्रालय के अधिकारियों और सहायक निदेशकों, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई) के उच्च स्तर अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई आदि पर लगाई गई शास्तियों का कार्य भी देखता है। प्रभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य भी किए जाते हैं:–

(i) स्पैरो https://sparrow.eoffice.gov.in की ऑनलाइन सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों (एपीएआरए) का रख–रखाव।

(ii) कर्मचारियों की वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न विवरण सहित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के अंतर्गत आने वाले सभी मामलें।

(iii) बंधक पत्रों/विलेखों की सुरक्षित संरक्षा।

(iv) प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए सतर्कता निकासी।

6.2.5. रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 19 शिकायतें प्राप्त हुई और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां लागू हो, परिसमापन/निपटान किया गया।

6.2.6. रिपोर्ट के अंतर्गत, 3 अनुशासनात्मक मामलों को सीसीएस (सीसीए) नियमों, 1965 के अंतर्गत जुर्माना लगाने के द्वारा निपटाया गया।

6.3 नागरिक घोषणापत्र

6.3.1 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय नागरिक/ग्राहक घोषणापत्र तैयार किया गया है और उसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इस घोषणापत्र में एमएसएमई मंत्रालय की घोषणा है जिसमें सामान्य तौर पर भारत के लोगों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का मिशन और वचनबद्धता शामिल है।

6.3.2 भूतल (द्वार संख्या 4 और 5 के बीच) निर्माण भवन, नई दिल्ली में स्थित मंत्रालय का सूचना तथा सुविधा काउंटर मंत्रालय तथा इसके संगठनों की सेवाओं तथा कार्यकलापों की सूचना प्रदान करता है। यह आवेदक से आरटीआई आवेदन के साथ–साथ शुल्क, यदि कोई हो, भी प्राप्त करता है।

6.3.4 वार्षिक रिपोर्ट और स्व–रोजगार पर हैंडबुक प्रकाशित की गई है और संभावित उद्यमियों, नीति निर्माताओं और अन्य लोगों की सूचना के लिए उपलब्ध है। मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात www.msme.gov.in अपने संगठनों को सभी संगत सूचना एवं लिंक उपलब्ध कराती है।

6.3.4. मंत्रालय का विस्तृत नागरिक/ग्राहक घोषणापत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

6.3.5 **शिकायतें**: प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएपीआरजी) ने लोक शिकायतों के लिए एक पोर्टल http://pgportal.gov.in तैयार किया है। कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पोर्टल पर दर्ज कर सकता है। डीएपीआरजी, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा राष्ट्रपति सचिवालय में प्राप्त सभी शिकायतें इस पोर्टल/सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों को अग्रेषित की जाती हैं। अन्य मंत्रालयों/अधीनस्थ संगठनों से संबंधित शिकायत ऑनलाइन हस्तांतरित की जा सकती है। एमएसएमई मंत्रालय, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा सभी 24 उत्तरदायित्व केन्द्रों को http://pgportal.gov.in पर लिंक उपलब्ध कराया गया है। एमएसएमई मंत्रालय और इसके संगठन शिकायतों पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्रालय ने मंत्रालय में प्राप्त अन्य शिकायतों तथा सुझावों का पता लगाने एवं निगरानी करने के लिए एमएसएमई इंटरनेट शिकायत निगरानी प्रणाली भी शुरू की है। सूचना और सुविधा काउंटर तथा शिकायत प्रकोष्ठ का पता, दूरभाष तथा फैक्स नंबर नीचे दिए गए हैं:

विवरण	बेवसाइट का पता	संगठन
1. शिकायत कक्ष अपर विकास आयुक्त, विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, कमरा संख्या–716, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–संख्या–23061277 फैक्स नम्बर–23061804	www.msme.gov.in	एमएसएमई मंत्रालय
	www.dcmsme.gov.in	विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
	www.nsic.co.in	एनएसआईसी, नई दिल्ली
	www.nimsme.org	निम्समे, हैदराबाद
	www.kvic.org.in	केवीआईसी, मुम्बई
	www.coirboard.gov.in	कयर बोर्ड, कोच्चि
2. सूचना एवं सुविधा काउंटर गेट संख्या–4, भूतल, निर्माण भवन, नई दिल्ली–110108 दूरभाष–23062219	www.mgiri.org	एमगिरी, वर्धा

6.4 सूचना का अधिकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक किसी भी कार्य दिवस पर गेट संख्या 4 और 5 के बीच निर्माण भवन, (विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय) नई दिल्ली स्थित लोक सूचना अधिकारी (आरटीआई) से संपर्क कर सकते हैं।

मंत्रालय और मंत्रालय के अधीन संगठनों के अन्य लोक प्राधिकरणों के संबंध में पूरी जानकारी नियमित रूप से मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है। सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारी के विवरण संबंधित कार्यालय वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

6.5. यौन उत्पीड़न का निवारण

6.5.1 कार्यस्थल में महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण एवं समाधान) अधिनियम, 2013, में निहित प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय में एक आंतरिक शिकायत समिति गठित की गई है।

6.5.2 वर्ष 2019–20 (दिसम्बर, 2020 तक) के दौरान आंतरिक शिकायत समिति के पास कोई मामला रिपोर्ट नहीं किया गया तथा आईसीसी के पास कोई मामला लंबित नहीं है।

6.5.3 शिकायतों को सीधे फाइल करने में केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को समर्थ करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन –'शी बॉक्स' (यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक–बॉक्स) शुरू की गई है। इसका मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों तथा संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में व्यापक प्रचार किया गया है।

1. वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20 और 2020–21 के दौरान योजना आवंटन और व्यय

(करोड़ रू. में)

मदें	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
एसएमई प्रभाग				
बजट अनुमान	138.22	170.29	213.99	223.72
संशोधित अनुमान	106.21	143.03	174.93	171.54
व्यय	94.69	135.61	136.08	139.78*
एआरआई प्रभाग				
बजट अनुमान	2065.48	3308.24	3641.75	4066.94
संशोधित अनुमान	2517.70	3488.40	3714.43	2570.98
व्यय	2249.69	3577.98	3692.21	1698.48*
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय				
बजट अनुमान	4278.26	3074.08	3155.55	3281.54
संशोधित अनुमान	3858.05	2921.18	3121.93	2921.70
व्यय	3877.83	2799.54	2889.35	1287.29*
कुल बजट अनुमान	**6481.96**	**6552.61**	**7011.29**	**7572.20**
कुल संशोधित अनुमान	**6481.96**	**6552.61**	**7011.29**	**5664.22**
कुल व्यय	**6222.21**	**6513.13**	**6717.64**	**3125.55***

(31.12.2020 तक)

एमएसएमई मंत्रालय के लिए सीएंडएजी पैराओं पर लेखापरीक्षा संबंधी टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति (वित्त वर्ष 2020–21)

क्र. सं.	रिपोर्ट सं. (रिपोर्ट के प्रस्तुत करने की तारीख)	पैरा सं.	पैरा का संक्षिप्त विषय	की गई कार्रवाई संबंधी नोट की स्थिति (एटीएन)
1.	2020 का 10 दिनांकः	4.1 (अध्याय –IV)	**सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालयः** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय और भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी) ने 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट' (सीजीटीएमएसई/ ट्रस्ट) नामक एक न्यास की स्थापना (जुलाई 2000) की ताकि नए और मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण प्रदाता संस्थाओं द्वारा किसी कोलेट्रल सुरक्षा और/अथवा तीसरे पक्ष की गारंटियों के बिना क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में गारंटी प्रदान की जा सके। सीजीटीएमएसई ने दो स्कीमों अर्थात (क) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए सीजीएस–I); और (ख) गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम (सीजीएस-II) का कार्यान्वयन किया। वर्ष 2015–16 से 2018–19 (30 सितम्बर 2018 तक) की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा के दायरे में गारंटी स्कीमों का प्रदर्शन शामिल था। 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार न्यास ने 29.79 लाख गारंटी जारी की थी जो 1,51,484 करोड़ रुपए की थी। दिनांक 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति के अनुसार न्यास की संग्रह निधि 6,914.91 करोड़ रुपए थी जिसमें से भारत सरकार ने 6,414.91 करोड़ रुपए (92.77 प्रतिशत) का योगदान दिया था और सिडबी ने 500 करोड़ रुपए (7.23 प्रतिशत) का योगदान दिया था। लेखापरीक्षा में उल्लेख की गई प्रमुख टिप्पणियां निम्नानुसार थीं:– • सीजीटीएमएसई/सरकार ने न्यास तथा विभिन्न प्रकार के सदस्य ऋणदाता संस्थानों के लिए अनुमोदित/ जारी गारंटियों, पूंजीगत पर्याप्तता, सॉल्वेंसी संबंधी आवश्यकताओं, एक्सपोजर उच्चतम सीमा तथा अनुसरण किए जाने वाले लेखांकन मानकों आदि हेतु न्यूनतम लिक्विडिटी आवश्यकता के संबंध में कोई मानक निर्धारित नहीं किए थे।	एटीएन मंत्रालय द्वारा नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के कार्यालय से एटीएन को प्रस्तुत करने की तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की गई है।

			• न्यास ने मंत्रालय के निदेशों (जनवरी 2017) का कार्यान्वयन नहीं किया तथा राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कम्पनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) की सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पत्र संस्थानों हेतु 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटियां प्रदान करना जारी रखा। • न्यास ने गारंटी माध्यम की कार्यकुशलता के संबंध में एमएलआई में और अधिक विश्वास सृजित करने तथा एमएसई क्षेत्र को आद्योपांत व्यापक सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए तार्किक आधार पर कायिक निधि पर बैंचमार्क लेवरेज नियत नहीं किया था। • गारंटियों के अनुमोदन की मौजूदा प्रणाली यह आश्वासन प्रदान करती है कि एमएलआई ने अपने ऋण प्राप्तकर्ताओं का केवल अनिवार्य ब्यौरा दायर किया था। यहां तक कि एमएलआई द्वारा दायर किए गए ब्यौरे की यथार्थता को सत्यापित करने के लिए मौजूदा प्रणाली/पोर्टल पर्याप्त नहीं थी । • एमएलआई ने गैर–अनिवार्य ब्यौरा दायर नहीं किया था तथा इसके अतिरिक्त भरे गए आंकड़े की गुणवत्ता भी बहुत खराब थी। एमएलआई द्वारा बहुत से क्षेत्रों को खाली छोड़ दिया गया था अथवा अधूरे आंकड़े भरे गए थे। • एमएलआई के निरीक्षण जारी की गई गारंटियों, रिपोर्ट किए गए एनपीए, एमएलआई द्वारा दायर किए गए दावों तथा पूर्ववर्ती निरीक्षण रिपोर्टों में पाई गई कमियों के अनुरूप नहीं थे।	

2. केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम,पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
1.	प्रदीप कुमार सिंह अवर सचिव, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली। 23063293	आर.आर. मीणा, निदेशक 23062736	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.msme.gov.in पर उपलब्ध है।
2.	श्रीमती एस. करना सहायक निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली	डॉ ओ.पी. मेहता, निदेशक, विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई), निर्माण भवन, नई दिल्ली।	संबंधित केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.dcmsme.gov.in पर उपलब्ध है।
3.	ए.के. मिश्रा, महाप्रबंधक, एनएसआईसी लि., एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011– 26390190, akmishra/nsic.co.in	नवीन चोपड़ा, मुख्य महाप्रबंधक, एनएसआईसी लि., एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली–110020 011– 26920911	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची www.nsic.co.in वेबसाइट पर उपलब्ध है।
4.	एन मुरलिया किशोर, सहायक रजिस्टार,राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगौडा, हैदराबाद– 500045 040–23633260 ar/nimsme.org	जे. कोटेश्वर राव, सहयोगी संकाय सदस्य, राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (निम्समे), युसुफगौडा, हैदराबाद–500045 040–23633203, cao/nimsme.org	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान से संबंधित सभी मामलें। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्योरा वेबसाइट www.nimsme.org पर उपलब्ध है।

क्र.सं.	केंद्रीय जन सूचना अधिकारी का नाम,पदनाम एवं दूरभाष संख्या	अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम एवं दूरभाष	विषय–वस्तु
5.	श्री कृष्णपाल, सहायक निदेशक, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) मुम्बई 022–26711037	श्री जी.गुरूप्रसन्ना, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केवीआईसी, 3 इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई 022–26713538	संबंधित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग से संबधित सभी आरटीआई आवेदनों का वितरण करना। केंद्रीय जनसूचना अधिकारियों की विषय–वार सूची वेबसाइट www.kvic.org.in पर उपलब्ध है।
6.	श्रीमती अनीता कुमारी एस, विपणन और प्रचार अधिकारी, कयर बोर्ड, कॅयर हाउस, एम.जी.रोड, कोच्चि– 682016 0484–2351807	के. रघुनंदन वी सी, वरिष्ठ लेखा अधिकारी, कयर हाउस, एम.जी. रोड, कोच्चि–682016 0484–2351807	कयर बोर्ड से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्यौरा वेबसाइट www.coirbord.gov.in पर उपलब्ध है।
7.	श्री एच.डी. सिन्नुर, पीएसओ के एंड टी, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान, मगनवाडी, वर्धा – 442001 दूरभाष 07152–253512	डॉ. आर.के. गुप्ता निदेशक, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकरण संस्थान, मगन वाडी, वर्धा–442001 दूरभाष– 07152–253512,13	एमगिरि से संबंधित सभी मामले। केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों का ब्यौरा वेबसाइट www.migiri.org पर उपलब्ध है।

3. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और इसके सांविधिक निकायों के कार्यालयों के संपर्क पते

क्र. सं.	संगठन का नाम और पता	वेबसाइट	ई–मेल	दूरभाष	फैक्स
1	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली–110 107	www.msme.gov.in	min-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
2	विकास आयुक्त, (एमएसएमई) कार्यालय , 7 वीं मंजिल ए– विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली – 110 108	www.dcmsme.gov.in; www.laghu-udyog.com; www.smallindustry.com	dc-msme@nic.in	011-23063800 23063802-06	011-23062315 23061726 23061068
3	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 'ग्रामोदय' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम) , मुंबई –400056, महाराष्ट्र	www.kvic.org.in	kvichq@bom3.vsnl.net.in, ditkvic@bom3.vsnl.net.in, dit@kvic.gov.in	022-26714320-25/ 26716323/ 26712324/ 26713527-9/ 26711073/ 26713675	022-26711003
4	कयर बोर्ड, "कयर हाउस", एम.जी. रोड, एर्नाकुलम, कोच्चि–682016, केरल	www.coirboard.gov.in	info@coirboard.org coirboard@nic.in	0484-2351900 2351807, 2351788, 2351954, Toll Free – 1-800-4259091	0484-2370034 2354397
5	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी),, एनएसआईसी भवन, ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली – 110 020	www.nsic.co.in	info@nsic.co.in,	011-26926275 26910910 26926370 Toll Free 1-800-111955	011-26932075 26311109
6	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, (निम्समे) युसूफगौडा, हैदराबाद– 500 045	www.nimsme.org	registrar@nimsme.org	040-23608544-46 23608316-19	040-23608547 23608956 23541260
7	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, मगनवाड़ी, वर्धा–442001	www.mgiri.org	director.mgiri@gmail.com	0752-253512	0752-240328

4. एमएसएमई विकास संस्थानों और शाखा एमएसएमई विकास संस्थानों की राज्य–वार सूची

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
1	अंडमान और निकोबार (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	पोर्ट ब्लेयर	डॉलीगंज इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पो.ऑ. जंगल घाट, पोर्ट ब्लेयर–744103	03192-252308		brdcdi-pprt@dcmsme.gov.in jan-gammouli@ yahoo.com
2	आंध्र प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	विशाखापटनम	एफ–19–22, ब्लॉक डी आईडीए, ऑटोनगर, विशाखापटनम –530012	0891-2517942 /2701061	0891-2517942	brdcdi-vish@dcmsme.gov.in
3	तेलंगाना	एमएसएमई–वि.सं.	हैदराबाद	नरसापुर क्रॉस रोड, बाला नगर, हैदराबाद–500 037	040-23078857	040-23078857	dcdi-hyd@dcmsme.gov.in
4	अरुणाचल प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	इटानगर	एपीआईडीएफसी बिल्डिंग, 'सी' सेक्टर, इटानगर –791111	0360-2291176	0360-2291176	brmsme.itan@gmail.com
5	असम	एमएसएमई–वि.सं.	गुवाहाटी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.आर.डी. रोड, पो.ऑ. बामुनीमैदान, गुवाहाटी–781021	0361-2550052, 2550298	0361-2550298	dcdi-guwahati@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलचर	लिंक रोड़ प्वाइंट, एन.एस. एवेन्यू, सिलचर–788006	03842-247649	03842-241649	brdcdi-silc@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दिफू (कार्बी एन्गलोंग)	अमलीपती, कार्बी एन्गलोंग, दिफू–782460	03761-272549	03671-272549	brmsmediphu@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तेजपुर	दरांग कालेज रोड़, तेजपुर–784001	03712-221084	03712-221084	brdcdi-tezp@dcmsme.gov.in
6	बिहार	एमएसएमई–वि.सं.	मुजफ्फरपुर	संस्थान, गोशाला रोड़, पो.ऑ. रमना, मुजफ्फरपुर–842002.	0621-2282486 /2284425	0621-2282486	dcdi-mzfpur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	पटना	पाटलिपुत्र इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पटना –800013	0612-2262568	0612-2262719	dcdi-patna@dc-msme.gov.in
7	छत्तीसगढ़	एमएसएमई–वि.सं.	रायपुर	उरकुरा रेलवे स्टेशन के निकट, भानपुरी औद्योगिक क्षेत्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)–492001	0771-2427719	0771-2422312	dcdi-raipur@dcmsme.gov.in
8	दादरा और नगर हवेली (संघ) राज्य क्षेत्र)	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलवासा	मासत औद्योगिक एस्टेट, सिलवासा –396230	0260-2640933	0260-2640933	brdcdi-silv@dc-msme.gov.in
9	दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	एमएसएमई–विस्तार केंद्र	नई दिल्ली	बाल सहयोग केंद्र, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली			dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	नई दिल्ली	शहीद कैप्टन गौड़ मार्ग, ओखला इंडस्ट्रीयल एस्टेट के सामने, नई दिल्ली–110 020.	011-26847223, 26838369,	011-26838016	dcdi-ndelhi@dcmsme.gov.in
10	गोवा	एमएसएमई–वि.सं.	मडगांव	कोंकण रेलवे स्टेशन के सामने (क्यूपेम रोड), मडगांव–403601	0832-2705092	0832-2710525	dcdi-goa@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
11	गुजरात	एमएसएमई–वि.सं.	अहमदाबाद	हरसिद्ध चैम्बर, चतुर्थ तल, आश्रम रोड, अहमदाबाद (गुजरात)–380014	079-27543147, 27544248	079-27540619	dcdi-ahmbad@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राजकोट	तृतीय तल, एनेक्सी बिल्डिंग, अमृता (जसानी) बिल्डिंग परिसर, गिरनार सिनेमा के निकट, एमजी रोड़, राजकोट–360001	0281-2471045	0281-2471045	brdcdi-rajk@dcmsme.gov.in
12	हरियाणा	एमएसएमई–वि.सं.	करनाल	11–ए, औद्योगिक विकास कालोनी, आईटीआई के निकट, कुंजपुरा रोड़, करनाल–132 001.	0184-2208100/2208113	0184-2208114	dcdi-karnal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	भिवानी	आईटीआई कैम्पस, हांसी रोड़, भिवानी –125021.	01664-243200	01664-243200	brdcdi-bhiw@dcmsme.gov.in
13	हिमाचल प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	सोलन	इलेक्ट्रानिक काम्पलेक्स, चम्बाघाट, सोलन–173213.	01792-230265	01792-230766	dcdi-solan@dc-msme.gov.in
14	जम्मू और कश्मीर	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	जम्मूतवी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट डिगियाना, जम्मू तवी–180010	0191-2431077	0191-2431077	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	जम्मू	36, बी/सी, गांधी नगर, जम्मू –180004.	0191-2431077	0191-2450035	dcdi-jammu@dcmsme.gov.in
15	झारखंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	धनबाद	कटरास रोड़, मटकुरिया, धनबाद –826001	0326-23063380	0326-23063380	brdcdi-dhan@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	रांची	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कोकर, रांची –834001	0651-2546133	0651-2546235	dcdi-ranchi@dcmsme.gov.in
16	कर्नाटक	एमएसएमई–वि.सं.	हुबली	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, गोकुल रोड, हुबली –580 030	2330389, 2332334 (0836)	0836-2330389	dcdi-hubli@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	बेंगलुरू	राजाजी नगर, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, बेंगलुरू –560 010	23151540, 23151581, 23151582 (080)	080-23144506	dcdi-bang@dc-msme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	मंगलौर	एल–11 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, येय्याडी, मंगलौर –575005	0824-2217936		brdcdi-mang@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	गुलबर्गा	सी–122, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, एम.एस.के. मिल रोड़, गुलबर्गा –585102.	08472-420944		bsjawalgi@yahoo.co.in
17	केरल	एमएसएमई–वि.सं.	त्रिशूर	कंजनी रोड़, अय्यानतोल, त्रिशूर –680003	0487-2360686/638/	0487-2360536/216	dcdi-thrissur@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–टीआई	तिरूवला	मंजड़ी पीओ, तिरूवला, पठानमथिट्टा –689105	0469-2701336	0469-2701336	msmeti@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई टीआई/टीएस	एट्टुमानूर	पो.बा.सं. 7, एट्टुमानूर , कोट्टयम–686631, केरल	0481-2535563	0481-2535523	msmeti-ettu@dcmsme.gov.in
18	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	एमएसएमई–न्यूक्लियस सैल	लक्षद्वीप	अमीनी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र –682552	04891-273345		brdcdi-laks@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
19	मध्य प्रदेश	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	ग्वालियर	7, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, तानसेन रोड, ग्वालियर –474004	0751-2422590		brdcdi-gwal@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रीवा	उद्योग विहार, चोरहट्टा, रीवा –486001.	0766-2222448		brdcdi-reva@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	इंदौर	10, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पोलो ग्राउंड, इंदौर –452015	2421659/2421037 (0731)	0731-2420723	dcdi-indore@dcmsme.gov.in
20	महाराष्ट्र	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	औरंगाबाद	32–33, एमआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र, चीकल थाना औरंगाबाद–431210.	0240-2485430	0240-2484204	brdcdi-aura@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	मुंबई	कुरिया अंधेरी रोड, साकीनाका, मुंबई –400072	91-22-28576090	91-22-28578092	dcdi-mumbai@dcmsme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	नागपुर	ब्लॉक–सी, सीजीओ कॉम्पलेक्स, सेमिनारी हिल, नागपुर–440006	0712-2510352	0712-2511985	dcdi-nagpur@dcmsme.gov.in
21	मणिपुर	एमएसएमई–वि.सं.	इम्फाल	सी–17/18, तकयेलपट, इंडस्ट्रीयल एस्टेट इम्फाल–795 001	0385-2416220		dcdi-imphal@dcmsme.gov.in
22	मेघालय	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूरा	डकोपगरे टी वी टॉवर के निकट, तूरा – 794101	03651-222569	03651-222569	brdcdi-tura@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	शिलांग	बी.के. बजोरिया स्कूल के सामने, शिलांग –793001	0364-2223349	0364-2223349	brdcdi-shil@dcmsme.gov.in
23	मिजोरम	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	आइजवाल	शाखा एमएसएमई–वि.सं., कालेज वेंग, हाउस नं. वी–37, टैक्सी स्टेंड के निकट, आइजवाल –796001	0389-2323448		brdcdi-aizw@dcmsme.gov.in
24	नागालैंड	शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दीमापुर	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, दीमापुर–795001	03862-248552	03862-248552	brdcdi-dima@dcmsme.gov.in
25	ओडिशा	एमएसएमई–वि.सं.	कटक	विकास सदन, कालेज स्क्वायर, कटक –753 003	0671-2548077	0671-2548006	dcdi-cuttack@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	रायगढ़	आर. के. नगर, रायगढ़ –765004	06852-222268	06856-235968	brdcdi-raya@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	राउरकेला	सी–9, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, राउरकेला–769004	0661-2507492	0661-2402492	brdcdi-rour@dcmsme.gov.in
26	पंजाब	एमएसएमई–वि.सं.	लुधियाना	प्रताप चौक के निकट, संगीत सिनेमा के सामने, औद्योगिक क्षेत्र–बी, लुधियाना – 141003	0161-2531733, 734	0161-2533225	dcdi-ludhiana@dcmsme.gov.in
27	राजस्थान	एमएसएमई–वि.सं.	जयपुर	22 गोदम इंडस्ट्रीयल एस्टेट, जयपुर –302006.	0141-2210553, 2212098	0141-2210553	dcdi-jaipur@dcmsme.gov.in
28	सिक्किम	एमएसएमई–वि.सं.	गंगटोक	तदोंग बाजार, एनएच –10, के के सिंह बिल्डिंग, पीओ तदोंग, गंगटोक –737102	03592-231880	03592-231262	dcdi-gangtok@dcmsme.gov.in

क्र. सं.	राज्य	संस्थान का नाम	स्थान	पता	दूरभाष संख्या	फैक्स सं.	ई–मेल आईडी
29	तमिलनाडु	एमएसएमई–वि.सं.	चेन्नई	65/1, जी.एस.टी. रोड, गुइंडी, पो.बा. 3746, चेन्नई–600 032	044-22501011 /12/13	044-22341014	dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	कोयम्बटूर	386, पटेल रोड, राम नगर, कोयम्बटूर	0422-2230426	0422-2233956	brdcdi-coim@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तूतीकोरिन	सं. 6 जयराज रोड़, तूतीकोरिन 628003.	0461-2375345		dcdi-chennai@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	तिरूनेलवेली कार्यशाला	शेड नं. 7 और 8 इंडस्ट्रीयल एस्टेट, पेट्टई तिरूनेलवेली 627010	0462-2342137		Brmsmedi-tin@gmail.com
30	त्रिपुरा	एमएसएमई–वि.सं.	अगरतला	एमएसएमई–वि.सं., इंद्रानगर (आईटीआई प्ले ग्राउंड के निकट), पो.ऑ. कुंजाबन, अगरतला – 7999006	0381-2326570		dcdi-agartala@dcmsme.gov.in
31	उत्तर प्रदेश	एमएसएमई–वि.सं.	आगरा	34, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, नुनहाई, आगरा–282 006	0562-2280879/ 2280882	0562-2523247	dcdi-agra@dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	इलाहाबाद	ई–17/18, उद्योग नगर, नैनी, इलाहाबाद–211 009	0532-2697468	0532-2696809	dcdi-allbad@ dc-msme.gov.in
		एमएसएमई–वि.सं.	कानपुर	107, इंडस्ट्रीयल एस्टेट, कल्पी रोड, कानपुर–208 012.	0512-2295070 2295071, 2295073.	0512-2240143	dcdi-kanpur@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	वाराणसी	चांदपुर इंडस्ट्रीयल एस्टेट, वाराणसी–221106.	0542-2370621	0542-2371320	brdcdi-vara@dcmsme.gov.in
32	उत्तरांचल	एमएसएमई–वि.सं.	हल्द्वानी	खाम बंगला कैम्पस, कालाढूंगी रोड, हल्द्वानी –263 139.	05946-221053, 220853	05946-228353	dcdi-haldwani@dcmsme.gov.in
33	पश्चिम बंगाल	एमएसएमई–वि.सं.	कोलकाता	111 और 112, बी.टी. रोड, कोलकाता–700 108	033-25775531	033-25100524	ajoy1791@gmail.co m dcdi-kolkata@dcmsme.gov.in
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सूरी (बीरभूम)	आर.एन. टैगोर रोड, पुलिस लाइन के निकट, पीओ–सूरी, जिला–बीरभूम, पश्चिम बंगाल–731101	03462-255402	03462-255402	brdcdi-birb@dcmsme.gov.in snandy.msme@gmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	दुर्गापुर	आरए–39 (भूतल), उर्वशी (फेज 22), बंगाल अम्बुजा, ताराशंकर सरणी, सिटी सेंटर, दुर्गापुर –713 216.	0343-2547129		brdcdi-durg@dcmsme.gov.in dipakchanda900@hotmail.com
		शाखा एमएसएमई–वि.सं.	सिलिगुड़ी	इंडस्ट्रीयल एस्टेट, सेवोक रोड, सेकंड माइल, सिलिगुड़ी–734001.	0353-2542487		brdcdi-sili@dcmsme.gov.in monojit342@gmail.com

एमएसएमई	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
एएबीवाई	आम आदमी बीमा योजना
एआरआई	कृषि एवं ग्रामीण उद्योग
एस्पायर	नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन स्कीम
बीआई	व्यवसाय इंक्यूबेटर्स
बीपीएल	गरीबी रेखा से नीचे
सीसीए	कार्बन क्रेडिट एकत्रीकरण केन्द्र
सीडीसी	सामान्य प्रदर्शन केन्द्र
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीयूवाई	कयर उद्यमी योजना
डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
डीसी (एमएसएमई)	विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम)
डीआईसी	जिला उद्योग केन्द्र
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
ईसी	आर्थिक गणना
ईईटी	ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकी
ईएम–II	उद्यमी ज्ञापन भाग–II
ईएसडीपी	उद्यमिता कौशल विकास कार्यक्रम
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
आईसीटी	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आईआईटी	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आईपीएफसी	बौद्धिक संपदा अधिकार सुविधा केन्द्र
आइसेक	ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र
केवीआईसी	खादी ग्रामोद्योग आयोग
एलआईसी	भारतीय जीवन बीमा निगम

एमएमडीए	संशोधित बाजार विकास सहायता
एमएफआई	सूक्ष्म वित्त संस्था
एमगिरी	महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
एमओएसपीआई	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमएसई–सीडीपी	सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम स्कीम
एमएसएमईडी एक्ट	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम
एनबीएमएसएमई	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड
एनईआर	पूर्वोत्तर क्षेत्र
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईडी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान
निम्समे	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान
एनआईटी	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एनएसआईसी	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
ओबीसी	अन्य पिछड़ा वर्ग
पीएमएसी	परियोजना मॉनीटरिंग एवं सलाहकार समिति
पीएमईजीपी	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीपीपी	सार्वजनिक निजी भागीदारी
पीआरआई	पंचायती राज संस्थान
क्यूसीआई	भारतीय गुणवत्ता परिषद्
आरबीआई	भारतीय रिज़र्व बैंक
आरईबीटीआई	ग्रामीण अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग
एससी	अनुसूचित जाति
सेबी	भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
स्फूर्ति	परम्परागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम

एसएमएएस	विशेष विपणन स्कीम
एसएमई	लघु और मध्यम उद्यम
एसपीवी	विशेष प्रयोजन साधन
एसएसपीआरएस	एकल बिंदु पंजीकरण सब्सिडी स्कीम
एसटी	अनुसूचित जनजाति
टीईक्यूयूपी	प्रौद्योगिकी और गुणवत्ता उन्नयन
टीआरईएडी	व्यापार संबद्ध उद्यमिता सहायता एवं विकास
यूएएम	उद्योग आधार ज्ञापन

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

FOLLOW US ON @minmsme

www.msme.gov.in